संयुक्त राष्ट्र के तथ्य

संयुक्त राष्ट्र के तथ्य

संयुक्त राष्ट्र के तथ्य

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित
न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10017, अमेरिका

कॉपीराइट 2018, संयुक्त राष्ट्र
सभी अधिकार सुरक्षित

सहायक अधिकारों सहित अधिकारों और लाइसेंस के बारे में सभी पूछताछ
इस पते पर की जाए:

यूनाइटेड नेशन्स पब्लिकेशन्स
300 ईस्ट, 42वीं स्ट्रीट
न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10017
अमेरिका

ई-मेल : publications@un-org; वेबसाइट: http://shop-un-org

कुछ अंश उद्धृत करने का अनुरोध यहां भेजें : permissions@un-org

आईएसबीएन : 9789211013726
ईआईएसबीएन : 9789213626993(पीडीएफ)
ई-प्रकाशन : 9789213582121

यूनाइटेड नेशन्स पब्लिकेशन्स सेल्स नंबर 17.1.10

डिजाइन और साज-सज्जा
आउटरीच डिविजन
डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन,
यूनाइटेड नेशन्स, न्यूयॉर्क

विषय सूची

अध्याय 1. संयुक्त राष्ट्र का परिचय 7

संयुक्त राष्ट्र के बारे में संक्षिप्त तथ्य 8
इतिहास 9
शांतिपूर्ण विश्व समुदाय का विचार 9
लीग ऑफ नेशन्स 9
संयुक्त राष्ट्र की रचना 10
संयुक्त राष्ट्र क्या है? 15
देशों का मंच, विश्व, सरकार नहीं 16
संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत 16
प्रतीक चिन्ह 17
ध्वज 17
संगठन की संरचना 18
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय 18
सदस्यता और बजट 18
धन का सही उपयोग 21
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेना 21
स्थायी पर्यवेक्षक राष्ट्र 21
आधिकारिक भाषाएं 22

अध्याय 2. संयुक्त राष्ट्र परिवार 23

संयुक्त राष्ट्र परिवार के बारे में संक्षिप्त तथ्य 24
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग 25
महासभा 25
सुरक्षा परिषद 27
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) 29
ट्रस्टीशिप परिषद 30
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 31
सचिवालय 33
संयुक्त राष्ट्र: विशेषज्ञ संस्थाओं का परिवार 39
एजेंसियां 39
कोष और कार्यक्रम 41
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 43
अन्य संस्थाएं 44
संबद्ध संगठन 45
शांति दूत और सद्भावना दूत 46

अध्याय 3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास 47

आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संक्षिप्त तथ्य 48
विकास: संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता 49
गरीबी और विकास 49
वैश्वीकरण 49
संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई 51
सतत् विकास लक्ष्य 52
17 लक्ष्य 53
विकास आज और कल के लिए 59
सतत् विकास 59
पर्यावरण और विकास से जोड़ना 61

अध्याय 4. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 67

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संक्षिप्त तथ्य 68
गरीबी से संघर्ष: संघर्ष से गरीबी 69
इस कुचक्र को कैसे तोड़ा जाए? 69
संघर्ष से स्थानीय प्रभाव 69
संघर्ष की कीमत पूरा क्षेत्र चुकाता है 69
संयुक्त राष्ट्र: शांतिरक्षण के लिए गठित 70
संघर्ष न होने देना 71
अन्य उपलब्धियां 71
सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनदेखी करने पर क्या होता है? 72
शांति रक्षण और शांति स्थापना 72
शांति रक्षण गतिविधियों का संचालन करना 74
विश्व की जरूरत के समय मौजूद 74
लागत किफायती समाधान 76
प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण अभियान 76
शांति रक्षण अभियानों के तीन उदाहरण 77
शांति के लिए सतत् माहौल की स्थापना 78
क्या हमें शांति के काम के लिए संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है? 78
शांति रचना, शांति स्थापना, शांति रक्षण और राष्ट्र निर्माण 79
बच्चे और सशस्त्र संघर्ष 80
वैश्विक आतंकवादरोधी रणनीति 82
निरस्त्रीकरण 84
सशस्त्र हिंसा का प्रभाव 84
छोटे हथियारों और हल्के हथियारों पर नियंत्रण 85
परमाणु हथियारों में कमी से विश्व सुरक्षा सुनिश्चित करना 86
निरस्त्रीकरण एक तात्कालिक वैश्विक आवश्यकता 87
कलस्टर बमों और बारूदी सुरंगों से जूझना 87
नोबल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र 89

अध्याय 5. मानव अधिकार और कानून का शासन 91

मानव अधिकारों से जुड़े संक्षिप्त तथ्य 92
मानव अधिकार: क्या हैं? 93
परिभाषा 93
मानव अधिकारों की विशेषताएं 94
संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार 95
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 95
मानव अधिकार कानून 95
अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि 96
संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों के लिए जिम्मेदार कौन? 97
सबके लिए विकास का अधिकार 101
विकास एक अधिकार है 101
विकास का अधिकार घोषणा 101
सभी मानव अधिकारों के संवर्धन का ढांचा 102
विधि सम्मत शासन 103
बच्चों के भी अधिकार हैं 115
बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना 115
बाल अधिकार 116
संयुक्त राष्ट्र और बाल अधिकार 118

अध्याय 6. मानवीय संकट और कार्रवाई 123

मानवीय संकट और कार्रवाई के बारे में संक्षिप्त तथ्य 124
दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करने वाली आपातस्थितियां 125
विभिन्न प्रकार की आपदाएं 125
ताजा आपदा रुझान 126
आपदाओं का प्रभाव: प्रमुख मानवीय आवश्यकताएं एवं जोखिम प्रबंधन 127
आपात सहायता का तालमेल 128
अंतर-एजेंसी समन्वय 128
मानवीय कार्यकर्ता कौन हैं? 129
फील्ड में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों: जमीन पर कौन हैं? 130
तत्काल आपात कार्रवाई: अधिक लोगों की जान बचाना 130
दीर्घकालिक आपात कार्रवाई: लोगों को फिर अपने पैरों पर खड़ा करना 134
आपात तैयारी और रोकथाम 136

अतिरिक्त जानकारी 139

आम प्रश्न 141
संयुक्त राष्ट्र आयोजन 145
संयुक्त राष्ट्र तंत्र 150
सदस्य देश 153
सदस्य देशों के ध्वज 158

अध्याय 1

संयुक्त राष्ट्र का परिचय

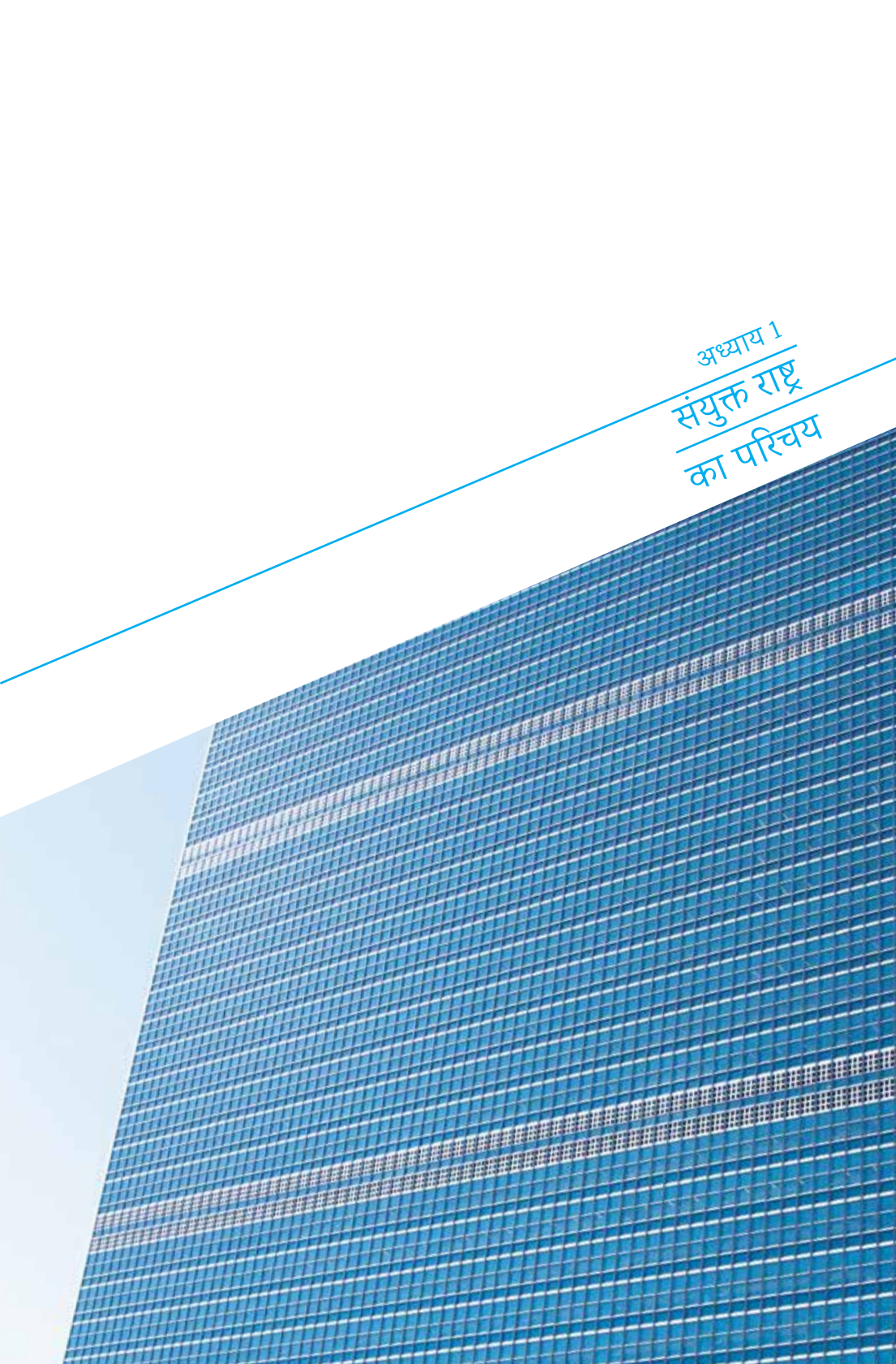

संयुक्त राष्ट्र के बारे में संक्षिप्त तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना पहले-पहल 1 जनवरी, 1942 को युद्धकालीन गठजोड़ के रूप में की गई थी। 24 अक्तूबर, 1945 को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की स्मृति में हर वर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र के चार उद्देश्य हैं: (1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण (2) देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास (3) अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहयोग एवं मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का संवर्धन और (4) देशों की कार्रवाइयों के बीच तालमेल के केन्द्र के रूप में काम करना। इस प्रयास में 30 से अधिक संबद्ध संगठन सहयोग करते हैं। उन्हें मिलाकर संयुक्त राष्ट्र तंत्र बनता है और सबके अपने--अपने निश्चित कार्य क्षेत्र हैं।

- संयुक्त राष्ट्र कोई विश्व सरकार नहीं है किन्तु यह अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान में मदद करने के लिए साधन प्रदान करता है और हम सबको प्रभावित करने वाले मामलों में नीतियां बनाता है। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है, जहां सभी देश मिलकर मानव अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्र और आतंकवाद से संघर्ष जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे विषयों पर चर्चा और विस्तृत विचार-विमर्श करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू कराते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र में बड़े-छोटे, अमीर और गरीब, भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक प्रणालियों वाले सभी सदस्यों की आवाज सुनी जाती है और महासभा में फैसले लेने में मतदान का अधिकार होता है।

- संयुक्त राष्ट्र तंत्र मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाने, गरीबी कम करने, रोगों से लड़ने और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के साथ-साथ महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त कराने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को संरक्षण देने के प्रयासों का नेतृत्व करता है।

- संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के काम करती हैं। इनमें शरणार्थियों को सहायता देना, एड्स और मलेरिया से लड़ना, आहार उत्पादन बढ़ाना, सैनिकों को संरक्षण देना, सबके लिए शिक्षा को समर्थन देना और प्राकृतिक आपदाओं एवं सशस्त्र संघर्षों के बाद सहायता प्रदान करना शामिल है।

इतिहास

शांतिपूर्ण विश्व समुदाय का विचार

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो दूसरे विश्व युद्ध (1939-1945) के दौरान की गई थी, किन्तु देशों के शांतिपूर्ण माहौल में एक साथ रहने की परिकल्पना उससे बहुत पहले कर ली गई थी। 1795 में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने निरन्तर शांति की अवधारणा विकसित की थी, जिसका आधार आज के हिसाब से विधि सम्मत शासन था। उनका मानना था कि सभी देश एक शांतिपूर्ण विश्व, समुदाय की स्थापना करें। किन्तु वैश्विक सरकार के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों और विदेशी मेहमानों का सम्मान करते हुए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे, जिससे दुनिया भर में शांतिपूर्ण समाज की रचना हो।

अपनी इस धारणा के साथ कांट ने न सिर्फ दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास तथा अंतः संसदीय संघ (लीग ऑफ नेशन्स से पहले 1889 में बना था और आज संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक है) जैसी संस्थाओं की रचना के लिए भी प्रेरित किया। उनका प्रभाव 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के भाषण में उल्लिखित 14 बिन्दुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी भाषण में पहले पहल लीग ऑफ नेशन्स का उल्लेख हुआ था।

लीग ऑफ नेशन्स

लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में की गई थी। 44 देशों द्वारा लीग ऑफ नेशन्स प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसकी आधिकारिक स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन्स प्रस्ताव वर्साई संधि का पहला हिस्सा था।

लीग ऑफ नेशन्स का मुख्य उद्देश्य निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर, सामूहिक सुरक्षा के जरिए युद्ध रोककर और देशों के बीच विवादों का समाधान वार्ता एवं कूटनीति से करके और विश्व स्तर पर जन कल्याण सुधार कर विश्व में शांति रखना था।

किन्तु इस लीग में कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं। यदि किसी विवाद में संलिप्त देश लीग के फैसलों की अनदेखी कर दें तो लीग आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती थी, किन्तु उन फैसलों को लागू कराने का कोई तरीका उसके पास नहीं था क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति नहीं थी।

इसके अलावा सभी देश लीग ऑफ नेशन्स के सदस्य नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने लीग की स्थापना के लिए बढ़-चढ़कर प्रयास किए, फिर भी अमेरिका कभी लीग का सदस्य नहीं बना। लीग में शामिल हुए कुछ देश बाद में हट गए और अक्सर आवश्यक होने पर भी लीग कोई कार्रवाई नहीं कर सकी।

इन तमाम कमजोरियों के बावजूद लीग ऑफ नेशन्स कुछ विवादों का समाधान करने और कुछ स्थानीय युद्ध रुकवाने में सफल रही। उसने 1921 में आलैंड द्वीपों को लेकर स्वीडन और फिनलैंड के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया और 1925 में बुल्गारिया पर ग्रीस का हमला रोका। किन्तु यह संगठन ताकतवर देशों को लड़ने से रोकने में सफल नहीं रहा। इटली ने जब 1935 में अबसीनिया (इथियोपिया) पर हमला किया तो लीग ने इस हमले की निंदा करते हुए प्रतिबंध लगा दिए पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं उन घटनाओं के सामने लीग अशक्त थी, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया।

अपनी असफलता के बावजूद लीग ऑफ नेशन्स ने वैश्विक संगठन के स्वप्न का बीज तो बो दिया था। उसके बाद में लीग को भंग करने के बाद उसकी सारी संपत्ति, 1946 में करीब 2.2 करोड़ अमेरिकी $ की विरासत के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इस संपत्ति में स्विटजरलैंड में जिनेवा में पैलेस नेशन और लीग के अभिलेख शामिल थे।

संयुक्त राष्ट्र की रचना

संयुक्त राष्ट्र की कल्पना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई। युद्ध समाप्त कराने के लिए एकजुट हुए मित्र देशों के नेताओं को ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई जो शांति स्थापित करने और भविष्य में युद्ध रोकने में मददगार हो सके। वे जान गए थे ऐसा तभी संभव है जब सभी देश एक वैश्विक संगठन के माध्यम से काम करें और वह संगठन बना संयुक्त राष्ट्र।

सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा

जून 1941 में लंदन से नौ निर्वासित सरकारें चलाई जा रही थीं। ब्रिटेन की राजधानी महीनों तक युद्ध की मार झेल चुकी थी। बमों से ध्वस्त शहर में हवाई हमलों के साइरन बार-बार गूंजा करते थे। वास्तव में समूचा यूरोप एक्सिस देशों के हाथों पराजित हो चुका था और अटलांटिक के रास्ते महत्वपूर्ण सामग्री ला रहे जहाज बराबर डुबोए जा रहे थे। किन्तु लंदन में और मित्र देशों की सरकारों एवं जनता में यह विश्वास अटूट था कि अंत में जीत उन्हीं की होगी।

12 जून 1941 को ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड और युगोस्लाविया की निर्वाचित सरकारों के

जिनेवा में लीग ऑफ नेशन्स का उद्घाटन अधिवेशन। ■ यूएन फोटो/जूलियन

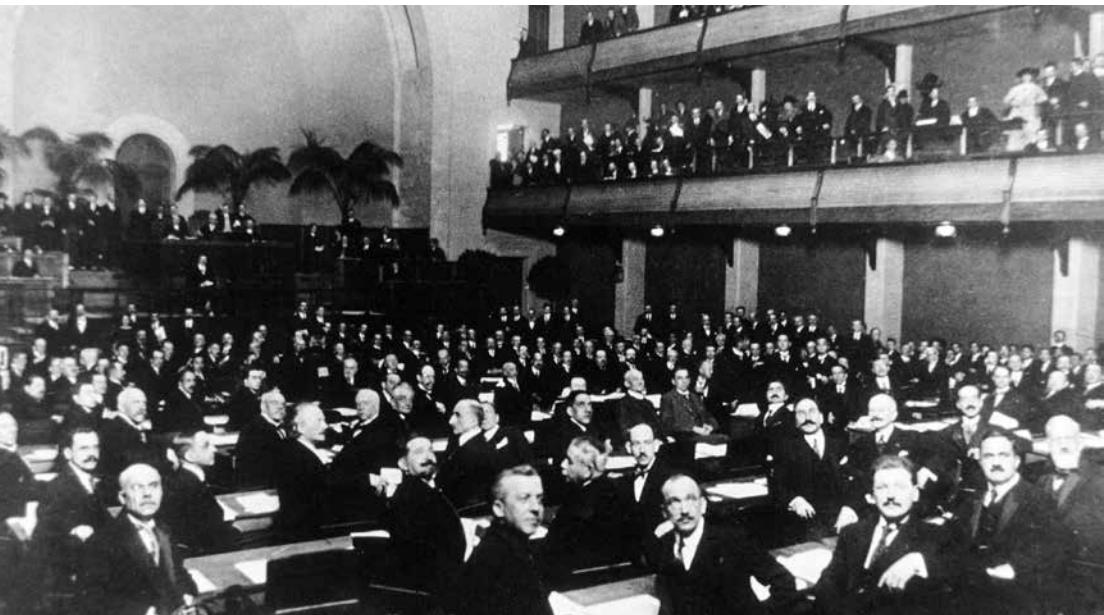

प्रतिनिधियों के साथ-साथ फ्री फ्रेंच के नेता जनरल द गाल प्राचीन सेंट जेम्स पैलेस में मिले और एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गयाः

> "स्थायी शांति के लिए एक मात्र आधार ऐसे विश्व में स्वतंत्र लोगों के बीच स्वैच्छिक सहयोग है, जिसमें आक्रामकता का नाम न हो, सबको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा मिले, हमारा इरादा युद्ध और शांति दोनों काल में इस उद्देश्य के लिए आपस में और अन्य स्वतंत्र लोगों के साथ मिलकर काम करने का है।"
>
> *सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा*

अटलांटिक चार्टर

दो महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विन्सटन चर्चिल सागर में कहीं मिले- उसी सागर में जहां अटलांटिक की पुरजोर लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं- और 14 अगस्त 1941 को उन्होंने एक संयुक्त घोषणा जारी की जिसे इतिहास ने अटलांटिक चार्टर का नाम दिया।

अटलांटिक चार्टर में आठ मुख्य बिन्दुओं के माध्यम से युद्धोपरान्त समाधान की रूपरेखा दी गईः

- अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं करेंगे।
- क्षेत्रीय समायोजन संबद्ध जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए।
- सभी लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार होगा।
- व्यापार बाधाएं कम की जाएंगी।
- विश्व में आर्थिक सहयोग के साथ-साथ समाज कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसमें शामिल देश वंचना और भय से मुक्त विश्व की रचना के लिए प्रयास करेंगे।
- इसमें शामिल देश सागरों की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे।
- आक्रांता देशों को निरस्त्र करना होगा और युद्ध के बाद सबका निरस्त्रीकरण होगा।

क्या आप जानते हैं?

किसी ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए।

अटलांटिक चार्टर का हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज कभी मौजूद नहीं रहा। एक के बाद एक कई मसौदों के बाद ब्रिटेन के युद्ध मंत्रिमंडल और अमेरिका ने एक-दूसरे को अंतिम सहमत पाठ के जरिए भेजा।

दिसम्बर 1944 में एक संवाददाता सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने स्वीकार किया कि "अटलांटिक चार्टर पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए।" याल्टा सम्मेलन का विवरण देते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने बताया कि रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के अलिखित संविधान के बारे में कहा था, "यह अटलांटिक चार्टर जैसा था, जो कहीं मौजूद नहीं था फिर भी सारी दुनिया को जिसकी खबर थी।"

ध्यान देने लायक बात यह है कि इस दस्तावेज में जोर देकर कहा गया था कि "विजेता और पराजित" दोनों को "बराबरी के आधार पर" बाजार में प्रवेश दिया जाएगा। पराजित देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर वैसे दंडात्माक प्रतिबंध लगाकर उन्हें कमजोर करने से साफ इंकार किया गया था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाए गए थे और जिन्हें दूसरा विश्व युद्ध भड़काने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार माना जाता है।

24 सितम्बर, 1941 को सेंट जेम्स पैलेस में इंटर-अलाइड काउंसिल की बैठक में बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड, सोवियत संघ और युगोस्लाविया की सरकारों तथा जनरल द गाल के प्रतिनिधियों ने अटलांटिक चार्टर में निर्धारित साझे नीति सिद्धांतों के पालन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स (संयुक्त राष्ट्र की घोषणा)

1942 के नव वर्ष दिवस पर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधियों ने डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स नाम के संक्षिप्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन 22 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारों ने शपथ ली कि युद्ध रोकने के अधिकतम प्रयास करेंगे और अलग से शांति के प्रयास नहीं करेंगे।

तीन वर्ष बाद जब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की तैयारियां हो रही थीं, तब केवल उन्हीं देशों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने एक्सिस देशों पर युद्ध की घोषणा की थी और मार्च 1945 तक डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स में शामिल हो गए थे।

डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स पर हस्ताक्षर (1 जनवरी, 1942). ■ *यूएन फोटो*

मॉस्को और तेहरान सम्मेलन

1943 तक मित्र देश ऐसे विश्व की रचना का संकल्प ले चुके थे, जिसमें "सभी देशों की जनता भय और वंचना से मुक्त जीवन जी सके।" किन्तु एक वैश्विक संगठन के आधार को अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका था। 30 अक्तूबर, 1943 को सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के विदेश मंत्रियों क्रमशः व्याचेस्लाव मोलोतोव, एंथ्टनी ईडन और कार्डेल हल के साथ सोवियत संघ में चीन के दूत फू पिंग शेन ने मॉस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें "शीघ्रातिशीघ्र व्यवहार्य तिथि पर एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता को मान्यता दी गई, जो सभी शांतिप्रिय देशों की प्रभुसत्तापूर्ण समानता के सिद्धांत पर आधारित हो और जिसकी सदस्यता छोटे और बड़े ऐसे सभी देश ले सकें। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए आवश्यक था।"

दिसम्बर 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेता, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ईरान की राजधानी तेहरान में मिले और घोषणा कर दी कि उन्होंने अंतिम विजय के लिए ठोस योजनाएं बना ली हैं।

डंबार्टन ओक्स और याल्टा

इस तरह संभावित वैश्विक संगठन के सिद्धांत तय कर दिए गए। फिर 1944 के शरद् में वाशिंगटन डीसी में डंबार्टन ओक्स में एक कारोबारी सम्मेलन के माहौल में चीन, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने इसके ढांचे पर चर्चा की। 7 अक्तूबर, 1944 को इन चारों शक्तियों ने इस वैश्विक संगठन के ढांचे का प्रस्ताव सभी संयुक्त राष्ट्र सरकारों और सभी देशों की जनता के सामने अध्ययन एवं चर्चा के लिए रखा।

डंबार्टन ओक्स प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के संगठन की चार मुख्य संस्थाएं होंगीः

- सभी सदस्यों की एक महासभा जिसके अंतर्गत एक आर्थिक और सामाजिक परिषद काम करेगी।
- 11 सदस्यों की सुरक्षा परिषद जिसमें पांच स्थायी सदस्य होंगे और छः सदस्यों का चुनाव महासभा के बाकी सदस्यों में से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाएगा।
- एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
- एक स्थायी सचिवालय।

इस योजना का मूल आधार यह था कि भविष्य में युद्ध रोकने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर होगी। महासभा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और कल्याण में बाधक हो सकने वाली परिस्थितियों को बदलने के बारे में अध्ययन, चर्चा और सिफारिशें करेंगी। महासभा शांति, सुरक्षा और निरस्त्रीकरण कायम रखने में सहयोग की समस्याओं पर विचार करेगी। किन्तु वह ऐसे किसी मामले में सिफारिश नहीं करेगी, जो सुरक्षा परिषद के विचाराधीन हो।

डंबार्टन ओक्स योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सदस्य देश युद्ध रोकने और आक्रामक गतिविधियों को दबाने के काम के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं को सुरक्षा परिषद को सौंपेंगे। संयोजकों में आमतौर पर सहमति थी कि ऐसी सैन्य शक्ति का अभाव शांति कायम रखने में लीग ऑफ नेशन्स तंत्र के लिए प्राण घातक कमजोरी माना गया था।

अधिक जानकारी!

हम बेहतर विश्व की रचना कर सकते हैं।

"आपने अभी-अभी जिस संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं वह एक ऐसी ठोस संरचना है जिस पर हम बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास इसके लिए आपका सम्मान करेगा। यूरोप में विजय और अंतिम विजय के बीच इस सबसे विनाशकारी युद्ध में आपने युद्ध पर ही विजय हासिल कर ली है। (.....) इस चार्टर के साथ विश्व ऐसे वक्त की प्रतीक्षा शुरू कर सकता है, जहां मानव मात्र को स्वतंत्रता के साथ शालीनता से रहने की अनुमति होगी।

"यदि हमने इसका उपयोग न किया तो हम उन सबके प्रति घात करेंगे जिन्होंने सिर्फ इसलिए प्राण दे दिए कि हम इसकी रचना के लिए स्वतंत्रता और सुरक्षा में मिल सकेंगे। यदि हमने इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए अर्थात किसी एक देश या देशों के छोटे से समूह के लिए किया, तब भी हम विश्वासघात के उतने ही दोषी होंगे।"

हैरी एस ट्रूमैन
अमेरिका के राष्ट्रपति,
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन

सुरक्षा परिषद में मतदान का वास्तविक तरीका, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था और डंबर्टन ओक्स में इसे भविष्य में चर्चा के लिए खुला छोड़ दिया गया था। इस पर क्राइमिया में याल्टा में चर्चा हुई, जहां चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन अपने विदेश मंत्रियों और सेनाध्यक्षों के साथ फिर सम्मेलन के लिए मिले थे। 11 फरवरी, 1945 को उन्होंने घोषणा की कि इस प्रश्न का समाधान कर लिया गया है और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाया।

सैन फ्रांसिस्को सम्मेलनःविश्व शांति की ओर

1945 के वसंत में 50 देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्र हुए। वे विश्व की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ऐसे संगठन की स्थापना के लिए कृतसंकल्प थे जो शांति की रक्षा करे और बेहतर विश्व के निर्माण में सहायक हो। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ऐसे दस्तावेज तैयार करना था, जो सभी देशों को स्वीकार्य हों और नए संगठन की स्थापना का मार्गदर्शन कर सकें।

क्या आप जानते हैं?

क्या आप जानते हैं?

"यूनाइटेड नेशन्स" नाम पहले-पहल अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया।

यूनाइटेड नेशन्स नाम का सुझाव अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूज्वेल्ट ने दिया था।

पहली बार आधिकारिक रूप से इसका उपयोग 1942 में किया गया, जब 26 देशों ने डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स पर हस्ताक्षर किए थे।

राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु चार्टर पर हस्ताक्षर से कुछ सप्ताह पहले ही हो गई थी। उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उपस्थित सभी व्यक्ति यूनाइटेड नेशन्स नाम अपनाने पर सहमत हो गए थे।

संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के चार्टर पर 26 जून 1950 को इन 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।

सम्मेलन में पोलैंड का प्रतिनिधित्व नहीं था क्योंकि उस समय तक वहां कोई नई सरकार नहीं बनी थी किन्तु पोलैंड ने 15 अक्तूबर, 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए और उसे संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य माना गया।

51 संस्थापक सदस्य देशों की सूची इस प्रकार है (अंग्रेजी वर्णमाला के अकारादि क्रम में देशों के नाम वही रखे गए हैं जो अक्तूबर 1945 में थे):

1. अर्जेंटीना
2. ऑस्ट्रेलिया
3. बेल्जियम
4. बोलीविया
5. ब्राजील
6. बेलारूस सोवियत समाजवादी गणराज्य
7. कनाडा
8. चिली
9. चीन
10. कोलंबिया
11. कोस्टारिका
12. क्यूबा
13. चेकोस्लोवाकिया
14. डेनमार्क
15. डोमिनिकन गणराज्य
16. इक्वाडोर
17. मिस्र
18. अल साल्वाडोर
19. इथियोपिया
20. फ्रांस
21. ग्रीस
22. ग्वाटेमाला
23. हैती
24. होंडुरास
25. भारत
26. ईरान
27. इराक
28. लेबनान
29. लाइबेरिया
30. लग्ज़मबर्ग
31. मैक्सिको
32. नीदरलैंड्स
33. न्यूजीलैंड
34. निकारागुआ
35. नॉर्वे
36. पनामा
37. पराग्वे
38. पेरू
39. फलस्तीन गणराज्य
40. पोलैंड
41. सऊदी अरब
42. सीरिया
43. तुर्की
44. यूक्रेन सोवियत समाजवादी गणराज्य
45. दक्षिण अफ्रीकी संघ
46. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर)
47. यूनाइटेड किंगडम (यूके)
48. संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)
49. उरुग्वे
50. वेनेजुएला
51. युगोस्लाविया

सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ सहित सम्मेलन में उपस्थित देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कर उसे आधिकारिक मान्यता दे दी। इस तरह 24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया।

संयुक्त राष्ट्र क्या है?

संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र देशों का एक अनूठा संगठन है जो विश्व शांति और सामाजिक प्रगति की दिशा में काम करने के लिए एकजुट हुए हैं। यह संगठन सिर्फ 51 देशों के साथ औपचारिक रूप से गठित हुआ। 2017 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई थी।

इसकी स्थापना के समय से ही किसी देश को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित नहीं किया गया। 1965 में मलेशिया के साथ किसी विवाद को लेकर इंडोनेशिया कुछ समय के लिए संगठन छोड़ गया था, लेकिन अगले ही वर्ष वापस आ गया।

देशों का मंच, विश्व, सरकार नहीं

सरकारें, देशों और जनता की प्रतिनिधि होती है। संयुक्त राष्ट्र न तो किसी एक सरकार और न ही किसी एक देश का प्रतिनिधि है। यह अपने सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और वही काम करता है जो सदस्य देश उसे सौंपने का निर्णय लेते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र चार्टर इसकी सभी गतिविधियों का मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसमें दिए गए दिशा-निर्देश प्रत्येक सदस्य देश के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ यह निर्धारण करते हैं कि सदस्यों ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए क्या करना जरूरी है। जब कोई देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेता है तो चार्टर के उद्देश्यों और नियमों को स्वीकार करता है।

ध्यान दें

संयुक्त राष्ट्र की राह

28 जून, 1919	|	लीग ऑफ नेशन्स का गठन
3 सितम्बर, 1939	|	पोलैंड पर आक्रमण: ब्रिटेन और फ्रांस ने राइख पर युद्ध की घोषणा की।
7 दिसम्बर, 1941	|	पर्ल हार्बर पर हमला: अमेरिका मित्र देशों में शामिल।
12 जून, 1941	|	सेंट जेम्स पैलेस घोषणा।
14 अगस्त, 1941	|	अटलांटिक चार्टर का अनुमोदन।
1-2 जनवरी, 1942	|	डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स
अक्तूबर-दिसम्बर 1943	|	मॉस्को और तेहरान सम्मेलन।
ग्रीष्म/शरद 1944	|	डंबार्टन ओक्स प्रस्ताव।
11 फरवरी, 1945	|	याल्टा सम्मेलन।
8 मई, 1945	|	यूरोप में मित्र सेना का विजय का दावा।
26 जून, 1945	|	सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुमोदन।
24 अक्तूबर, 1945	|	संयुक्त राष्ट्र का गठन।
10 जनवरी, 1946	|	लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र, 51 देशों के प्रतिनिधि शामिल।

संयुक्त राष्ट्र ध्वज ■ यूएन फोटो/जॉन आइजक

प्रतीक चिन्ह

मूल प्रतीक चिन्ह सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के लिए डिजाइन किया गया था। मामूली फेरदबदल के बाद 7 दिसम्बर, 1946 को उसे संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह मान लिया गया।

इस डिजाइन में विश्वम के मानचित्र को जैतून की आड़ी-तिरछी शाखाओं के चक्र में बांधा गया है। विश्व मानचित्र उत्तरी ध्रुव पर केन्द्रित है और 7 डिग्री दक्षिण देशांतर तक विस्तारित है। इस तरह सभी देशों को दिखाया गया है और कोई केन्द्र में नहीं है, जो सभी देशों की बराबरी का प्रतीक है। जैतून की शाखाएं शांति की प्रतीक हैं।

मूल रंग धुंधले नीले के ऊपर सुनहरा था और जल क्षेत्र सफेद थे।

ध्वज

संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक ध्वज को 20 अक्तूबर 1947 में अपनाया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को नीली पृष्ठ भूमि पर श्वेत रंग में दिखाया गया है। यह प्रतीक चिन्ह ध्वज के पूरी तरह केन्द्र में उसकी ऊंचाई का आधा हिस्सा है।

क्या आप जानते हैं?

संयुक्ता राष्ट्र के चार मुख्य उद्देश्य हैं:

- दुनिया भर में शांति रखना।
- देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना।
- गरीबों का जीवन सुधारना, भूख, बीमारी और निरक्षरता मिटाना तथा एक-दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना।
- इन लक्ष्यों को हासिल करने में राष्ट्रों की मदद के लिए केन्द्र के रूप में काम करना।

संगठन की संरचना

लगभग सारी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र का काम उसके छः मुख्य अंग करते हैं।

- महासभा
- सुरक्षा परिषद
- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
- ट्रस्टीशिप परिषद
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
- सचिवालय

यह सभी अंग न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड्स में है।

15 विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ तालमेल से काम करती हैं। इसके अलावा 24 संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, कोष, संस्थान और अन्य संस्थाएं हैं जिनकी अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां हैं। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संगठन परिवार स्वास्थ्य, खाद्य एवं कृषि, दूरसंचार, पर्यटन, श्रम, डाक सेवाएं, पर्यावरण, नागरिक उड्डयन, बच्चों, परमाणु ऊर्जा, सांस्कृतिक संरक्षण, विज्ञान, शरणार्थी, बौद्धिक सम्पदा, लैंगिक समानता, मादक पदार्थ, अपराध और आतंकवाद, मानव बस्ती, जहाज रानी और मौसम जैसे विविध क्षेत्रों पर केन्द्रित है। यह सभी संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ मिलकर काम करती हैं और इन्हें मिलाकर ही संयुक्त राष्ट्र तंत्र बनता है।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। अर्थात जिस जमीन पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है, उसका स्वामित्व सिर्फ मेजबान देश अमेरिका ही नहीं, सभी सदस्यों के पास है। संयुक्त राष्ट्र का अपना ध्वज है और उसके अपने सुरक्षा अधिकारी इस क्षेत्र की पहरेदारी करते हैं। उसका अपना डाकघर है और अपने डाक टिकट जारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के डाक टिकट सिर्फ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से अथवा जिनेवा और विएना से संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिसर में मौजूद किताबों की दुकान पर संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रासंगिक विषयों की पुस्तकें मिलती हैं।

सदस्यता और बजट

संयुक्त राष्ट्र के बजट की तीन अलग-अलग धाराएं हैं:

- एक नियमित बजट जो न्यूयॉर्क में मुख्यालय, जिनेवा, नैरोबी और विएना में प्रधान क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न देशों में फील्ड कार्यालयों के मूल क्रियाकलापों में इस्तेमाल होता है।
- शांतिरक्षण बजट, जो अक्सर दुनिया भर में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांतिरक्षण गतिविधियों पर खर्च होता है।

न्यूयॉर्क में वर्तमान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय। ■ यूएन फोटो

- तंजानिया में अरूशा में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा और नीदरलैंड में द हेग में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर युगोस्लाविया के लिए बजट।

क्या आप जानते हैं?

प्रतीक इमारत

1946 में लंदन में अपनी पहली बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अमेरिका में बनाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के निर्माण के लिए फिलाडेलफिया, बोस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को जैसे कई नामों पर विचार हुआ और आखिरकार महासभा वर्तमान स्थल पर मुख्यालय बनाने के लिए इसलिए राजी हुई कि जॉन डी रॉकफैलर जूनियर ने अंतिम क्षणों में 85 लाख डॉलर का उपहार दिया। बाद में न्यूयॉर्क सिटी ने अतिरिक्त संपत्ति दान में दे दी।

1940 के दशक के मध्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए जो जगह चुनी गई थी, वह बूचड़खानो, रेल गैराज और अन्य वाणिज्यिक इमारतों का पुराना सा इलाका था।

24 अक्तूबर, 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव त्रिग्वे लाई ने 39 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। 21 अगस्त, 1950 को सचिवालय कर्मी अपने नए कार्यालयों में आने लगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय इमारत का डिजाइन 11 वास्तुकारों के अंतर्राष्ट्रीय दल ने किया जिनमें ऑस्कर निमेयर (ब्राजील) और ली कोर्बुजिए (स्विटजरलैंड/फ्रांस) शामिल थे।

संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रकार के बजट के लिए अंशदान अनिवार्य हैं। सदस्य देश सर्वसम्मत पैमाने के अनुसार भुगतान करते हैं। इस पैमाने की हर तीन वर्ष में समीक्षा होती है और यह प्रत्येक देश की भुगतान क्षमता, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या पर आधारित होता है।

संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत आने वाले विशेषज्ञ संगठनों का बजट संयुक्त राष्ट्र के पहले वर्णित चारों बजट से अलग है। उनके अधिकतर संसाधन सरकारों, व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान से आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 2017 में सबसे बड़े अंशदाता:

सदस्य देश	अंशदाता (अमेरिकी डॉलर)	अंशदाता (बजट प्रतिशत)
अमेरिका	610 836 578	22.0%
जापान	268 768 094	9.7%
चीन	219 928 933	7.9%
जर्मनी	177 392 495	6.4%
फ्रांस	134 911 588	4.9%
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड	123 916 530	4.5%
ब्राजील	106 146 738	3.8%
इटली	104 064 341	3.7%
रूस परिसंघ	85 739 243	3.1%
कनाडा	81 102 438	2.9%
स्पेन	67 830 626	2.4%
ऑस्ट्रेलिया	64 887 504	2.3%
कोरिया गणराज्य	56 613 445	2.0%
नीदरलैंड्स	41 148 173	1.5%
मैक्सिको	39 843 204	1.4%

स्रोत: www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/955

2017 में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण गतिविधियों में 10 प्रमुख वित्तीय अंशदाता

1.	अमेरिका	28.5%
2.	चीन	10.3%
3.	जापान	9.7%
4.	जर्मनी	6.4%
5.	फ्रांस	6.3%
6.	यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड	5.8%
7.	रूसी परिसंघ	4.0%
8.	इटली	3.8%
9.	कनाडा	2.9%
10.	स्पेन	2.4%
	अन्य सदस्य राष्ट्र	20.1%

स्रोत: www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/331/Add.1

धन का सही उपयोग

संयुक्त राष्ट्र के लिए नियमित बजट का अनुमोदन महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए करती है। वर्ष 2016-17 के लिए 5.4 अरब डॉलर के बजट को मंजूरी मिली। इसमें अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के लिए भुगतान होता है।

शांतिरक्षण के लिए 1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तक के लिए अनुमोदित बजट 7.87 अरब डॉलर का था, इसकी तुलना में दुनिया, हर वर्ष करीब 2 खरब डॉलर सेना पर खर्च करती है। शांति, युद्ध की तुलना में कहीं अधिक सस्ती है और पैसे का सदुपयोग करती है।

संयुक्त राष्ट्र के लिए धन (2017)

संयुक्त राष्ट्र का अधिकतर काम सभी सदस्य देशों के अंशदान से प्राप्त धन से चलता है। वाणिज्यिक गतिविधियों (संचालित यात्राओं, प्रकाशनों, डाटाबेस, ऐप्प की बिक्री आदि) से या संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी विशेष प्रोजैक्ट या कार्यक्रम के लिए प्रबंधित ट्रस्ट फंड में सार्वजनिक अथवा निजी संस्थाओं से मिलने वाले दान से अतिरिक्त राशि आती है।

संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेना

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सदस्यता "उन सभी शांतिप्रिय देशों के लिए खुली है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निर्धारित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और संगठन के निर्णय में इन दायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ हैं।" देशों को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय से प्रवेश दिया जाता है।

संक्षेप में प्रक्रिया इस प्रकार है:

- अनुरोध करने वाला देश अथवा इकाई महासचिव को एक आवेदन भेजेते हैं और एक औपचारिक पत्र देते हैं जिसमें कहा जाता है कि वे चार्टर के अंतर्गत दायित्वों को स्वीकार करते हैं।
- सुरक्षा परिषद आवेदन पर विचार करती है। प्रवेश के लिए किसी भी सिफारिश को परिषद के 15 में से नौ सदस्यों का समर्थन वोट मिलना जरूरी है और पांचों स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूसी परिसंघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में से किसी ने भी आवेदन के विरोध में मत न दिया हो।
- यदि परिषद प्रवेश की सिफारिश करती है तो उसे महासभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी नए देश को प्रवेश देने के लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है।
- सदस्यता प्रवेश का प्रस्ताव पारित होने के दिन से लागू होती है।

स्थायी पर्यवेक्षक राष्ट्र

दुनिया के जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं किन्तु एक या अधिक विशेषज्ञ एजेंसी के सदस्य हैं वे स्थायी पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थायी पयर्वेक्षक का दर्जा विशुद्ध रूप से प्रथा के

अनुसार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रथा 1946 में शुरू हुई थी, जब तत्कालीन महासचिव ने तटस्थ स्विटजरलैंड को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दे दी थी। स्विटजरलैंड 2002 में सदस्य राष्ट्र बना। 2017 तक होली सी (वैटिकन सिटी) स्थायी पर्यवेक्षक दर्जे वाला एक मात्र प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र था और फलस्तीन इस दर्जे वाली एक मात्र इकाई था। अनेक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महासभा के कार्य और वार्षिक सत्रों के पर्यवेक्षक हैं।

आधिकारिक भाषाएं

संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं-अरबी, चाइनीज अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनी है। कामकाज की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है।

बैठकों के दौरान प्रतिनिधि किसी भी आधिकारिक भाषा में बोल सकते हैं और उनके भाषण का साथ--साथ अन्य आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश आधिकारिक दस्तावेज भी सभी 6 आधिकारिक भाषाओं में जारी किए जाते हैं।

कभी-कभी कोई प्रतिनिधि गैर-आधिकारिक भाषा में वक्तव्य देना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि को किसी एक आधिकारिक भाषा में अनुवाद की व्यवस्था करनी होती है अथवा वक्तव्य का लिखित पाठ देना होता है।

क्या आप जानते हैं?

सदस्यता 1945 में 51 से बढ़कर आज 193 हो गई है

दक्षिण सूडान 9 जुलाई, 2011 को आधिकारिक रूप से सूडान से अलग हो गया था।

17 जुलाई, 2011 को महासभा ने दक्षिण सूडान गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य के रूप में प्रवेश दिया और नवस्वतंत्र देश का विश्व समुदाय ने स्वागत किया।

दक्षिण सूडान का राष्ट्रीय ध्वज (बाएं से चैथा) 193वें सदस्य देश के रूप में प्रवेश मिलने के बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फहरा रहा है। ■ यूएन फोटो/जे. सी. मकिलवेन

अध्याय 2

संयुक्त राष्ट्र परिवार

संयुक्त राष्ट्र परिवार के बारे में संक्षिप्त तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना पहले-पहल 1 जनवरी, 1942 को युद्धकालीन गठजोड़ के रूप में की गई थी। 24 अक्तूबर, 1945 को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की स्मृति में हर वर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र के चार उद्देश्य हैं: (1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण (2) देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास (3) अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहयोग एवं मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का संवर्धन और (4) देशों की कार्रवाइयों के बीच तालमेल के केन्द्र के रूप में काम करना। इस प्रयास में 30 से अधिक संबद्ध संगठन सहयोग करते हैं। उन्हें मिलाकर संयुक्त राष्ट्र तंत्र बनता है और सबके अपने--अपने निश्चित कार्य क्षेत्र हैं।

- संयुक्त राष्ट्र कोई विश्व सरकार नहीं है किन्तु यह अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान में मदद करने के लिए साधन प्रदान करता है और हम सबको प्रभावित करने वाले मामलों में नीतियां बनाता है। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है, जहां सभी देश मिलकर मानव अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्र और आतंकवाद से संघर्ष जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे विषयों पर चर्चा और विस्तृत विचार-विमर्श करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू कराते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र में बड़े-छोटे, अमीर और गरीब, भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक प्रणालियों वाले सभी सदस्यों की आवाज सुनी जाती है और महासभा में फैसले लेने में मतदान का अधिकार होता है।

- संयुक्त राष्ट्र तंत्र मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाने, गरीबी कम करने, रोगों से लड़ने और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के साथ-साथ महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त कराने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को संरक्षण देने के प्रयासों का नेतृत्व करता है।

- संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के काम करती हैं। इनमें शरणार्थियों को सहायता देना, एड्स और मलेरिया से लड़ना, आहार उत्पादन बढ़ाना, सैनिकों को संरक्षण देने, सबके लिए शिक्षा को समर्थन देना और प्राकृतिक आपदाओं एवं सशस्त्र संघर्षों के बाद सहायता प्रदान करना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संगठन के छः मुख्य अंग स्थापित किए गए हैं। उनकी संरचना और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है।

महासभा

महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों (वर्तमान 193 देश) का प्रतिनिधित्व है अमीर या गरीब, बड़े या छोटे हर देश का एक वोट है:

- चीन की आबादी 1.379 अरब है और उसका एक वोट है, जबकि तुवालू की आबादी 11,097 है (2016), उसका भी एक वोट है।
- दुनिया में सबसे बड़े देश रूसी परिसंघ का भी एक वोट है और न्यूयॉर्क सिटी सेंट्रल पार्क के आकार जितनी बड़ी मोनाको रियासत का भी एक वोट है।

यदि कोई सदस्य देश अपना बकाया अंशदान नहीं जमा करा पाता और पहले के दो वर्ष के लिए बकाया अंशदान के बराबर अथवा उससे अधिक राशि देय हो जाती है तो वह मतदान का अधिकार खो सकता है। किन्तु यदि सदस्य देश साबित कर सके कि वह अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अंशदान नहीं दे पाया है तो उसे छूट मिल सकती है।

महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, नए सदस्य देशों को प्रवेश देने और संयुक्त राष्ट्र के बजट जैसे मुद्दों पर निर्णय दो-तिमाही बहुमत से लिए जाते हैं। अन्य मुद्दों के लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। हाल के वर्षों में औपचारिक मतदान के बजाय आम सहमति से फैसले लेने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

महासभा कक्ष में सभी शिष्टमंडल बैठ सकते हैं। हर शिष्टमंडल के लिए छः सीट हैं। इसके अलावा मीडिया और जनता के लिए अलग दीर्घा है। कुल 1898 सीटें हैं। ■ *यूएन फोटो/मार्को कास्त्रो*

महासभा का नियमित सत्र सितम्बर के तीसरे सप्ताह में मंगलवार से शुरू होता है और वर्ष भर चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र शुरू होने के समय महासभा में आम बहस होती है जिसमें शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष व अन्य व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़े मुद्दों के व्यापक एजेंडा पर अपने विचार रखते हैं। इनमें युद्ध और आतंकवाद से लेकर रोग और गरीबी तक विविध प्रकार के मुद्दे शामिल हैं।

प्रत्येक वर्ष महासभा एक अध्यक्ष का चुनाव करती है जो बैठकों की अध्यक्षता करता है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए देशों के पांच समूहों को बारी-बारी से अध्यक्षता सौंपी जाती है:

- अफ्रीकी देश
- एशियाई देश
- पूर्वी यूरोपीय देश
- लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश
- पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश

क्रियाकलाप

महासभा एक मुख्य अंग है जो:

- ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा और सिफारिश करती है जिस पर उसी समय सुरक्षा परिषद में विचार न किया जा रहा हो।
- सैन्य संघर्षों और हथियारों की होड़ से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करती है।
- बच्चों, शरणार्थियों, महिलाओं और बहुत से अन्य समूहों की स्थिति सुधारने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करती है।
- सतत् विकास और मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती है।
- यह निर्णय करती है कि प्रत्येक सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र को कितना अंशदान देना चाहिए और इस धन को कैसे खर्च किया जाना चाहिए।

मुख्य समितियां

महासभा के सामने विचार के लिए इतने अधिक प्रश्न आते हैं कि वह उन्हें अपनी छः मुख्य समितियों और अन्य सहायक अंगों में बांट देती हैं। ये समितियां और अंग इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जहां तक हो सके विभिन्न देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मसौदा प्रस्ताव और निर्णय विचारार्थ महासभा की पूर्ण बैठक में प्रस्तुत करते हैं।

छः मुख्य समितियां हैं:

- पहली समिति निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार करती है।

- दूसरी समिति आर्थिक और वित्तीय प्रश्नों में विशेषज्ञ है।
- तीसरी समिति के विचारणीय विषय सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक हैं।
- चैथी समिति विशेष राजनीतिक मुद्दों और उपनिवेश समाप्त करने से जुड़े प्रश्नों पर विचार करती है।
- पांचवीं समिति प्रशासनिक एवं बजट से जुड़े मुद्दों पर विचार करती है।
- छठी समिति कानूनी विषयों की समीक्षा करती है।

महासभा द्वारा हाल में की गई कार्रवाई के उदाहरण

- सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने ऐतिहासिक 2030 सतत् विकास एजेंडा अपनाया जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य और संबद्ध 169 उद्देश्य तय किए गए हैं जिन्हें दुनिया भर में 2030 तक हासिल किया जाना है। सतत् विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की बुनियाद पर खड़े हैं जिन्हें महासभा में सन् 2000 में अपनाया था।
- दिसम्बर, 2010 में महासभा ने 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया। जैव विविधता का संरक्षण हमारे अपने हित में है। जैविक संसाधनों के स्तंभों पर ही हम सभ्यताओं का निर्माण करते हैं। जैव विविधता को क्षति होने से खाद्य आपूर्ति, मनोरंजन और पर्यटन के लिए हमारे अवसर और लकड़ी, औषधि एवं ऊर्जा के लिए हमारे संसाधन खतरे में पड़ जाते हैं। यह आवश्यक पारिस्थितिकी क्रियाओं में भी हस्तक्षेप करती है।
- जुलाई, 2010 में महासभा ने यूएन वुमैन की रचना की। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में संगठन के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। यूएन वुमैन में उससे पहले की चार अलग-अलग संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के संसाधनों और अधिकार क्षेत्र को मिला दिया गया है ताकि उनका प्रभाव अधिक हो सके। महिलाओं को सशक्त करने शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है जिससे देश में विकास का अवसर बढ़ता है।

सुरक्षा परिषद

महासभा में दुनिया के किसी भी सरोकार पर चर्चा हो सकती है, किन्तु सुरक्षा परिषद का मूल दायित्व शांति और सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों का है।

क्रियाकलाप

सुरक्षा परिषद एक मुख्य अंग है जोः

- किसी भी ऐसी स्थिति या विवाद की छानबीन करती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भड़कने की आशंका हो।
- समाधान के तरीकों शर्तों की सिफारिश करती है।
- आक्रमण की किसी भी धमकी अथवा कार्रवाई के विरुद्ध कदम उठाने की सिफारिश करती है।

सुरक्षा परिषद का यह कक्ष नार्वे ने उपहार में दिया है। इसका डिजाइन नार्वे के कलाकार अर्नस्टेन अर्नेबर्ग ने तैयार किया हैं। पर क्रोग (नार्वे) का बनाया एक विशाल भित्ति चित्र समूची पूर्वी दीवार पर लगा है। यह भविष्य में शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आशा का प्रतीक है। ■ यूएन फोटो/रियाक बार्योनास

- महासभा से सिफारिश करती है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव किसे नियुक्त किया जाना चाहिए।

सदस्यता

सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। इनमें पांच स्थायी सदस्य देश हैंः चीन, फ्रांस, रूसी परिसंघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। अन्य दस अस्थायी सदस्यों का चुनाव भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए करती है।

कुछ सदस्य देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता में परिवर्तन की वकालत कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि विश्व के कुछ और सबसे बड़े देशों को शांमिल कर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। उनका तर्क है कि सुरक्षा परिषद का 70 प्रतिशत काम अफ्रीका के मुद्दों से जुड़ा है फिर भी उस महाद्वीप को स्थायी प्रतिनिधित्व नही मिला है।

क्या आप जानते हैं?

पांच देशों को वीटो का अधिकार है

दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर चीन, फ्रांस, सोवियत संघ (जिसकी जगह 1990 में रूसी परिसंघ ने ले ली), यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रचनाकारों ने सोचा कि ये पांचों देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। इसलिए इन पांचों देशों को मतदान का विशेष अधिकार दिया गया जिसे अनाधिकारिक रूप से "वीटो का अधिकार" कहा जाता है। मसौदा तैयार करने वालों में यह सहमति थी कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से यदि इन पांच बड़े देशों में से किसी एक ने भी विरोध में मत दिया तो वह प्रस्ताव या निर्णय पास नहीं किया जा सकता।

बैठकें

महासभा के विपरीत सुरक्षा परिषद की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। इसकी बैठक किसी भी समय और बहुत अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है। सदस्य बारी-बारी से एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। वे अपने देश के नाम के अंग्रेजी भाषा के अकारादि क्रम के अनुसार यह पद लेते हैं।

सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए जरूरी है कि 15 में से 9 सदस्य उसके पक्ष में वोट दें। किन्तु यदि पांच स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी 'न' में वोट दिया जिसे अक्सर वीटो कहा जाता है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

सुरक्षा परिषद की कार्रवाई के उदाहरण

मार्च, 2016 में सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण करने और लंबी दूरी के मिसाइल छोड़ने के जवाब में उस पर सर्वसम्मति से नए प्रतिबंध लगा दिए। मार्च, 2017 में परिषद ने प्रतिबंधों की व्यवस्था की निगरानी की अवधि बढ़ा दी।

जुलाई, 2011 में दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद सुरक्षा परिषद ने शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने और नए देश के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा करने के प्रयास में दक्षिण सूडान गणराज्य के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूनाइटेड नेशन्स मिशन इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान, यूएनएमआईएसएस) की स्थापना की।

परिषद ने 1990 के दशक में तत्कालीन युगोस्लाविया और रवांडा में मानवता के प्रति युद्ध अपराधों एवं अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने के वास्ते दो अंतर्राष्ट्रीय दंड ट्राइब्यूनल गठित किए।

11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमलों के बाद परिषद ने आतंकवाद से सामना करने की क्षमता बढ़ाने में देशों की मदद के लिए काउंटर टेररिज्म कमिटी स्थापित की।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी)

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, व्यापार, परिवहन एवं आर्थिक विकास जैसे आर्थिक मुद्दों और गरीबी एवं बेहतर आजीविका जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का मंच है। यह देशों को इस बारे में समझौते करने में मदद देता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसे सुधारें, सार्वभौम अधिकारों तथा हर जगह लोगों की स्वतंत्रता के पालन और उनके प्रति सम्मान को कैसे बढ़ावा दें।

क्रियाकलाप

आर्थिक एक सामाजिक परिषद एक मुख्य अंग है जो:

- रहन-सहन के ऊंचे स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देती है।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान तलाशती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग में मदद करती है।
- मानव अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के लिए सर्वत्र सम्मान को प्रोत्साहित करती है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पास इन मुद्दों पर अध्ययन करने या कराने और रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार है। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की

तैयारी और आयोजन में शामिल होती है तथा इन सम्मेलनों की बाद की व्यावहारिक कार्रवाई से जुड़ी रहती है।

सदस्यता

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का है। परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है। प्रत्येक सदस्य का एक वोट है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हर वर्ष अनेक लघु सत्र आयोजित करती है जो उसके अपने काम की योजना को समर्पित होते हैं और जिनमें अक्सर प्रबुद्ध समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। परिषद जुलाई में हर वर्ष चार सप्ताह का एक विस्तृत सत्र भी आयोजित करती है जिसमें सभी संबद्ध देशों के लिए प्रमुख या व्यावहारिक महत्व के विषयों पर चर्चा होती है। यह सत्र बारी-बारी से जिनेवा और न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है।

सहायक संस्थाएं

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले विविध विषयों के प्रशासन के लिए अलग-अलग विषय आधारित आयोग गठित किए गए हैं:

- मादक पदार्थ आयोग।
- सामाजिक विकास आयोग।
- जनसंख्या एवं विकास संबंधी आयोग।
- सांख्यिकी आयोग।
- अपराध रोकथाम एवं दंड न्याय संबंधी आयोग।
- महिलाओं की स्थिति से संबद्ध आयोग।
- विकास के लिए विज्ञान और टैक्नॉलॉजी आयोग।
- यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट।

परिषद पांच क्षेत्रीय आयोगों का निर्देशन भी करती है:

- अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग (ईसीए)।
- यूरोप के लिए आर्थिक आयोग (ईसीई) जो उत्तर अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के देशों से भी संबद्ध है।
- लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई आर्थिक आयोग (ईसीएलएसी)।
- एशिया-प्रशान्त के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्केप)।
- पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीडब्ल्यूए), जो एशिया और उत्तर अफ्रीका में स्थित अरब देशों से भी संबद्ध है।

ट्रस्टीशिप परिषद

1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 11 गैर स्व-शासी क्षेत्रों (अधिकतर अफ्रीका और प्रशांत महासागर में) को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखा गया। ट्रस्टीशिप परिषद के मुख्य लक्ष्य ऐसे

ध्यान दें

उपनिवेशों की समाप्ति

1945 में दुनिया के आधे निवासी ऐसे देशों में रहते थे जिनका प्रशासन बाहर से चलता था। यह देश उपनिवेश कहलाते थे और इनका नियंत्रण मुट्ठी भर प्रमुख, अधिकतर-पर केवल नहीं-यूरोपीय देशों के हाथ में था। उपनिवेश समाप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में मदद दी। 1960 में महासभा ने सभी उपनिवेशों और निवासियों को तेजी से स्वतंत्र करने का आग्रह करते हुए एक घोषणा का अनुमोदन किया। अगले वर्ष उसने उपनिवेश समाप्त करने के बारे में एक विशेष समिति गठित की। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के परिणामस्वरूप 80 से अधिक पूर्व उपनिवेश अब स्वयं संगठन के सदस्य हैं।

आज भी करीब दस लाख लोग निर्भर क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से अनेक क्षेत्र-अधिकतर लघु एवं अलग-थलग द्वीप- अपनी बाहरी प्रशासनिक सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने अपने मामलों के प्रबंध के लिए स्वायत्त स्थानीय संस्थाएं बना ली हैं। किन्तु 1976 में जब स्पेन ने प्रशासनिक सत्ता से हटने का फैसला कर लिया तब से अभी तक पश्चिमी सहारा की स्थिति निश्चित नहीं हो सकी है। संयुक्त राष्ट्र इस पर ध्यान दे रहा है। 1991 में पश्चिमी सहारा में जनमत संग्रह के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन (एमआईएनयूआरएसओ) की स्थापना की गई। जनमत संग्रह पर चर्चा चल रही है। इसमें क्षेत्र के निवासियों को तय करना है कि वे प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं अथवा मोरक्को के साथ एकीकरण चाहते हैं।

ट्रस्ट क्षेत्रों के निवासियों की प्रगति को बढ़ावा देने और उन्हें स्व-शासन या स्वतंत्रता की तरफ ले जाने के थे।

सदस्यता

ट्रस्टशिप परिषद में सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूसी परिसंघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका) शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य का एक वोट है और फैसले साधारण बहुमत से लिए जाते हैं।

बैठकें

पूर्व में अमेरिका द्वारा प्रशासित अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाउ ने 1994 में अपनी सरकार बना ली और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राष्ट्र बन गया। इस कारण परिषद ने करीब आधी शताब्दी बाद अपनी गतिविधियां औपचारिक रूप से स्थगित कर दीं। अब आवश्यकता पड़ने पर उसकी बैठक फिर हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व न्यायालय भी कहलाता है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से की गई और इसने अपना काम अप्रैल 1946 में शुरू किया। यह न्यायालय द हेग (नीदरलैंड) में पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के छः मुख्य अंगों में से केवल यही न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है।

क्रियाकलाप

न्यायालय एक मुख्य अंग है जो:

- राष्ट्रों द्वारा लाए गए कानूनी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशेषज्ञ एजेंसियों की ओर से मिले कानूनी प्रश्नों पर परामर्श राय देता है।

कोई भी देश अन्य देशों के साथ अपने मतभेदों का निष्पक्ष समाधान कराने के लिए विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाता है। भूमि सीमाओं, समुद्री सीमाओं और क्षेत्रीय प्रभुसत्ता जैसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अक्सर विवादों को ऐसे बड़े संघर्षों में भड़कने से रोका है जिनमें जान की क्षति हो सकती है।

न्यायालय द्वारा लिए गए सभी फैसले अंतिम होते हैं और उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

सदस्यता

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायधीश होते हैं जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद से होता है। एक ही देश से दो न्यायधीश नहीं हो सकते और कोई भी फैसला 9 न्यायधीशों के बहुमत से लिया जाता है। न्यायालय का प्रशासनिक अंग रजिस्ट्री है।

द हेग, नीदरलैंड में पीस पैलेस के लिए फ्रेंच वास्तुकार लुई कॉरदोरनियर का डिजाइन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुआ था। इस भवन में 1913 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उससे पहले के संगठन स्थित हैं। ■ यूएन फोटो

मुकदमे और परामर्श राय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसलों में आर्थिक अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, निकासी के अधिकारों, सेना के उपयोग, देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, राजनयिक संबंधों, बंधक बनाए जाने, शरण और राष्ट्रीयता के अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किया है।

1946 से 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने करीब 165 मुकदमे सुने हैं, राष्ट्रों द्वारा लाए गए विवादों पर अनेक फैसले दिए हैं और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर परामर्श राय दी है। 1970 के दशक तक न्यायालय ने किसी भी समय केवल एक या दो मुकदमों की सुनवाई की। किन्तु उसके बाद से न्यायालय में आने वाले मुकदमो की संख्या बहुत बढ़ गई। 2017 में न्यायालय में 15 मुकदमे विचाराधीन थे। इनमें यूक्रेन बनाम रूसी परिसंघ मुकदमे पर सुनवाई चल रही थी।

न्यायालय ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की अनुमति संयुक्त राष्ट्र की सेवा के दौरान घायल होने के लिए मुआवजा, पश्चिमी सहारा की क्षेत्रीय हैसियत और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल उनके खतरे वैधानिकता जैसे विषयों पर परामर्श राय दी है।

सचिवालय

महासचिव के नेतृत्व में सचिवालय में दुनिया भर के देशों से आए कर्मचारी काम करते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य चलाते हैं। उनके कर्तव्य उतने ही विविध हैं जितनी संगठन के सामने आने वाली समस्याएं। इनमें शांतिरक्षण गतिविधियों के प्रशासन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता और सामाजिक एवं आर्थिक रुझानों के सर्वेक्षण तक विभिन्न कार्य शामिल हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को सेवाएं देता है और उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं नीतियों का प्रशासन करता है।

क्रियाकलाप

सचिवालय एक मुख्य अंग है जो:

- शांति रक्षण गतिविधियों का प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता और मानवीय राहत कार्यक्रमों का संयोजन करता है।
- आर्थिक एवं सामाजिक रुझानों का सर्वेक्षण, मानव अधिकारों, सतत् विकास और सरोकार के अन्य क्षेत्रों में अध्ययनों की तैयारी एवं विभिन्न प्रकाशनों की रचना करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का आधारभूत कार्य करता है।
- दुनिया-मीडिया, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, शोध और शिक्षा नेटवर्कों, स्कूलों और कॉलेजों तथा आम जनता- को संयुक्त राष्ट्र के काम की जानकारी देता है।
- संयुक्त राष्ट्र के फैसलों पर अमल में सहायता करता है।
- मानवता के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है।
- भाषणों और दस्तावेज का संयुक्त राष्ट्र की छः आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद कराता है।

अधिक जानकारी!

मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अभिन्न अंग है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह मानवीय गरिमा के सार्वभौम आदर्शों के प्रति विश्व के संकल्प का प्रतीक है। यह कार्यालय दुनिया भर में मानव अधिकारों के प्रसार और पालन में सभी सरकारों की मदद करता है।

मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय न्याय, प्रशासन, वैधानिक सुधार और चुनाव प्रक्रिया में विशेषज्ञता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है जिससे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों को अपनाने में मदद मिलती है।

मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय अन्य संस्थाओं को भी मानव अधिकारों के संरक्षण में सहायता देता है; सभी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को अपने अधिकारों और वैध आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है; राष्ट्रीय और गैर-राष्ट्रीय तत्वों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर आवाज उठाता है। आज भी मानव अधिकार उल्लंघन अनेक घटनाएं हो रही हैं जिनकी संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र और तटस्थ जांच किए जाने की आवश्यकता है।

महासचिव

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महासचिव को संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कहा गया है, जो इस पद के अनुसार वे सभी काम करेगा जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों द्वारा सौंपे जाएंगे।

महासचिव की सहायता के लिए सभी देशों से आए कर्मचारी होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। वे पारंपरिक राजनयिक नहीं होते जो किसी एक देश और उसके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी सभी 193 सदस्य देशों के लिए काम करते हैं। वे सरकारों से नहीं बल्कि महासचिव से आदेश लेते हैं। वे राजनीतिक और अन्य प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं और संगठन के हितों को अपने हितों से ऊपर रखते हैं।

क्या आप जानते हैं?

महासचिव अकेले कार्रवाई नहीं करते

महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के समर्थन और अनुमोदन के बिना कार्रवाई नहीं करते।

चाहे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति रक्षण सेना भेजनी हो अथवा युद्ध या प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण में किसी देश की मदद करनी हो कार्रवाई का निर्धारण सदस्य देश ही करते हैं।

महासचिव की भूमिका

महासचिव:

- महासभा अथवा संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग में चर्चा कराने के लिए मुद्दों का प्रस्ताव करते हैं।
- ऐसी किसी भी समस्या को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाते हैं जो उनकी राय में विश्व शांति के लिए खतरा हो सकती है।
- सदस्य देशों के बीच विवादों में 'रैफरी' की भूमिका निभाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होने, भड़कने या फैलने से रोकने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक और निजी उपाय करते हैं, महासचिव की स्वतंत्रता,

ध्यान दें

एंटोनियो गुटेरेस, महासचिव

एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव के रूप में 1 जनवरी, 2017 को कार्यभार संभाला।

शरणार्थी शिविरों और युद्ध क्षेत्रों में सबसे लाचार लोगों की पीड़ा देख चुके श्री गुटेरेस ने मानवीय गरिमा को अपनी गतिविधियों का मूल केन्द्र बनाने और शांति मध्यस्थ, सेतु बंधक और सुधार एवं नवाचार का प्रसारक बनने का संकल्प लिया।

श्री गुटेरेस जून, 2005 से दिसम्बर 2015 तक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त रहे। वे दशकों में सबसे गंभीर विस्थापन संकटों के दौरान विश्व के एक अग्रणी मानवीय संगठन के मुखिया थे। आज के संघर्षों के कारण संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि विस्थापित लोगों की संख्या 2005 में 3.8 करोड़ से बढ़कर 2017 में 6.5 करोड़ से अधिक हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बनने से पहले श्री गुटेरेस ने 20 वर्ष से अधिक सरकार में और लोक सेवा में काम किया है। वे 1995 से 2002 के बीच पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान ईस्ट तिमोर का संकट सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

2000 के दशक के शुरू में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में वृद्धि और रोजगार के लिए लिसबन एजेंडा अपनाया गया। वे पहले यूरोपीय संघ-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के सह-अध्यक्ष थे। वे 1991 से 2002 तक पुर्तगाल की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे।

श्री गुटेरेस 1976 में पुर्तगाल की संसद के लिए चुने गए थे और 17 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था, वित्त और नियोजन संबंधी संसदीय समिति और बाद में क्षेत्रीय प्रशासन, नगरपालिका और पर्यावरण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्षता की। वे अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता भी रहे।

1981 से 1983 तक श्री गुटेरेस यूरोपीय परिषद की संसदीय असेंबली के सदस्य रहे, जहां उन्होंने जनसंख्या स्वरूप, प्रवासन और शरणार्थी समिति की अध्यक्षता की।

निष्पक्षता और ईमानदारी तथा अपनी प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग के सहारे काम करते हैं।

महासचिव की नियुक्ति

महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से अब तक नौ महासचिव हुए हैं। महासचिव की नियुक्ति क्षेत्रवार बारी-बारी से की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से अब तक नियुक्त महासचिव हैं:

त्रिग्वे लिये (नार्वे)
1946-1952

दाग हैमरशोल्ड (स्वीडन)
1953-1961

ऊ थां (बर्मा)
1961-1971

कुर्ट वाल्डहेम (ऑस्ट्रिया)
1972-1981

हावेयर पेरेज द कुइयार (पेरू)
1982-1991

बुतरस बुतरस घाली (मिस्र)
1992-1996

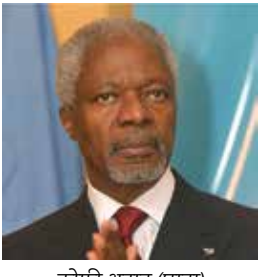

कोफी अन्नान (घाना)
1997-2006

बान की-मून (दक्षिण कोरिया)
2007-2016

एंटोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल)
2017-वर्तमान

चार मुख्य कार्यालय

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय

न्यूयॉर्क (अमेरिका) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय संख्याओं में:

- सदस्य देशों के प्रतिनिधि 193 राजनयिक शिष्टमंडल, सदस्य देश हर वर्ष महासभा की वार्षिक बैठकों के लिए 5,000 से ज्यादा प्रतिनिधि न्यूयॉर्क भेजेते हैं।
- करीब 5,500 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी।
- 10 लाख दर्शक हर वर्ष मुख्यालय देखने आते हैं।
- 2000 पत्रकार स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त हैं, जबकि करीब 3,500 प्रमुख घटनाओं और बैठकों के दौरान उपस्थित रहते हैं।
- 5,000 से अधिक गैर-सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हैं।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय ■ यूएन फोटो

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ■ यूएनफोटो/फैरे

नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ■ यूएन फोटो

वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ■ यूएन फोटो/गार्टन

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओजी)

जिनेवा (स्विटजरलैंड) में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूरोपीय क्षेत्रीय मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड), मानव अधिकार शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, यूरोप के लिए आर्थिक आयोग सहित कई संगठनों के केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संख्याओं में:

- सदस्य देशों के 184 राजनयिक शिष्टमंडल।
- संयुक्त राष्ट्र, उसकी विशेषज्ञ एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों के लिए कार्यरत लगभग 8,500 कार्मिक।
- करीब 100000 दर्शक हर वर्ष पैलेस दस नेशन्स देखने आते हैं।
- 230 पत्रकारों को स्थायी मान्यता है।
- सैंकड़ों गैर-सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हैं।
- हर वर्ष करीब 9,960 बैठकें होती हैं।

नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएन)

नैरोबी (केन्या) में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन-हैबीटाट) के वैश्विक मुख्यालय की भूमिका निभाता है।

नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संख्याओं में:

- सदस्यों देशों के 146 राजनयिक प्रतिनिधि हैं।
- यूएनईपी और यूएन-हैबीटाट में कार्यरत 2,800 कर्मचारी।
- अनेक राजनयिक वार्ताएं एवं शांति स्थापना प्रयास।
- संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत सैंकड़ों व्यक्ति।

वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओवी)

वियना (ऑस्ट्रिया) में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष विषय कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध नियंत्रण कार्यालय के लिए मुख्यालय की भूमिका निभाता है।

वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संख्याओं में:

- सदस्य देशों के दर्जनों राजनयिक शिष्टमंडल।
- संयुक्त राष्ट्र संगठनों में कार्यरत 4,000 कर्मचारी।
- हर वर्ष करीब 2000 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन।

ध्यान

क्षेत्रीय कार्यालयों का परिचय

पैलेस दस नेशन्स

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय भवन में पहले लीग ऑफ नेशन्स का मुख्यालय हुआ करता था जो संयुक्त राष्ट्र का पूर्ववर्ती संगठन था। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने पर लीग की जगह गठित संयुक्त राष्ट्र को उसकी परिसंपत्ति भी विरासत में मिली जिसमें वास्तुशिल्प की भव्य रचना पैलेस दस नेशन्स (राष्ट्रों का महल) भी शामिल था।

संयुक्त राष्ट्र और केन्या

संयुक्त राष्ट्र ने वन्य जीव संरक्षण, पुनःवनीकरण और पर्यावरण पर्यटन में भारी निवेश किया है जिससे स्थानीय निवासियों को अगणित आर्थिक लाभ मिले हैं। उसने हजारों सामुदायिक कार्यक्रमों को समर्थन दिया है जिनसे केन्या में लाखों लोगों को लाभ मिला है।

वियना में यूनाइटेड नेशन्स सिटी

वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को वियना इंटरनेशनल सेंटर भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन अगस्त 1979 में हुआ था। अंग्रेजी अक्षर वाई की आकृति में छः कार्यालय टॉवर इस तरह डिजाइन किए गए कि लगभग प्रत्येक कार्यालय में लोगों को कृत्रिम प्रकाश के बजाय सूर्य के प्रकाश में काम करने का अवसर मिले। ऑस्ट्रिया की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित वियना इंटरनेशनल सेंटर को स्थानीय लोग अक्सर यूनाइटेड नेशन्स सिटी कहते हैं।

संयुक्त राष्ट्रःविशेषज्ञ संस्थाओं का परिवार

15 विशेषज्ञ एजेंसियां और 24 कार्यक्रम, कोष एवं अन्य संस्थाएं अपने अलग-अलग दायित्वों के साथ संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ इन्हीं कार्यक्रमों और संस्थाओं को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र तंत्र बनता है।

संयुक्त राष्ट्र तंत्र की विभिन्न संस्थाओं को यहां संगठन के प्रकार और प्रत्येक प्रकार के भीतर अकारादि क्रम में सूचिबद्ध किया गया है।

एजेंसियां

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

खाद्य एवं कृषि संगठन भुखमरी और कुपोषण मिटाने तथा पोषण स्तर सुधारने के लिए काम करता है। यह सदस्य देशों को खेती, वाणिकी और मछली पालन के सतत् विकास के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने में भी मदद करता है। भुखमरी और कुपोषण मिटाने का बच्चों पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है जैसे बाल मजदूरी कम होती है, बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन के सुरक्षित, निरापद, व्यवस्थित और सतत् विकास पर नजर रखता है और पर्यावरण पर वैश्विक नागर विमानन का दुष्प्रभाव कम से कम रखता है। बाल तस्करी रोकने के प्रयास में उसने सभी देशों से सिफारिश की है कि हर बच्चे के लिए अलग पासपोर्ट की व्यवस्था करें।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के प्रति समर्पित है। दुनिया के करीब 75 प्रतिशत सबसे गरीब लोग यानी करीब एक अरब महिलाएं, बच्चे और पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और आजीविका के लिए खेती तथा उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हैं। आईएफएडी खेती और ग्रामीण विकास के ऐसे प्रोजैक्ट में निवेश करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, हाशिए पर जीते और लाचार लोगों तक पहुंचते हैं तथा ऐसे हालात पैदा करते हैं जो उनका जीवन सुधारने के लिए जरूरी हों।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के बुनियादी मानव अधिकारों के संवर्धन, कामकाज और रहन-सहन की परिस्थितियां सुधारने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है। ये दुनिया भर में बाल मजदूरी समाप्त कराने के प्रयासों का भी नेतृत्व करता है।

अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी संगठन (आईएमओ)

अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी संगठन अंतर्राष्ट्रीय जहाज सेवाओं की सुरक्षा का संरक्षा सुधारने तथा जहाजों से समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार है। देयता एवं मुआवजे संबंधी मुद्दों जैसे कानूनी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी यातायात संचालन में भी उसकी भूमिका है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रोकोष वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह प्रमुख आर्थिक नीतियों पर सलाह देता है, अस्थायी वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है, वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और गरीबी कम करने के लिए प्रयास करता है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व को जोड़ने के लिए समर्पित है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क अब तक हासिल एक सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग सफलता है और आईटीयू उसका केन्द्र है। आईटीयू टैक्नॉलॉजी, सेवाओं और रेडियो फ्रीक्वेंसी तथा उपग्रहों की कक्षा की स्थिति जैसे वैश्विक संसाधनों के आवंटन के बारे में समझौते कराता है जिससे एक मजबूत विश्वसनीय और निरन्तर विकसित होती वैश्विक संचार प्रणाली की रचना होती है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन और सूचना के आदान-प्रदान में सहायता देता है। यह विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का काम करता है। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त, शिक्षित और प्रेरित करना तथा मानवता की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखना है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो)

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन विकासशील देशों और संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं में सतत् औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन एवं गति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक देश को संपन्न उत्पादक क्षेत्र बनने का अवसर प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी भागीदारी बढ़ाना तथा उसके पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है।

युनिवर्सल डाक संघ (यूपीयू)

युनिवर्सल डाक संघ अंतर्राष्ट्रीय डाक की आवाजाही के नियम तय करता है। यह सिफारिश करता है कि डाक पार्सल और वित्तीय सेवाओं में वृद्धि कैसे की जाए और ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए। यह आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

विश्व बैंक

विश्व बैंक का उद्देश्य गरीबी मिटाना और आर्थिक वृद्धि बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ पर्यावरण का ध्यान रखना है और हर व्यक्ति के लिए अवसर एवं आशा का भाव भी रखना है। इसके लिए विश्व बैंक, विकासशील देशों को कम ब्याज दर पर ऋण, ब्याज मुक्त उधार और अनुदान देता है जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं, वित्तीय एवं निजी क्षेत्र के विकास, खेती तथा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में निवेश किया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

विश्व स्वास्थ्य संगठन का दायित्व स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक मामलों में नेतृत्व प्रदान करना, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा तय करना एवं नियम व मानक निर्धारित करना है। आज स्वास्थ्य एक साझी जिम्मेदारी है जिसमें सीमाओं से परे महामारी के खतरों से सामूहिक बचाव और आवश्यक देखभाल सर्व सुलभ कराना जरूरी है। बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाता है क्योंकि वे कुपोषण एवं संक्रामक रोगों से अधिक आसानी से शिकार हो जाते हैं। इनमें से अनेक लोग रोगों से बचाव और उपचार संभव है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

WIPO

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन संगीतकारों, लेखकों, वैज्ञानिकों और आविष्कारकों जैसे बौद्धिक सम्पदा रचनाकारों और स्वामियों के अधिकारों का विश्वव्यापी संरक्षण सुनिश्चित करता है ताकि रचनाकारों को उनकी रचनात्मकता और नवीनता के लिए मान्यता और सम्मान दिया जाए।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन, पृथ्वी के वातावरण की स्थिति और आचरण, महासागरों के साथ उसके संबंध, उससे उत्पन्न जलवायु तथा जल संसाधनों के वितरण के बारे में वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं डाटा में तालमेल रखता है। यह संगठन करीब तीन चैथाई प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार, मौसम, जलवायु और जल संबंधी घटनाओं की जल्दी चेतावनी देने के बारे में महत्वपूर्ण सूचना भी प्रदान करता है जिससे लोगों की जान बच सके और संपत्ति को कम से कम नुकसान हो।

विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)

UNWTO

विश्व पर्यटन संगठन जिम्मेदार, पर्यावरण एवं समाज के प्रति अनुकूल और सर्व सुलभ पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन का योगदान, कुल आर्थिक गतिविधि में पांच प्रतिशत और दुनिया भर में कुल रोजगार में छः से सात प्रतिशत है। यह संगठन बच्चों को, पर्यटन में यौन शोषण, बाल मजदूरी और तस्करी सहित सभी प्रकार के शोषण से बचाने का वैश्विक अभियान चला रहा है।

निधियां और कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ)

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बाल अधिकारों की हिमायत, संवर्धन और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख संगठन है। यह विशेष रुप से दुनिया के सबसे वंचित बच्चों की दशा सुधारने पर ध्यान देता है। जमीनी स्तर पर युनिसेफ सभी लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देता है, बचपन की आम बीमारियों से बचाव के टीके लगवाता है और बच्चों तथा किशोरों को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, जल एवं पोषण की सुविधा प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के समेकन को प्रोत्साहित करता है। यह विकास के बारे में बहस और चिंतन में मदद करता है तथा सुनिश्चित करता है कि विभिन्न देशों की नीतियां और कार्रवाई सतत् विकास की दिशा में एक-दूसरे का समर्थन करें।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक वैश्विक विकास नेटवर्क है जो परिवर्तन की हिमायत करता है और देशों को ज्ञान, अनुभव तथा संसाधनों से जोड़ता है ताकि लोगों का जीवन बेहतर करने में मदद मिल सके। यूएनडीपी जमीन पर 177 देशों में वैश्विक एवं राष्ट्रीय विकास चुनौतियों के अपने समाधान तलाश करने में स्थानीय निवासियों के साथ काम कर रहा है।

यूएन वुमैन, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था

यूएन वुमैन, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव समाप्त कराना, महिलाओं को सशक्त करना और लैंगिक समानता हासिल करना है। विशेष रुप से यूएन वुमैन का उद्देश्य लड़कियों के मानव अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सभी प्रकार की हिंसा और दुव्यवहार से बचाना तथा स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुलभ कराना है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (यूएनईपी)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण अग्रणी वैश्विक पर्यावरण संस्था है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करती है, संयुक्त राष्ट्र तंत्र के दायरे में सतत् विकास के पर्यावरणीय पहलू के सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन को बढ़ावा देती है और वैश्विक पर्यावरण के लिए अधिकारपूर्ण हिमायत करती है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर)

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय विस्थापितों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और स्वेच्छा से घर लौटने में अथवा किसी अन्य देश में बसने में उनकी मदद करते हुए उनकी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान कराता है। दुनिया भर में करीब 50 प्रतिशत शरणार्थी बच्चे हैं। यूएनएचसीआर का उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें उनके परिवारों और संरक्षकों से वापस मिलवाना, उन्हें यौन शोषण, दुव्यवहार, हिंसा और सैन्य भर्ती से बचाना तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन-हैबीटाट)

संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में काम करता है। इसका मिशन सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ मानव बस्ती विकास को बढ़ावा देना और सबके लिए समुचित आवास जुटाना है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, संगठित अपराधों और तस्करी पर ध्यान देता है, दंड न्याय प्रणाली स्थापित करता है, मादक पदार्थों के अवैध सेवन और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों तथा अन्य लाचार समूहों में एचआईवी का प्रसार रोकता है, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को मिटाने पर ध्यान देता है। यह, मादक पदार्थों के सेवन और अपराधों के रुझानों एवं खतरों की निगरानी के जरिए ऐसा डाटा प्रदान करता है जो मादक पदार्थों के सेवन और अपराध पर नियंत्रण की प्राथमिकताएं तय करने और देशों को इन समस्याओं से निपटने में मददगार हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष स्वस्थ जीवन जीने के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देता है। यह कोष देशों को जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करते हुए ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाने में समर्थन देता है, जो गरीबी कम करने में मददगार हों और सुनिश्चित करें कि हर गर्भस्थ शिशु प्यारा हो, हर प्रसव सुरक्षित हो और प्रत्येक लड़की एवं महिला के साथ गरिमा एवं सम्मान का व्यवहार किया जाए।

निअर ईस्ट में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए)

निअर ईस्ट में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी पंजीकृत फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए सहायता, संरक्षण और हिमायत प्रदान करता है। यह सशस्त्र संघर्ष के दौर सहित सभी परिस्थितियों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत एवं सामाजिक सेवाएं, शिविर का बुनियादी ढांचा एवं सुधार, सामुदायिक समर्थन, सूक्ष्म वित्त और आपातस्थिति में कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

विश्व खाद्य कार्यक्रम, दुनिया भर में भुमखरी से संघर्ष करता है। पृथ्वी पर प्रत्येक सात में से एक व्यक्ति भुखमरी का शिकार है। आपात स्थितियों में यह सबसे आगे रहता है। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की जान बचाने के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। आपात स्थिति समाप्त होने पर विश्व खाद्य कार्यक्रम समुदायों की पुनर्स्थापना में मदद के लिए खाद्य सामग्री का उपयोग करता है। स्कूल भोजन कार्यक्रमों की बदौलत विश्व खाद्य कार्यक्रम लाखों बच्चों को महत्वपूर्ण पोषण प्रदान करता है जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और स्कूल में उपस्थिति बढ़ती है।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान (यूएनआईडीआईआर)

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान, वर्तमान और भविष्य की निरस्त्रीकरण एवं सुरक्षा चुनौतियों के बारे में अनुसंधान, रचनात्मक चिंतन एवं संवाद को बढ़ावा देता है। ये संस्थान परमाणु सामग्री, छोटे हथियारों के गोली-बारूद पर नियंत्रण, शरणार्थी शिविरों की सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, मानवीय कार्रवाई, शांतिरक्षण और शांति की सेवा में दूरसंवेदी टैक्नॉलॉजी के उपयोग जैसे विविध विषयों पर शोध करता है।

संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (यूएनआईटीएआर)

संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियां चलाता है तथा शैक्षिक सामग्री वितरित करता है। अक्सर अन्य शिक्षण संस्थाओं के साथ काम करते हुए यह शांति एवं सुरक्षा, मानव अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, पर्यावरण, बहुपक्षीय राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में निर्देश प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र अंतःक्षेत्रीय अपराध एवं न्याय अनुसंधान (यूएनआईसीआरआई)

संयुक्त राष्ट्र अंतःक्षेत्रीय अपराध एवं न्याय अनुसंधान शांति, विकास और राजनीतिक स्थिरता के प्रति अपराधों के खतरों से निपटता है। इसके लक्ष्य अपराध से जुड़ी समस्याओं की समझ बढ़ाना, किशोर अपराधी न्याय सहित निष्पक्ष और कुशल दंड न्याय प्रणालियों को प्रोत्साहन देना, न्याय की अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य मानकों के प्रति सम्मान को समर्थन देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग एवं न्यायिक सहायता में मदद करना है।

संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान (यूएनआरआईएसडी)

संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान का मिशन ज्ञान जुटाना और समकालीन विकास मुद्दों पर नीतिगत विकल्पों पर चिंतन कराना है जिससे गरीबी एवं असमानता कम करने, खुशहाली और मानव अधिकारों के संवर्धन एवं अधिक लोकतांत्रिक तथा न्यायोचित समाजों की रचना के संयुक्त राष्ट्र के व्यापक लक्ष्यों में योगदान हो सके। संस्थान की स्थापना संयुक्त राष्ट्र तंत्र के भीतर स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी ताकि वह सामाजिक विकास के बारे में नीति प्रासंगिक उन्नत शोध कर सके जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय विशेषज्ञ एजेंसियों और राष्ट्रीय संस्थानों के लिए उपयोगी हो।

संयुक्त राष्ट्र तंत्र स्टाफ कालेज (यूएनएसएससी)

संयुक्त राष्ट्र तंत्र स्टाफ कालेज संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के लिए पाठ्यक्रम चलाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठनों के कर्मचारियों को आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं विकसित करने में सहायता देता है।

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनयू)

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में ज्ञान के संवर्धन और उस ज्ञान का उपयोग, कार्रवाई के लिए ठोस सिद्धांतों, नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण में करने के लिए योगदान करता है। इसकी गतिविधियां पांच परस्पर जुड़े, परस्पर निर्भर विषय आधारित समूहों: शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार; मानवीय एवं सामाजिक आर्थिक विकास तथा सुशासन; वैश्विक स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं टिकाऊ आजीविका; वैश्विक परिवर्तन एवं टिकाऊ विकास और विज्ञान, टैक्नॉलॉजी, नवाचार एवं समाज पर केन्द्रित हैं।

अन्य संस्थाएं

एचआईवी एड्स के बारे में संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम (यूएनएड्स)

एचआईवी एड्स के बारे में संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम एक अभिनव भागीदारी है जो एचआईवी से बचाव, उपचार, सेवा और समर्थन की सुविधा पूरी तरह सर्व सुलभ कराने के लिए समर्थन जुटाता है। इसका उद्देश्य है कि नए एचआईवी संक्रमण शून्य हो, भेदभाव शून्य हो और एड्स से जुड़ी मौते शून्य हों। इसके लिए दीर्घावधि निवेश की आवश्यकता है इसलिए इसकी रणनीति बचाव, उपचार, सेवा और समर्थन बढ़ाने के साथ-साथ पीड़ितों के मानव अधिकारों और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने की है।

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कमी कार्यालय (यूएनआईएसडीआर)

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कमी कार्यालय की स्थापना आपदाओं में कमी की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (आईएसडीआर) को लागू करने में सहायता के लिए की गई थी। इसे आपदा जोखिम में कमी के तालमेल के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र का केन्द्र बिन्दु बनाया गया। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और क्षेत्रीय संगठनों की संबद्ध गतिविधियों एवं सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षेत्रों में संबद्ध गतिविधियों में सामंजस्य सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रों और समुदायों को शक्ति देना है जो सतत् विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है।

संयुक्त राष्ट्र प्रोजैक्ट सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)

संयुक्त राष्ट्र प्रोजैक्ट सेवा कार्यालय का उद्देश्य शांति स्थापना, मानवीय और विकास गतिविधियों को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र और उसके भागीदारों की क्षमता बढ़ाना है। यह गतिविधियां जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसकी मूल सेवाओं में मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ सामग्री और अन्य सेवाएं जुटाना शामिल है।

संबद्ध संगठन

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाण्विक सहयोग के लिए वैश्विक केन्द्र बिन्दु का काम करती है। यह देशों को परमाणु विज्ञान और टैक्नॉलॉजी का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों, जैसे बिजली उत्पादन के लिए करने की योजना बनाने और उसके उपयोग में मदद देती है। यह परमाणु सुरक्षा मानक भी विकसित करती है। आईएईए निरीक्षण प्रणाली का भी उपयोग करती है जिससे सुनिश्चित हो सके कि सदस्य देश परमाणु सामग्री और उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने का अपना वायदा निभा रहे हैं।

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू)

रासायनिक हथियार निषेध संगठन रासायनिक हथियार विकास, उत्पादन, भंडारण एवं उपयोग निषेध एवं उनके विनाश से संबद्ध समझौते पर अमल के लिए समर्पित है। समझौते के अंतर्गत मुख्य दायित्व रासायनिक हथियारों के उपयोग और उत्पादन के निषेध के साथ-साथ सभी रासायनिक हथियारों का विनाश कराना भी है। रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की गतिविधियों की पुष्टि करने के साथ-साथ यह संगठन इस बात की भी पुष्टि करता है कि देशों में उत्पादित विषैले रसायनों का उपयोग व्यापक विनाशकारी हथियारों के रूप में नहीं किया जाने वाला है।

समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन तैयारी आयोग (सीटीबीटीओ)

CTBTO

समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन तैयारी आयोग समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रचार-प्रसार करता है जिसके अंतर्गत किसी के भी द्वारा पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में, जल के नीचे अथवा भूमि के नीचे परमाणु विस्फोट करने की मनाही है। इस संगठन ने दुनिया भर में एक निगरानी तंत्र भी स्थापित कर रखा है ताकि कोई परमाणु विस्फोट पहचाने जाने से चूक न जाए। जब अपेक्षित संख्या में देश संधि का अनुमोदन कर देंगे तो यह प्रभाव में आ जाएगी।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा मंच है जहां सरकारें व्यापार समझौता वार्ता कर सकती हैं और व्यापार विवाद सुलझा सकती हैं। यह व्यापार नियमों से संचालित है। विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देश एक-दूसरे के साथ व्यापार में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं।

शांति दूत और सद्भावना दूत

संयुक्त राष्ट्र शांति दूत और सद्भावना दूत संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को प्रचारित करने में मदद करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक काल से ही अभिनेता, कलाकार, खिलाड़ी, पुरुष और महिलाएं, जिमनास्ट, डिजाइनर, संगीतकार, बैले नर्तक, अंतरिक्ष यात्री, उद्यमी, वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक, फैशन मॉडल, सरकारों और शाही परिवारों के सदस्य- विश्व भर से प्रतिभाशाली और करुणामय महिलाएं एवं पुरुष बेहतर विश्व की रचना के लिए संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के प्रचार-प्रसार में समर्थन हेतु अपने नाम, सार्वजनिक पहचान और प्रतिष्ठा का उपयोग करते रहे हैं।

सद्भावना और मानव दूत मुख्य रुप से संयुक्त राष्ट्र की उन एजेंसियों के काम को प्रचारित करते हैं जिनके वे प्रतिनिधि हैं, जबकि शांति दूत आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के कामकाज की हिमायत करते हैं और उनकी नियुक्ति सीधे महासचिव करते हैं।

शांति दूत शुरु में दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यद्यपि कुछ दूत कहीं अधिक समय तक सेवा करते रहे हैं।

शांति दूत

महामहिम राजकुमारी हया

डैनियल बारेमबोइम

पाउलो कोहेलो

लियोनार्दो डी कैपरियो

माइकल डगलस

जेन गुडाल

लांग लांग

यो-यो मा

मिदोरी गोतो

एडवर्ड नॉर्टन

चार्ली थेरॉन

स्टेवी वंडर

और मलाला युसुफजई

अध्याय 3

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

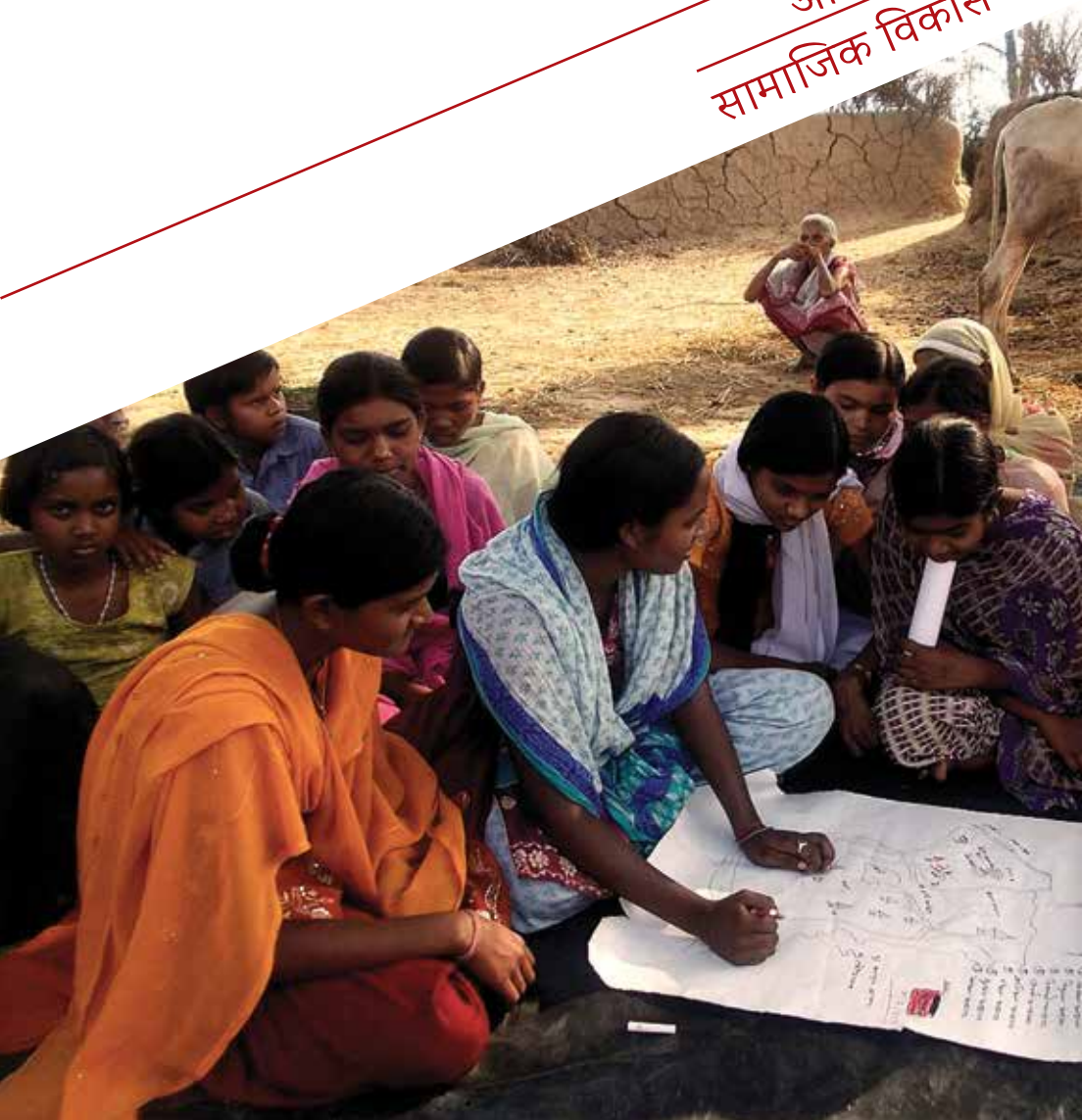

आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संक्षिप्त तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की वर्तमान परिभाषा 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस समय लगभग 76.7 करोड़ लोग निपट गरीबी में जी रहे हैं जबकि 1999 में यह संख्या 1.7 अरब थी। फिर भी 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका सुधारने में मदद की।
- 2016 में पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 15.5 करोड़ बच्चों का कद उनकी आयु के अनुसार सामान्य से कम रहा, जबकि सन् 2000 में इन बच्चों की संख्या 19.8 करोड़ थी। विश्व भर में बौनेपन की दर सन् 2000 में 32.7 प्रतिशत से घटकर 2016 में 22.9 प्रतिशत रह गई। 2016 में मन्द वृद्धि वाले 5 वर्ष से कम उम्र के तीन चैथाई बच्चे दक्षिणी एशिया और अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी क्षेत्र में रहते थे।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 3 करोड़ महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मृत्यु से बचाने में मदद की। दुनिया भर में लगभग 303,000 महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मारी गईं। इसके हिसाब से वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात 2015 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर 216 का था। इस अनुपात में सन् 2000 से 37 प्रतिशत की कमी हुई। 2030 तक प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम मातृ मृत्यु का संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक लक्ष्य हासिल करने के लिए इस दर को दोगुने से भी अधिक करना होगा।
- 2014 में लगभग 26.3 करोड़ बच्चे और किशोर स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे थे। इनमें से प्राइमरी स्कूल आयु के बच्चों की संख्या 6.1 करोड़, निम्न माध्यमिक स्कूल आयु के किशोरों की संख्या 6 करोड़ और उच्च माध्यमिक स्कूल आयु के किशोरों की संख्या 14.2 करोड़ थी। इनमें से अधिकतर अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी एशिया के निवासी थे जहां शिक्षा-व्यवस्था जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रही है।
- महिलाओं और लड़कियों के प्रति शारीरिक और यौन हिंसा सभी क्षेत्रों में मौजूद है और इनमें से अधिकांश के लिए अंतरंग साथी जिम्मेदार होते हैं। 2005 और 2016 के बीच एक सर्वेक्षण के अनुसार विकासशील क्षेत्र के 30 देशों सहित 87 देशों में 15-49 वर्ष की आयु की 19 प्रतिशत लड़कियां और महिलाएं अपने अतरंग साथी के हाथों शारीरिक और/या यौन हिंसा की शिकार हुई थीं।
- इस समय 2 अरब से अधिक लोग जल तनाव से पीड़ित हैं। जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जल तनाव में वृद्धि ही होगी। सबके लिए, सब जगह पेयजल, स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई सुलभ कराना और यह सुनिश्चित करना कि इन सेवाओं का संचालन सुरक्षित ढंग से हो, अब भी बड़ी चुनौतियां हैं।
- ऐतिहासिक पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन से डटकर निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट किया है। इसका उद्देश्य इस शताब्दी में दुनिया में तापमान वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और यथासंभव 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के प्रयास करना है और जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को सहने की देशों की शक्ति को मजबूत करना है। यह समझौता 4 नवम्बर, 2016 को लागू हुआ।
- हर वर्ष करीब 1 करोड़ हैक्टेयर खेतीहर जमीन पारिस्थितिकी विनाश के कारण नष्ट हो जाती है, जबकि वनों का कटाव और महासागरों का अम्लीकरण बढ़ता जा रहा है।
- 2015 तक करीब 88 करोड़ शहरी निवासी तंग बस्तियों में रहते थे, जबकि सन् 2000 में यह संख्या 79.2 करोड़ थी। रहन-सहन की घटिया परिस्थितियों और बुनियादी सेवाओं के अभाव का सबसे अधिक असर बच्चों और युवाओं पर पड़ता है, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा की संभावनाएं धूमिल होती जाती है।

विकास: संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता

वैसे तो आमतौर पर लोग संयुक्त राष्ट्र को शांति और सुरक्षा से जोड़ते हैं किन्तु संगठन के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा "रहन-सहन के उच्च स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक सामाजिक प्रगति की परिस्थितियों एवं विकास" को बढ़ावा देने के चार्टर के संकल्प को पूरा करने में खर्च होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास उसकी इस दृढ़ मान्यता से संचालित हैं कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा केवल तभी संभव है जब हर जगह लोगों की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली सुनिश्चित हो।

गरीबी और विकास

विकास का अर्थ यह है कि व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इससे लोगों की उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादकता बढ़ने से अन्य देशों के साथ व्यापार करने की देश की स्थिति बेहतर होती है। व्यापार बढ़ने का अर्थ है कि और अधिक संख्या में लोगों की रहन-सहन की परिस्थितियां सुधारते जाने के लिए माल और सेवाओं की मात्रा बढ़ रही है।

वैसे विकास एक जटिल प्रक्रिया है। सभी के लिए रहन-सहन का स्वीकार्य स्तर पाने की परिभाषा में सबके लिए भोजन, आवास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संरक्षा और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराना। किसी भी देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर साथ-साथ ध्यान देना चाहिए ताकि विकास टिकाऊ और सबके लिए लाभकारी हो।

1986 की विकास का अधिकार घोषणा के अनुसार विकास भी एक मानव अधिकार है। इस बारे में अधिक जानकारी अध्याय 5 में दी गई है।

वैश्वीकरण

वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं। लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों की यात्रा और माल तथा सेवाओं का व्यापार सदियों से करते रहे हैं। इस प्रक्रिया में वस्तुओं, सूचना, ज्ञान और संस्कृति के आदान-प्रदान के जरिए

ध्यान दें

गरीबी का अर्थ क्या है?

- गरीबी सिर्फ धन का अभाव नहीं है। इसका अर्थ है खुशहाली से स्पष्ट वंचना।
- गरीबी का अर्थ है भोजन और बुनियादी पोषण का पर्याप्त न होना, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक सीमित पहुंच या कोई पहुंच न होना, स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व का अभाव।
- गरीबी कल के प्रति आशंका भी है जिससे लोग एक बार में सिर्फ एक दिन जीने के बारे में ही सोच पाते हैं।
- गरीबी का अर्थ है हाशिए पर धकेला जाना। गरीब लोगों को अक्सर अपना रहन-सहन सुधारने में अदृश्य, बेआवाज और अशक्त माना जाता है।

[1] देखें विश्व बैंक, "इश्यूज़: डेवलपमेंट" http://youthink.worldbank.org/issues/development पर उपलब्ध।

यूएनडीपी के एक प्रोजैक्ट में मंगोलिया में गडरियों को सशक्त करने में मदद की है, क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करते हुए उनकी आजीविका में सुधार किया है। यूएन फोटो/एस्किन्दर देबेबे

दुनिया करीब होती जा रही है। वैसे पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का एकीकरण कहीं अधिक तेज और अधिक नाटकीय गति से हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी, संपर्क, विज्ञान, परिवहन और उद्योग में अभूतपूर्व उन्नति हुई है।

वैश्वीकरण मानव प्रगति के लिए उत्प्रेरक भी है और उसका परिणाम भी है। यह कठिन प्रक्रिया भी है जो जबर्दस्त चुनौतियों और समस्याओं को जन्म देती है और जिसके लिए समायोजन की जरूरत है। बहुत से लोगों ने वैश्वीकरण के प्रभावों की आलोचना की है और उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक व्यापार प्रणाली में गैर-बराबरी से दूसरों की तुलना में कुछ देशों पर अधिक चोट पड़ती है, दूसरों की तुलना में कुछ लोगों पर और रोजगार के कुछ क्षेत्रों पर अधिक चोट पड़ती है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया ने विकसित देशों ने रोजगार के नाम पर विकासशील देशों के लोगों का अधिक शोषण किया है, बड़े पैमाने पर बाधाएं पैदा की हैं और सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर बहुत गिने-चुने लोगों के लिए सिर्फ थोड़े से लाभ पैदा किए हैं।

यदि सभी देशों को वैश्वीकरण के लाभ लेने हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी विकृतियां (उदाहरण के लिए कृषि सब्सिडी और व्यापार बाधाओं में कमी) कम करने के लिए लगातार काम करते रहना होगा जो विकसित देशों का हित साधन करती हैं, तभी हर किसी के लिए निष्पक्ष व्यवस्था तैयार हो सकेगी।

[2] उपरोक्त

संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई

शरणार्थियों के आने, संगठित अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, एड्स और अन्य महामारियों तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अकेले किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। ये वैश्विक चुनौतियां हैं जिनके लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक है। प्रवासन, सामाजिक उथल-पुथल और संघर्ष के कारण एक क्षेत्र में लगातार जारी गरीबी और बेरोजगारी का असर बहुत जल्द दूसरों को महसूस हो सकता है।

इसी तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में एक देश में वित्तीय स्थिरता का असर दूसरों के बाजारों में तुरन्त महसूस हो जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाने में लोकतंत्र, मानव अधिकारों, जन भागीदारी, सुशासन और महिला सशक्तिकरण की भूमिका और आम सहमति भी बढ़ती जा रही है। 2011 से मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में मची उथल-पुथल और असंतोष ने इस जागरूकता को नाटकीय ढंग से जग जाहिर किया है और उसमें कमी के कोई संकेत नहीं हैं।

विकास की चुनौतियां और बाधाएं किसी सीमा में नहीं बंधी हैं। संयुक्त राष्ट्र अपने 193 सदस्यों के साथ विकास संबंधी नीतियों पर चर्चा और उनके निर्धारण के लिए मंच प्रदान करता है। कुछ मुद्दों पर ध्यान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सम्मेलन आयोजित करता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों, वर्षों, और दशकों को प्रोत्साहित करता है। सहमति बनाने के वैश्विक केन्द्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र समर्थक माहौल को बढ़ाने और देशों को उनके प्रयासों में सहारा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राथमिकताएं तय करता है जिसके उदाहरण सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और उनके बाद सतत् विकास लक्ष्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के विकास संबंधी प्रयासों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन और खुशहाली पर गहरा असर डाला है।

सितंबर 2000 में न्यूयॉर्क में आयोजित सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में विश्व के 189 देशों ने सहस्त्राब्दी घोषणा का अनुमोदन किया था जिसने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से 2015 तक हासिल करने के लिए 8 समयबद्ध लक्ष्यों के निर्धारण का मार्ग प्रशस्त किया था।

क्या आप जानते हैं?

महिलाओं में निवेश तेजी से गरीबी उन्मूलन करने में सहायक

महिलाएं दुनिया का 66 प्रतिशत काम करती हैं और 50 प्रतिशत भोजन उत्पन्न करती हैं। किन्तु वे केवल 10 प्रतिशत आय अर्जित करती हैं और केवल 1 प्रतिशत संपत्ति की स्वामी हैं।

जब किसी देश में लड़कियां माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ जाती हैं तो श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी उत्पादकता तथा आय के दम पर उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कोई भी पढ़ी-लिखी लड़की जब आय अर्जित करती है तो उसका 90 प्रतिशत हिस्सा अपने परिवार में निवेश करती है। लड़कों की तुलना में यह संख्या बहुत अधिक है जो अपनी आय का केवल 35 प्रतिशत अपने परिवारों को देते हैं।

शिक्षा और काम से, परिवार में फैसले लेने के मामले में महिलाओं का प्रभाव और शक्ति बढ़ जाते हैं। मां का स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा तथा पोषण सब इस बात पर निर्भर हैं कि सीमित संसाधनों की सुलभता आवंटन और उपयोग कितने अच्छे तरीके से हो रहा है।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य से सतत् विकास लक्ष्य तक

संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (2000-2015), और सतत् विकास लक्ष्य (2016-2030)

निपट गरीबी को आधा करने को लेकर एचआईवी एड्स का प्रसार रोकने और सबको प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराने तक के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के दायरे में सामूहिक कार्रवाई के लिए असाधारण प्रयास हुए जिससे दुनिया के सबसे गरीब लोगों की विकास आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

सतत विकास लक्ष्य

1 जनवरी 2016 को 2030 सतत् विकास एजेंडा के सतत् विकास लक्ष्य आधिकारिक रूप से लागू हो गए। विश्व नेताओं ने सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास शिखर सम्मेलन में इन लक्ष्यों का अनुमोदन किया था।

सतत् विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है। इनकी बुनियाद सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता पर टिकी है और इनका उद्देश्य गरीबी के मूल कारणों को दूर करना और सबके लिए लाभकारी विकास की सार्वभौम आवश्यकता को पूरा करना है। 169 उद्देश्यों के साथ यह 17 लक्ष्य सतत् विकास के तीनों आयामों: आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सिर्फ विकासशील देशों में कार्रवाई तक सीमित था। किन्तु सतत् विकास लक्ष्य सर्वजनीन हैं और सब पर लागू होते हैं। सभी देश हर प्रकार की गरीबी मिटाने, असमानताओं से लड़ने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्रयास करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि कोई पीछे छूटने न पाए।

17 लक्ष्य

लक्ष्य 1

शून्य गरीबी – गरीबी का हर रूप में, हर जगह उन्मूलन

1990 से निपट गरीबी की दरों में आधी से अधिक कमी आई है फिर भी विकासशील क्षेत्रों में हर पांच में से एक व्यक्ति अभी 1.90 डॉलर प्रतिदिन से कम में गुजारा कर रहा है। गरीबी सतत् आजीविका सुनिश्चित करने के लिए आमदनी और संसाधनों के अभाव से अधिक कुछ और भी है। इसके प्रकट रूपों में भुखमरी और कुपोषण, सामाजिक भेदभाव, शिक्षा, आवास और चिकित्सा सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अभाव शामिल है। गरीबी मिटाने का अर्थ है सभी पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक संसाधन, बुनियादी सेवाएं, संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन, नई टैक्नॉलॉजी और वित्तीय सेवाएं समान रूप से सुलभ कराना। इसका अर्थ गरीबों और लाचारों को इतनी शक्ति देना भी है कि जलवायु से जुड़ी विकट घटनाओं और अन्य आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय घटकों तथा आपदाओं से उनका सामना होने पर उनकी लाचारी में भी कमी आ सके।

लक्ष्य 2

शून्य भुखमरी – भुखमरी मिटाना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् खेती को प्रोत्साहन

प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चे और शिशु को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना, लक्ष्य 2 का मूल है। आज भुखमरी के शिकार 79.5 करोड़ लोगों और 2050 तक अनुमानित 2 अरब अतिरिक्त लोगों को पोषण देने के लिए वैश्विक आहार एवं कृषि व्यवस्था में भारी बदलाव करना होगा। यह लक्ष्य सतत् आहार उत्पादन प्रणालियों के विकास और ऐसी जानदार कृषि विधियों पर ध्यान देता है जो उत्पादकता बढ़ा सकें, पारिस्थितिकी की रक्षा कर सकें और जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढल सकें। इसके प्रमुख उद्देश्यों

संयुक्त राष्ट्र ने सेनेगल में महिलाओं को कई तरह के उपकरण चलाने के लिए डीजल इंजन प्रदान किए इसलिए अब वे लकड़ी बीनने में दिन बर्बाद नहीं करतीं, इसके बजाय वे अपना बनाया आम और शक्करकंदी का जैम बेचकर अपने लिए बहुत जरूरी आमदनी कमा लेती हैं। ■ यूएन फोटो/इवान श्राइडर

में लघु आहार उत्पादकों को समर्थन देना; दुनिया की कृषि और जिन्स मंडियों का विनियमन करना; तथा विकासशील देशों में ग्रामीण बुनियादी सेवाओं, अनुसंधान और टैक्नॉलॉजी विकास में निवेश करना शामिल है। यदि सही तरह से संचालन किया जाए तो खेती, वानिकी और मछली पालन से सबके लिए पौष्टिक आहार मिल सकता है और जन केन्द्रित ग्रामीण विकास को समर्थन तथा पर्यावरण को संरक्षण देते हुए अच्छी-खासी आमदनी पैदा की जा सकती है।

लक्ष्य 3

उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली – उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और हर उम्र में सबकी खुशहाली को प्रोत्साहन

समाज तभी संपन्न होते हैं, जब सभी निवासी स्वस्थ हों, उन्हें चिकित्सा सेवा सुलभ हो और वे जानते हों कि जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए फैसले कैसे लेने हैं। लक्ष्य 3 का उद्देश्य मातृ मौतों और शिशुओं तथा बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों में और कमी करना तथा एचआईवी, मलेरिया और तपेदिक जैसे संचारी रोगों को समाप्त करना है। इसमें हर जगह सबके लिए स्वास्थ्य सेवा, सबके लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवा और सबके लिए सुरक्षित, कम लागत पर असरदार दवाएं एवं टीके सुलभ कराने में वास्तविक प्रगति की आवश्यकता बताई गई है। इस लक्ष्य में मादक पदार्थों का सेवन रोकने, सेवन करने वालों का उपचार करने, यातायात दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को आधा करने तथा गैर-संचारी और पर्यावरण संबधी रोगों को कम करने पर भी जोर दिया गया है।

लक्ष्य 4

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा – समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहन

शिक्षा लोगों को गरीबी से उबार सकती है, बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है और सतत् विकास, मानव अधिकारों एवं शांति के संवर्धन में योगदान कर सकती है। प्रत्येक लड़की, लड़के, महिला और पुरुष को सभी स्तरों पर उत्तम शिक्षा और रोजगार, अच्छी नौकरी एवं उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक प्रशिक्षण बराबर सुलभ कराया जाना चाहिए। लैंगिक असामनता दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है कि दिव्यांगों, मूल निवासियों तथा लाचारी में जीते बच्चों सहित सभी वंचितों को उत्तम शिक्षा मिले। इस लक्ष्य का उद्देश्य सबके लिए सीखने का सुरक्षित और समावेशी माहौल उपलब्ध कराना और विकासशील देशों, विशेषकर सबसे कम विकसित देशों एवं लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए छात्रवृत्तियों और दक्ष शिक्षकों की संख्या बढ़ाना भी है।

लक्ष्य 5

लैंगिक समानता – लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करना

लैंगिक समानता केवल एक बुनियादी मानव अधिकार ही नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण, संपन्न एवं टिकाऊ विश्व के लिए आवश्यक बुनियाद भी है। लक्ष्य 5 में महिलाओं और लड़कियों के साथ हर तरह का भेदभाव और हिंसा मिटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई है। इस भेदभाव और हिंसा में उनकी तस्करी, जबरन विवाह तथा महिला जननांग भंग करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के यौन, प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों को भी संरक्षण देना होगा। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, टेक्नोलॉजी, अच्छे काम और राजनीतिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक

जीवन के सभी स्तरों पर नेतृत्व के अवसर समान रूप से सुलभ कराने से टिकाऊ अर्थव्यवस्थाएं पनपेंगी और कुल मिलाकर समाजों एवं मानव समुदाय को लाभ होगा। महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने के लिए UNiTE एवरी वुमैन एवरी चाइल्ड तथा HeForShe जैसे कुछ वैश्विक आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और समर्थन जुटाने के लिए चलाए जा रहे हैं।

लक्ष्य 6
स्वच्छ जल और स्वच्छता – सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना

स्वच्छ, सुलभ जल जीवन के लिए आवश्यक है। पानी की कमी, पानी की खराब गुणवत्ता एवं अपर्याप्त स्वच्छता का खाद्य सुरक्षा, अरबों लोगों की आजीविका और शिक्षा के अवसरों पर विपरीत असर पड़ता है। लक्ष्य 6 की परिकल्पना हर जगह हर किसी को सुरक्षित एवं कम लागत पर पेयजल, स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई की सुविधा उपलब्ध कराने और खुले में शौच समाप्त कराने के लिए की गई थी। इसमें प्रदूषण कम करने, पानी के उपयोग की कुशलता बढ़ाने और कचरा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कुछ अन्य प्रमुख उद्देश्यों में जल संबंधी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण और पुनःस्थापना करना; स्थानीय समुदायों को अपनी जलापूर्ति के प्रबंधन में मदद देना; और देशों को समान हित वाले क्षेत्रों में अपनी सीमाओं से परे के जल स्रोतों के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल हैं।

लक्ष्य 7
सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा – सस्ती, विश्वसनीय, सतत् और आधुनिक ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करना

ऊर्जा आज दुनिया के सामने मौजूद लगभग प्रत्येक बड़ी चुनौती और अवसर के लिए केन्द्रीय आवश्यकता है। इन चुनौतियों में रोजगार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आहार उत्पादन शामिल हैं। लक्ष्य 7 की रचना किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सर्वसुलभ कराने के लिए की गई थी। इसलिए ऊर्जा कुशलता में तेजी से वृद्धि करनी होगी और वैश्विक ऊर्जा के सभी रूपों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। विकासशील देशों को ऊर्जा के आधुनिक रूपों की आपूर्ति और उसके लिए समर्थन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सबके लिए सतत् ऊर्जा (एसई4एएलएल) पहल नेताओं को साझेदारी बनाने और वित्तीय साधन जुटाने की शक्ति देती है ताकि वे सतत् ऊर्जा को सर्वसुलभ करा सकें।

लक्ष्य 8
उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि – निरंतर, समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि, सबके लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और उत्कृष्ट कार्य

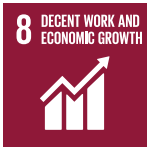

सतत् आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी है कि समाज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिनमें लोगों को इस तरह का उत्तम रोजगार मिले कि पर्यावरण को संरक्षण देते हुए अर्थव्यवस्था में उछाल आए। पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार, निरापद एवं सुरक्षित कामकाजी माहौल और युवाओं तथा विज्ञानियों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर वेतन लक्ष्य 8 के मूल उद्देश्य हैं। जबरन मजदूरी, आधुनिक गुलामी, मानव तस्करी और बाल मजदूरी को समाप्त कराने के लिए तत्काल कारगर उपाय अपनाना आवश्यक है। विविधता लाने,

टेक्नोलॉजी उन्नयन और नए तरीके अपनाने से आर्थिक उत्पादकता के स्तर ऊंचे किए जा सकते हैं। यह लक्ष्य उद्यमों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। रोजगार पैदा करने और स्थानीय संस्कृति एवं उत्पादों के प्रसार के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निर्णय लेने वालों और जनता को एकजुट करने का उदाहरण है टिकाऊ पर्यटन।

लक्ष्य 9
उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं – जानदार बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को प्रोत्साहन और नवाचार को संरक्षण

विश्वसनीय और मजबूत बुनियादी सुविधाएं जैसे परिवहन, ऊर्जा, जल और सूचना एवं संचार टैक्नॉलॉजी (आईसीटी), खासकर विकासशील देशों में आर्थिक विकास एवं मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए उद्योगों के पनपने से आमदनी और रोजगार पैदा होते हैं तथा बहुत से लोगों के रहन-सहन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। लक्ष्य 9 का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन और उद्योगों को फिर से खड़ा करना है ताकि वे बेहतर संसाधन उपयोग कुशलता एवं पर्यावरण अनुकूल टैक्नॉलॉजी को अधिक से अधिक अपनाने लायक हो सकें। टैक्नॉलॉजी की प्रगति इस परिवर्तन की बुनियाद है। यह लक्ष्य सभी देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नए तरीकों की खोज को समर्थन देता है। यह विशेषकर आईसीटी तथा इंटरनेट सुविधा सब जगह और सबको किफायती दाम पर सुलभ कराना चाहता है ताकि डिजिटल खाई को पाटा जा सके।

लक्ष्य 10
असमानताओं में कमी – देश के भीतर और उनके बीच असमानताएं कम करना

लक्ष्य 10 देशों के भीतर और उनके बीच असमानताओं से लड़ने के लिए वंचितों और हाशिए पर जीते लोगों को समर्थन देता है। इसमें आयु, लिंग, दिव्यांगता, नस्ल, जातीयता, मूल, धर्म या आर्थिक अथवा अन्य हैसियत पर ध्यान दिए बिना सबके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन का आग्रह किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता से निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और आवाज बढ़ाकर, वैश्विक वित्तीय बाजारों के विनियमन और सबसे अधिक जरूरतमंद देशों के लिए आधिकारिक विकास सहायता बढ़ाने से निपटा जा सकता है। इस लक्ष्य में एक उद्देश्य व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की आवाजाही तथा दूसरों देशों से आने वाली रकम की लेन-देन लागत कम करना भी है।

लक्ष्य 11
संवहनीय शहर और समुदाय – शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, जानदार और संवहनीय बनाना

2030 तक दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। शहर असल में विचारों, वाणिज्य, संस्कृति, विज्ञान, उत्पादकता, सामाजिक विकास और अन्य बहुत सी चीजों के गढ़ होते हैं। लक्ष्य 11 की रचना सुरक्षित और किफायती आवास, बुनियादी सेवाएं, उन्नत झुग्गी-झोपड़ियों और सबके लिए टिकाऊ परिवहन प्रणाली की सुलभता सुनिश्चित करने को की गई। इसका उद्देश्य हरे-भरे सार्वजनिक स्थल बढ़ाना, वायु गुणवत्ता और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए शहरों पर पर्यावरण का प्रभाव कम करना है। आपदाओं से होने वाली मौतों और आर्थिक क्षति को रोकने के लिए इस लक्ष्य में दुनिया के शहरों से आग्रह

किया गया है कि वे संसाधन कुशलता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने और उसके अनुरूप ढलने के लिए अनुकूल नीतियां और योजनाएं अपनाने तथा सेन्दाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030 के अनुरूप सभी स्तरों पर समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन लागू करें।

अक्तूबर 2016 में आवास और सतत् शहरी विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान क्विटो, इक्वाडोर में नया शहरी एजेंडा अपनाया गया जिससे सतत् शहरी विकास हासिल करने के लिए वैश्विक मानक तय हो सकें।

लक्ष्य 12
संवहनीय उपभोग और उत्पादन – उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप सुनिश्चित करना

संवहनीय उपभोग और उत्पादन का अर्थ, आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय और सामाजिक लागत कम करना है। इसे हासिल करने के लिए उत्पादन और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी पक्षों के बीच व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। व्यवसायों और उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे टिकाऊ तरीके अपनाएं और संसाधनों का उपयोग कम करें और संवहनीय जीवन शैली के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं शिक्षण के जरिए, उपभोक्ताओं को इस काम से जोड़ा जा सकता है। हर वर्ष दुनिया भर में उत्पादित कुल आहार का एक तिहाई बर्बाद जाता है। रिटेल और उपभोक्ता दोनों स्तरों पर इसे रोकना होगा। रोकथाम, रिसाइक्लिंग और दोबारा इस्तेमाल के जरिए कचरे के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी लाना संभव है। रसायनों और सभी प्रकार के कचरे का पर्यावरण की दृष्टि से ठोस प्रबंधन उनके जीवन समूचे चक्र में अपनाया जाना चाहिए ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनका प्रभाव कम से कम हो सके।

लक्ष्य 13
जलवायु कार्रवाई – जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना

जलवायु परिवर्तन प्रत्येक महाद्वीप के प्रत्येक देश पर असर डाल रहा है। इसके प्रभावों में मौसम के बदलते स्वरूप, समुद्र का बढ़ता जल स्तर और मौसम संबंधी विकट घटनाएं शामिल हैं। मानव की गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर है। लक्ष्य 13 में सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने, झटके सहने की शक्ति पैदा करने और जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षा सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ टैक्नॉलॉजी जैसे कम लागत के, बड़े पैमाने पर अपनाए जाने वाले समाधान उपलब्ध हैं जिनसे देश अधिक पर्यावरण अनुकूल और अधिक सशक्त अर्थव्यवस्थाओं के रूप में छलांग लगा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह नहीं करती। अतः इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विकसित देशों को विकासशील देशों, विशेषकर सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए धन जुटाने और क्षमता निर्माण में समर्थन देने का अपना वायदा पूरा करें।

दिसम्बर 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी21) में पेरिस समझौते का अनुमोदन किया गया। यह समझौता, अप्रैल में हस्ताक्षर के लिए रखा गया और 4 नवंबर 2016 को लागू हो गया। समझौते में सभी देशों ने सहमति व्यक्त की कि वे वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से से नीचे सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए प्रयास करेंगे।

लक्ष्य 14

जलीय जीवों की सुरक्षा – सतत् विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और संवहनीय उपयोग

दुनिया भर में मानव कल्याण और सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महासागरों की आवश्यक भूमिका है। 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्री और तटवर्ती जैव विविधता पर निर्भर हैं। लक्ष्य 14 समुद्री और तटवर्ती पारिस्थितिकी प्रणालियों के संवहनीय प्रबंधन एवं संरक्षण पर केन्द्रित हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य समुद्री प्रदूषण रोकना और उसमें उल्लेखनीय कमी करना; महासागरों का अम्लीकरण कम से कम करना, छोटे द्वीपीय विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों के आर्थिक लाभ बढ़ाना; सीमा से अधिक मछली पकड़ने और अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाना ताकि मछिलियों की प्रजातियां वापस आ सकें और समुरदी विज्ञान तथा अनुसंधान क्षमता विकसित करना शामिल है। यह लक्ष्य महासागरों और उनके संसाधनों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका की तरफ भी ध्यान खींचता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सागर कानून समझौते में स्पष्ट किया गया है।

5-9 जून 2017 को न्यूयॉर्क में आयोजित महासागर सम्मेलन पहला प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था जिसमें महासागरों की संवहनीयता और लक्ष्य 14 हासिल करने के तरीकों पर ध्यान दिया गया।

लक्ष्य 15

थलीय जीवों की सुरक्षा – थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना ठीक करना और जैव विविधता क्षति को रोकना

पृथ्वी की 30 प्रतिशत सतह पर वन हैं। लगभग 1.6 अरब लोग आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। इनमें 7 करोड़ मूल निवासी शामिल हैं। लक्ष्य 15 का उद्देश्य जमीनी और अंतर्देशीय ताजा जल पारिस्थितिकी प्रणालियों विशेषकर वनों, दलदली क्षेत्रों, पहाड़ों और शुष्क भूमि का संरक्षण, पुनरुद्धार एवं टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना है। इसमें वनों के संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण रोकने और क्षतिग्रस्त जमीन को फिर उपयोग लायक बनाने की बात कही गई है। जैव विविधता की क्षति को रोकने और अवैध शिकार तथा तस्करी जैसे वन्य जीव अपराधों से खतरे में पड़ी प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। इस लक्ष्य में सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी विकास योजनाओं में जैव विविधता और पारिस्थितिकी के संरक्षण और संवहनीय उपयोग को शामिल करें और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी स्रोतों से धन जुटाएं।

लक्ष्य 16

शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं – सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को प्रोत्साहन, सबके लिए न्याय सुलभ कराना और सभी स्तरों पर असरदार, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं की रचना करना

लक्ष्य 16 में शांति की बुनियाद के लिए खतरनाक सभी प्रकार की हिंसा और अपराधों में उल्लेखनीय कमी की बात कही गई है। इनमें दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी, अवैध धन और हथियारों का प्रवाह और भेदभावपूर्ण कानून एवं प्रथाएं शामिल हैं। सबको न्याय, कानूनी पहचान और बुनियादी स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए और असरदार,

जवाबदेह तथा पारदर्शी संस्थाओं से समर्थन मिलना चाहिए। इस लक्ष्य की सफल पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने, विधिसम्मत शासन को बढ़ावा देने और समावेशी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के स्थायी समाधानों की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह लक्ष्य विकासशील देशों में राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने और वैश्विक प्रशासन में उनकी भागीदारी का दायरा बढ़ाने के लिए समर्थन का वायदा करता है।

लक्ष्य 17

लक्ष्य हेतु भागीदारी – क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक साझेदारी में नई शक्ति देना

एक सफल संवहनीय विकास एजेंडा के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध समाज के बीच सभी स्तरों पर भागीदारी आवश्यक है। निजी संसाधनों की कायाकल्प करने की शक्ति को एकजुट करने, दिशा बदलने और उसे बंधन मुक्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। संवहनीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, परिवहन और संचार टैक्नॉलॉजी जैसे निर्णायक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित दीर्घावधि निवेश आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र को स्पष्ट दिशा निर्धारित करनी चाहिए, समीक्षा एवं निगरानी के दायरे, विनियमों एवं प्रोत्साहन ढांचे को नए साधन दिए जाने चाहिए ताकि इस तरह का निवेश मिल सके। उच्चतम ऑडिट संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय निगरानी तंत्रों और विधायिका द्वारा निगरानी के काम को मजबूत किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य में विकसित और विकासशील, विकासशील एवं विकासशील देशों तथा त्रिपक्षीय क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें विकसित देशों से आग्रह किया गया है कि वे विकासशील देशों के लिए फाइनेंसिंग, टैक्नॉलॉजी, क्षमता निर्माण के प्रचार-प्रसार के लिए सहायता प्रदान करें और एक खुली भेदभाव मुक्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपनाएं।

विकास आज और कल के लिए

सतत् विकास

सतत् विकास क्या है?

दुनिया की 7.4 अरब आबादी 2100 तक बढ़कर 11.2 अरब हो जाने की संभावना है। कम होते प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ रही है, आमदनी की खाई चैड़ी होती जा रही है। सतत् विकास की मांग है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संकट में डाले बिना आज हर किसी के लिए रहन-सहन का अच्छा स्तर सुनिश्चित किया जाए। अर्थात हमें अपने संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग करना होगा।

सतत् विकास के लिए हमें अधिक संरक्षण और बर्बादी कम करने पर जोर देना होगा। औद्योगिक देशों में बहुत से लोग प्रकृति के साधनों से परे जीते हैं। उदाहरण के लिए बेहद अमीर देश में एक व्यक्ति इतनी ऊर्जा खर्च करता है जितनी बहुत गरीब देश में 80 लोग करते हैं। आवश्यकता से अधिक खपत से बर्बादी होती है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है और हमारे संसाधन खर्च हो जाते हैं।

बेहिसाब गरीबी और बढ़ती आबादी भी पर्यावरण पर जबर्दस्त दबाव डालती है। जब भोजन, प्राकृतिक संसाधन और रोजगार देने वाली जमीन और जंगल खत्म हो जाते हैं तो लोगों के लिए जीना कठिन और कभी-कभी असंभव हो जाता है। बहुत से लोग शहरों में चले जाते हैं और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक तंग बस्तियों में भीड़ में रहते हैं।

कलाकार मोना सफीर की कलाकृतिः मानव जीवन का पर्यावरण पर जबर्दस्त असर पड़ता है, दृश्य और अदृश्य कचरा पृथ्वी को दूषित, पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है और इंसानों, पशुओं और वनस्पति को रोग या मृत्यु देता है। ■ यूएन फोटो/ज्यां मार्क फेरे

यदि गरीब लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने स्थानीय पर्यावरण को नष्ट करने पर मजबूर किया गया तो उसका दुष्प्रभाव सभी देशों में अनेक पीढ़ियां भोगेंगी।

क्या सतत् विकास असरदार है?

पिछले तीन दशक में ऊर्जा, खेती, शहरी नियोजन और उत्पादन एवं खपत के क्षेत्रों में सतत् विकास की सफलता के अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं:

- 2016 में अमेरिका में टेनेसी में वैज्ञानिकों ने कपड़े सुखाने का तरीका बदल दिया। उन्होंने ताप की बजाय कंपन से कपड़े सुखाने शुरू किए। अनुमान है कि इस नई तकनीक से आज के तरीकों की तुलना में कपड़े आधे समय में सूख जाते हैं और ऊर्जा की खपत 70 प्रतिशत कम होती है।
- केन्या में फाइनेंस के नए तरीकों ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में नए निवेश को प्रोत्साहित किया है। इनमें सौर, पवन, लघु पनबिजली, बायोगैस और नगरपालिका कचरे से ऊर्जा पैदा करना शामिल हैं जिससे आमदनी और रोजगार मिलते हैं।
- चीन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर आधारित कम कार्बन उत्सर्जन वाली वृद्धि रणनीति अपनाने के उपायों से कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों ने रोजगार, आमदनी और राजस्व के अवसर पैदा किए हैं।

- युगांडा में जैविक खेती अपनाने से छोटी जोत वाले किसानों के लिए आमदनी और राजस्व पैदा हुआ है जिससे अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण को लाभ हुआ है।
- नेपाल में स्थानीय समूहों के नेतृत्व में सामुदायिक वाणिकी ने 1990 के दशक में लगातार गिरावट के बाद वन संसाधनों को फिर खड़ा करने में योगदान दिया है।
- कनाडा में उत्तर अमरीका के सबसे सम्मानित पर्यावरण प्रमाण संकेत ईकोलोगो ने ऐसे हजारों उत्पादों का प्रचार किया है जो कड़े पर्यावरण मानकों का पालन करते हैं।
- फ्रांस में 2015 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की (पनबिजली शामिल नहीं) और 2014 में पवन ऊर्जा क्षेत्र में 2000 रोजगार पैदा हुए।
- 2017 में अनेक देशों ने घोषणा की कि जीवाष्म ईंधन से चलने वाले वाहन अगले दो दशकों में धीरे-धीरे हटाकर बंद कर दिए जाएंगे। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम इसके उदाहरण हैं।

संयुक्त राष्ट्र और जलवायु परिवर्तन

यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका अनुमोदन 9 मई 1992 को हुआ और उसी वर्ष रियो द जनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसे हस्ताक्षर के लिए रखा गया। यह संधि पर्याप्त संख्या में देशों का अनुसमर्थन मिलने के बाद 21 मार्च 1994 को लागू हुई। 2017 तक 197 अनुसमर्थन मिल चुके थे।

यूएनएफसीसीसी का उद्देश्य "वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का जमाव ऐसे स्तर तक स्थिर कर देना जिससे हमारी जलवायु प्रणाली में हानिकारक हस्तक्षेप न हो सके।" इस समझौते में अलग-अलग देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कोई बाध्यकारी सीमाएं तय नहीं की गई हैं और न ही परिवर्तन का कोई तंत्र है। इसके बजाय संधि में बताया गया है कि प्रोटोकाल या समझौतों के नाम से निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधियां कैसे की जा सकती हैं जिनमें यूएनएफसीसीसी के उद्देश्य की दिशा में आगे की कार्रवाई निर्धारित हो। लगभग सभी देशों की सदस्यता के कारण इस संधि को व्यापक मान्यता मिल गई है।

संधि से संबद्ध पक्ष 1995 से हर वर्ष कांफ्रेंसिज ऑफ पार्टीज (सीओपी) में मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में प्रगति का आकलन करते हैं। 1997 में क्योतो प्रोटोकाल संपन्न हुआ और उसमें विकसित देशों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनन बाध्यकारी दायित्व सौंपे गए। 2015 में पेरिस समझौते का अनुमोदन हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित महत्वाकांक्षी योगदानों में देशों के संकल्प के जरिए 2020 से उत्सर्जन में कमी की बात कही गई। पेरिस समझौता 4 नवम्बर, 2016 से लागू हुआ।

पर्यावरण और विकास से जोड़ना

हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वही पर्यावरण है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस मिट्टी में हम अपना आहार उगाते हैं और सभी जीव-जन्तु पर्यावरण हैं। पर इन संसाधनों से अपना जीवन सुधारने के लिए हम जो कुछ करते हैं वही विकास है।

हम दुनिया को बदलते हैं

दुनिया भर में हम वही काम करते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमारा जीवन बेहतर होगा। किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें और हमारे पर्यावरण को बदल देता है।

क्या आप जानते हैं?

जलवायु परिवर्तन: पेरिस समझौता

पेरिस समझौता यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) पर आधारित है और पहली बार इसने सभी देशों को एक साझे हित के लिए एकजुट किया है ताकि वे जलवायु परिवर्तन का सामना करने और उसके प्रभावों के अनुरूप ढलने के बड़े पैमाने पर प्रयास कर सके। इसमें विकासशील देशों को समर्थन बढ़ाने की बात कही गई है। इस समझौते में वैश्विक जलवायु प्रयासों का नया मार्ग प्रशस्त किया है।

पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य दुनिया में इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को औद्योगीकरण पूर्व स्तरों से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित रखकर और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित कर देने के प्रयासों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करना है। इसके अलावा समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने की देशों की क्षमता को मजबूत करना भी है। इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धन का उपयुक्त प्रवाह, टैक्नॉलॉजी का एक नया ढांचा और क्षमता निर्माण का बेहतर ढांचा विकसित किया जा रहा है जिससे विकासशील देशों और सबसे लाचार देशों को अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप कार्रवाई के लिए समर्थन दिया जा सके। इस समझौते में पारदर्शिता की मजबूत व्यवस्था के जरिए कार्रवाई और समर्थन में पारदर्शिता बढ़ाने की बात भी कही गई है।

पेरिस समझौते के अंतर्गत सभी देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदानों के जरिए बेहतर से बेहतर प्रयास करने और आने वाले वर्षों में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसमें यह शर्त शामिल है कि देश नियमित रूप से अपने उत्सर्जन और समझौते को लागू करने के प्रयासों की सूचना देंगे।

समझौते के उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन हर पांच वर्ष में किया जाएगा और संबद्ध पक्षों द्वारा अलग-अलग कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।

कभी-कभी हम यह नहीं देख पाते कि हम पृथ्वी से और एक-दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। फिर भी यह जुड़ाव तो है:

- हो सकता है कि जर्मनी में लोगों की जान बचाने वाली दवाएं कोस्टारिका के जंगलों में उगते पौधों पर निर्भर हों
- हो सकता है कि लंदन या मैक्सिको सिटी में मोटर वाहनों का प्रदूषण रब्बात या तोक्यो में जलवायु को प्रभावित करता हो।
- कारखानों और कारों से निकलती कार्बनडाइ ऑक्साइड और अन्य गैसें वायुमंडल को गर्म करती हैं। तापमान में यही वृद्धि दुनिया की जलवायु बदल रही है।
- जंगल वायु को कार्बनडाइऑक्साइड से मुक्त करने में मदद करते हैं किन्तु लकड़ी के लिए और खेतों की जमीन के लिए बहुत से जंगल काटे जा रहे हैं

हमारे चारों तरफ का प्राकृतिक जगत बहुत नाजुक है जिसे देखभाल, सम्मान और जानकारी की जरूरत है। वायु प्रदूषण, जल जन्य रोग, विषैले रसायन और प्राकृतिक आपदाएं मानव समुदाय के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों में शामिल हैं।

पर्यावरण का संरक्षण

संयुक्त राष्ट्र हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का स्वरूप तय करने में मुख्य भूमिका निभाता है। विश्व के इन प्रयासों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (यूएनईपी) करता है। संयुक्त राष्ट्र शोधकर्ता, पर्यावरण की स्थिति की निगरानीकर्ता और सरकारों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के तरीकों के बारे में सलाह देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पर्यावरण की विशेष समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए सरकारों को एकजुट करता है।

यूएनएफसीसीसी, क्योतो प्रोटोकाल और पेरिस समझौते के अलावा संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं:

- लघु द्वीपीय विकासशील देशों के सतत् विकास के लिए घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम (1994) में देशों से आग्रह किया गया है कि वे 40 लघु द्वीपीय विकासशील देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाएं। इनमें से अनेक देशों के पास बेहद सीमित संसाधन हैं और ये वैश्वीकरण के लाभ लेने में असमर्थ हैं।
- मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि (1994) का उद्देश्य सीमा से अधिक खेती, वनों के कटाव, सीमा से अधिक चराई और सिंचाई की खराब सुविधाओं की समस्याओं का समाधान करना है। पृथ्वी की एक-चैथाई जमीन के मरुस्थल हो जाने का खतरा है। 100 से अधिक देशों में 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका खतरे में है क्योंकि खेती और चराई की जमीन कम उत्पादक हो गई है।
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता संधि (1992) का उद्देश्य मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण विविध प्रकार के जीव-जन्तुओं और वनस्पति को संरक्षण देना है।

जीवन के लिए जल

जल जीवन के लिए परम आवश्यक है। पृथ्वी पर कोई जीव-जन्तु या वनस्पति इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। ये मानव स्वास्थ्य और कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए बुनियादी शर्त है।

सुरक्षित जल?

- दुनिया भर में अब भी 66.3 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल सुलभ नहीं है। अर्थात 2017 में हर 10 में से एक से अधिक व्यक्ति को यह सुविधा सुलभ नहीं थी।
- हर वर्ष लाखों लोग, अधिकतर बच्चे अपर्याप्त जलापूर्ति, स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं।
- जल की कमी, जल की खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त स्वच्छता का दुनिया भर में गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा, आजीविका के विकल्पों और शिक्षा के अवसरों पर विपरीत असर पड़ता है।

फोटो:दुनिया भर में अधिकतर महिलाएं और लड़कियां ही पानी ढोने की जिम्मेदारी उठाती हैं। इस काम में बहुत कीमती समय और ऊर्जा खर्च होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्थक कार्य, बच्चों की देखभाल और शिक्षा में हो सकता है। ■ यूएन फोटो/अल्बर्ट गोंजालीज फर्रान

- बाढ़, कटिबंधीय तूफानों और त्सुनामी जैसी जल से जुड़ी प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन और कष्ट के रूप में भारी तबाही मचाती हैं।

दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों पर बहुत नियमित रूप से सूखे की मार पड़ती है जिससे भुखमरी और कुपोषण बढ़ते हैं।

जल और विकास

मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा जल एक मूल्यवान संसाधन भी है। जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाएं सतत् विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं:

- जल, दुनिया के कुछ हिस्सों में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जबकि कुछ हिस्सों में ऊर्जा प्रदान करने की उसकी क्षमता का बहुत हद तक उपयोग नहीं हुआ है।
- जल, खेती और अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
- अनेक देशों में जल परिवहन प्रणाली का अभिन्न अंग है।

आने वाले वर्षों में जल की चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती आमदनी के साथ जल की खपत और उसकी बर्बादी भी बढ़ेगी। विकासशील देशों में शहरी आबादी में नाटकीय वृद्धि होगी जिसके कारण पहले से अपर्याप्त जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं एवं सेवाओं की क्षमताओं से परे

जबर्दस्त मांग होगी। 2050 तक हर चार में से कम से कम एक व्यक्ति ऐसे देश में रहेगा, जहां ताजे पानी की गंभीर या अक्सर कमी रहेगी।

जैव विविधता का महत्व

जैव विविधता और गरीबी

जैव विविधता गरीबी कम करने के वैश्विक प्रयासों के मूल में है। सदियों से मानव समुदाय ने अपनी खुशहाली और आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी की पारिस्थितिकी का उपभोग किया है। इसके अलावा अनेक आस्थाएं, वैश्विक धारणाएं और पहचान जैव विविधता के चारों ओर केन्द्रित हैं। अपने बुनियादी महत्व के बावजूद जैव विविधता का चिंताजनक दर से क्षय हो रहा है।

स्वस्थ पारिस्थितिकी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं जिसमें भोजन, औषधि, मिट्टी की किस्में, वायु गुणवत्ता, जलापूर्ति और कुछ वनस्पतियों तथा जीवों का सांस्कृतिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्व शामिल है। जैविक दृष्टि से विविध संसाधनों का संरक्षण और उचित प्रबंधन सतत् विकास के सभी पहलुओं, विशेषकर खेती, मवेशी यानी की मछली पालन और पर्यटन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है।

जैव विविधता और विकास

आज 1.6 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए जैव-विविधता और वस्तुओं तथा सेवाओं की बुनियादी पारिस्थितिकी पर निर्भर है। विकास केवल गरीबी में कमी तक सीमित नहीं है। सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने और गरीबी मिटाने के लिए पर्यावरण संवहनीयता आवश्यक है।

जैव विविधता और विकास के बीच गहरा संबंध है: जैव विविधता विकास को सहारा देती है और विकास का जैव विविधता पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैसे तो विकास के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता का सीधा योगदान नहीं होता, फिर भी विकास के प्रयासों के कारण जैव विविधता छिन्न-भिन्न होने पर सतत् वृद्धि हासिल नहीं की जा सकती।

गरीब लोग विशेष रूप से पृथ्वी से मिलने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जैव विविधता को प्राथमिकता न देने वाली विकास रणनीतियां गरीबी कम करने के प्रयासों में बाधक हैं और उनका विपरीत असर होता है।

संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के लिए एक रणनीतिक योजना अपनाई जिसका उद्देश्य वर्तमान दशक में जैव विविधता के समर्थन में व्यापक आधार पर कार्रवाई को प्रेरित करना है। महासभा ने 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक भी घोषित किया है।

अध्याय 4

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संक्षिप्त तथ्य

- 1948 से संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व में 71 शांतिरक्षण अभियान चलाए गए। 2017 में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के 16 शांतिरक्षण अभियान चल रहे थे।
- आज दुनिया भर में करीब 112,300 सैनिक, पुलिस अधिकारी, स्वयंसेवक और असैनिक कर्मी संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण गतिविधियों में काम करते हुए चार महाद्वीपों में लाखों लोगों को आवश्यक सुरक्षा और समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के बाद से 170 से अधिक शांति समाधान कराने में मदद की है।
- सतत् विकास लक्ष्य 16 शांतिपूर्ण समाजों को प्रोत्साहन देने, सबके लिए न्याय सुलभ कराने की व्यवस्था और सभी स्तरों पर जवाबदेह संस्थाओं के निर्माण पर बल देता है।
- संघर्ष के बाद प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रयासों में अक्सर लाखों हथियारों के संग्रह और विनाश की मेजबानी और लड़ाकू रह चुके लोगों को समाज में फिर से समाहित करने के प्रयास शामिल होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने देशों को 1997 के ओटवा संधि को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें बारूदी सुरंगों के उत्पादन, निर्यात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की हिमायत की गई है। संयुक्त राष्ट्र आज भी इस संधि के सब जगह पालन का प्रचार-प्रसार कर रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से ही परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि, समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु अस्त्र मुक्त क्षेत्रों की स्थापना से संबंधित संधियों सहित विभिन्न प्रकार के शांति और सुरक्षा समझौते हुए हैं।
- 2015-2016 में अधिकांश आतंकवादी हमले पांच देशों में हुएः इराक, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीरिया।
- आज सबसे हिंसक संघर्ष देशों के भीतर ही छोटे हथियारों और हल्के हथियारों से लड़े जाते हैं। हर वर्ष 80 लाख तक छोटे हथियार बनाए जाते हैं और संघर्षों से हुई मौतों में 60 से 90 प्रतिशत तक इन्हीं हथियारों से होती है।
- संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण गतिवियों का स्वीकृत बजट जुलाई 2017-जून 2018 वर्ष के लिए 6.8 अरब डॉलर था जो दुनिया के सैन्य खर्च के आधा प्रतिशत से भी कम है।

गरीबी से संघर्षः संघर्ष से गरीबी

इस कुचक्र को कैसे तोड़ा जाए?

संघर्ष चाहे आस-पड़ोस में अपराध और हिंसा हो, गृह युद्ध अथवा दो या अधिक देशों के बीच युद्ध हो, अक्सर गरीबी का कारण और परिणाम होता है। शोध के परिणाम बताते हैं कि गरीबी, आर्थिक गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर निर्भरता का मेल सभी क्षेत्रों में संघर्षों को जन्म देता है। संघर्ष के इस कुचक्र से निकलना अनेक उबर रहे देशों के लिए संभव नहीं हो पाता। उनमें से करीब 40 प्रतिशत 10 वर्ष के भीतर फिर हिंसा के भंवर में फंस जाते हैं।

संघर्ष से स्थानीय प्रभाव

कोई भी संघर्ष महंगा होता है और हर किसी को प्रभावित करता है। एक देश के भीतर लड़ाई बंद होने के बाद भी युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है:

- **मौतें:** कुल मौतों, घायलों और तकलीफ सहने वालों में लड़ाकुओं की संख्या बहुत कम होती है। स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट या उनकी अनुपस्थिति से अधिक लोगों की मौत हो सकती है जिनमें गैर-लड़ाकू शामिल होते हैं। किसी भी संघर्ष के कारण होने वाली करीब आधी मौतें शांति की घोषणा के बाद होती है।
- **विस्थापन और रोग:** बहुत से लोग लड़ाई से डरकर भाग जाते हैं। भागते हुए शरणार्थी रोग के शिकार हो जाते हैं और फिर सीमा के पार जहां शरण लेते हैं वहां ये रोग फैला देते हैं।
- **बचपन की हानि:** कई पीढ़ियों तक बच्चे, नवयुवक, स्थायी घर, बचपन और स्कूल से वंचित हो जाते हैं। अक्सर उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद इन युवाओं के लिए सामान्य जिंदगी जीना और अपने देश को भविष्य की राह पर ले जाने के बारे में सोच पाना कठिन होता है।
- **बारूदी सुरंगें:** युद्ध के मैदानों में छोड़ी गई बारूदी सुरंगों के कारण जमीन वर्षों तक इस्तेमाल लायक नहीं रहती जिससे किसानों के लिए फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। अनेक देशों के लिए बारूदी सुरंगों का पता लगाना और उन्हें हटाना बहुत महंगा काम है।
- **गरीबी और अलगाव:** गृह युद्ध के शिकार देशों में अक्सर सैन्य खर्च और संक्रामक रोग बहुत अधिक होते हैं। प्रतिभा और धन का पलायन होता है, वृद्धि कम और गरीबी घनघोर होती है।

संघर्ष की कीमत पूरा क्षेत्र चुकाता है

संघर्षों की मार उनमें सीधे शामिल देशों से बाहर भी महसूस की जाती है। पड़ोसी देश और शेष विश्व भी इनके तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणामों से प्रभावित होते हैं।

- **शरणार्थी:** शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने से पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ सकता है क्योंकि पड़ोसी देश अक्सर खुद गरीब होते हैं।
- **संक्रामक रोग:** शरणार्थी अक्सर मलेरिया, एचआईवी और तपेदिक जैसे रोग फैलाते हैं।

संघर्षों में मकान, औजार और खेत नष्ट हो जाते हैं जिससे जीवित बचे लोग कई तरह के खतरे झेलते हैं और जीवनयापन के साधनों से वंचित हो जाते हैं। ■ यूएन फोटो/मिल्टन ग्रांट

- **आर्थिक लागत:** पड़ोसी देशों के निवेश खत्म हो जाते हैं और आर्थिक वृद्धि में गिरावट आती है जिससे हो सकता है कि एक गृह युद्ध दूसरे को जन्म दे या क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले ले।
- **मादक पदार्थ:** करीब 95 प्रतिशत मादक पदार्थ उत्पादन गृह युद्ध में उलझे देशों में होता है क्योंकि किसी मान्य सरकार के नियंत्रण से बाहर के स्थानों पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का उत्पादन संभव होता है।
- **एचआईवी/एड्स:** लड़ाकू आम नागरिकों को डराने और हानि पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बलात्कार को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वे खुद एचआईवी या अन्य रोगों के शिकार हो जाते हैं और अनजाने में संक्रमण फैलाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद:** जिन क्षेत्रों में कोई मान्य या सक्रिय सरकार नहीं होती, वहां आतंकवादी गुट अपने मुख्यालय और प्रशिक्षण शिविर लगा लेते हैं।

संयुक्त राष्ट्र: शांतिरक्षण के लिए गठित

संयुक्त राष्ट्र ऐसा वैश्विक मंच है जहां सदस्य देश युद्ध और शांति की समस्याओं सहित अधिकतर कठिन मुद्दे उठा सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं। सरकारों के नेता जब एक-दूसरे से आमने-सामने बात करते हैं तो संवाद स्थापित होता है जिससे विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों पर सहमति हो सकती है।

जब अनेक देश एक आवाज में बोलते हैं तो सब पर वैश्विक दबाव पड़ता है। महासचिव भी सीधे अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से देशों के बीच और उनके भीतर संवाद को गति दे सकते हैं।

संघर्ष न होने देना

संयुक्त राष्ट्र अनेक संघर्षों को पूरे युद्ध में भड़कने से रोकने के लिए मदद करता रहा है। उसने संघर्षों के शांतिपूर्ण समझौते कराए हैं और अनेक मौकों पर संघर्ष शांत कराने में मदद की है। जैसे बर्लिन संकट (1948-1949), क्यूबा मिसाइल संकट (1962) और 1973 का पश्चिम एशिया संकट। इनमें से प्रत्येक मामले में संयुक्त राष्ट्र ने महाशक्तियों के बीच युद्ध भड़कने से रोकने में मदद के लिए हस्तक्षेप किया।

संयुक्त राष्ट्र ने कांगो (1964), ईरान और इराक के बीच (1988) और अल सल्वाडोर (1992) और ग्वाटेमाला (1996) में युद्ध समाप्त कराने में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति समाधान के बल पर मोजाम्बिक (1994) में सतत् आर्थिक वृद्धि आई, तिमोर-लेस्ते (2002) को स्वतंत्रता मिली और फिर दिसम्बर 2005 में संगठन ने सिएरा लियोन में शांतिरक्षण का काम सफलता से पूरा हुआ।

अन्य उपलब्धियां

यूनाइटेड नेशन्स ट्रांज़िशन अस्सिटेंस ग्रुप (यूएनटैग) ने नामीबिया में पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी की जिससे देश को 1989 और 1990 के बीच स्वतंत्रता मिली।

गश्त लगाना और नजर रखना। जमीन पर संयुक्त राष्ट्र शांति के शांतिरक्षकों की दो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। ■ *यूएन फोटो/टिम इकुलका*

यूनाइटेड नेशन्स ट्रांज़िशनल अथॉरिटी इन कम्बोडिया (यूएनटैक) ने युद्ध विराम और देश से विदेशी सेनाओं की वापसी की निगरानी की, कम्बोडिया के साथ मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के लिए काम किया और 1992 तथा 1993 के बीच निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए।

पूर्व युगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र संरक्षण सेना ने सेना रहित क्षेत्रों में आम नागरिकों को सुरक्षा देने तथा 1990 के दशक में संघर्षों के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम किया। शुरू में क्रोशिया में स्थापित इस सेना का कार्य क्षेत्र बाद में बोस्निया और हर्जेगोविना तक बढ़ा दिया गया ताकि मानवीय राहत प्रदान की जा सके और फिर सीमाओं की ऐहतियाती निगरानी के लिए इसे युगोस्लाव मैकडोनिया गणराज्य तक बढ़ा दिया गया।

सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनदेखी करने पर क्या होता है?

जब कोई देश सुरक्षा परिषद के निर्णय का पालन नहीं करता तो परिषद उनका पालन सुनिश्चित कराने के लिए अनेक तरह की कार्रवाई कर सकती है। यदि कोई देश शांति भंग करने की धमकी देता है या भंग करता है अथवा आक्रामक कार्रवाई करता है तो परिषद उस पर आर्थिक एवं व्यापार प्रतिबंध, हथियार एवं यात्रा प्रतिबंध या राजनयिक प्रतिबंध लगा सकती है। सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में बल प्रयोग की अनुमति भी दे सकती है। किन्तु वह अंतिम विकल्प होता है वह भी तब जब विवाद के समाधान के लिए सभी शांतिपूर्ण उपायों का उपयोग कर लिया जाता है।

सुरक्षा परिषद किसी संघर्ष से निपटने के लिए सैनिक कार्रवाई सहित सभी प्रकार के आवश्यक साधन अपनाने के लिए सदस्य देशों के गठजोड़ को अधिकृत कर सकती है। इसके कुछ उदाहरण हैं:

- 1991 में इराक द्वारा आक्रमण के बाद कुवैत की प्रभुसत्ता फिर स्थापित करना।
- 1992 में सोमालिया में मानवीय राहत प्रदान करने के लिए माहौल सुरक्षित करना।
- 1994 में हैती में लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार को बहाल करना।
- 1999 में ईस्ट तिमोर (तिमार-लिस्ते) में शांति और सुरक्षा फिर स्थापित करना।

शांतिरक्षण और शांति स्थापना

शांतिरक्षण की पारंपरिक परिभाषा विभिन्न देशों के बीच संघर्षों पर नियंत्रण और समाधान में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की कमान में बहुराष्ट्रीय सेना का इस्तेमाल करने की है। शांतिरक्षण कार्रवाई एक तटस्थ तीसरे पक्ष की भूमिका पूरी करती है। इससे युद्धविराम कराने और जारी रखने तथा युद्धरत पक्षों के बीच तटस्थ क्षेत्र बनाने में सहायता मिलती है। इस तरह की गतिविधियां विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। जैसे चुनाव सहायता, स्थानीय पुलिस बलों के लिए प्रशिक्षण, मानवीय कार्रवाई और घातक बारूदी सुरंगों को हटाने में मदद।

एक तरफ शांतिरक्षक जमीन पर व्यवस्था कायम रखते हैं तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ विवादों पक्षों के नेताओं से मिलकर शांतिपूर्ण समाधान निकालने के प्रयास करते हैं।

ध्यान दें

संयुक्त राष्ट्र और लीबिया का गृह युद्ध

17 मार्च, 2011 को सुरक्षा परिषद ने लीबिया पर उड़ान वर्जित क्षेत्र का अनुमोदन किया और गद्दाफी शासन की वफादार सेनाओं के हमलों से नागरिकों को बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाने का अधिकार दिया। गद्दाफी शासन को उसी वर्ष अक्तूबर में अपदस्थ कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनेक सदस्य देशों ने परिषद का प्रस्ताव लागू कराने के लिए आवश्यक सैन्य प्रयासों में हिस्सा लिया।

सितम्बर 2011 में जब गृह युद्ध समाप्त होने वाला था तो परिषद ने लीबिया में एक मिशन तैनात करने की मंजूरी दे दी जो देश के अस्थायी शासन को पुनर्निर्माण प्रयासों में समर्थन देने वाला था। इनमें मानव अधिकारों और कानून के शासन को फिर स्थापित करना, नए संविधान का मसौदा तैयार करना, सुलह-सफाई को बढ़ावा देना तथा लोकतांत्रिक चुनावों के लिए तैयारी करना शामिल था। यूनाइटेड नेशन्स सपोर्ट मिशन इन लीबिया (यूएनएसएमआईएल) कोई सैनिक मिशन नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक कार्य विभाग के नेतृत्व में एक राजनीतिक मिशन है। उदाहरण के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने बेनगाजी में एक अस्पताल के पुनर्निर्माण और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में महिलाओं के प्रशिक्षण में मदद की।

शांतिरक्षण गतिविधियां दो प्रकार की होती हैं: प्रेक्षक मिशन और शांतिरक्षण सेना। प्रेक्षक सशस्त्र नहीं होते जबकि संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण सेना के सैनिकों के पास हल्के हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल आत्मरक्षा में किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह और ड्यूटी के समय पहने जाने वाले नीले हैलमेट से शांतिरक्षकों की आसानी से पहचान हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों के प्रतीक बन चुके नीले हैलमेट सभी कार्रवाईयों में ले जाए जाते हैं और खतरे के समय पहने जाते हैं। शांतिरक्षक अपने देश की वर्दी पहनते हैं।

अधिक जानकारी!

शांति स्थापना

शांति स्थापना आमतौर शांतिरक्षण के बाद होती है और इसका मतलब युद्ध से शांति की तरफ प्रयासों में देशों और क्षेत्रों को सहायता देना है। इनमें इस तरह के बदलाव को समर्थन और शक्ति देने वाले कार्यक्रम एवं गतिविधियां शामिल हैं। शांति स्थापना की प्रक्रिया आमतौर पर युद्ध में शामिल रह चुके पक्षों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर से होती है और इसकी सफलता में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र, संक्रमण से गुजरते देश में अपनी उपस्थिति के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि कठिनाइयों को, हथियार उठाने की बजाय बातचीत से दूर किया जाए। शांति स्थापना का मूल उद्देश्य एक नए और वैध राष्ट्र के निर्माण का प्रयास करना है जिसमें विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने, अपने नागरिकों को सुरक्षा देने और मानव अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की क्षमता हो। शांति स्थापना के प्रयासों में बोस्निया-हर्जेगोविना, बुरुंडी, कम्बोडिया, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, कोसोवो, सिएरा लियोन और तिमोर-लेस्ते जैसे स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे काम करने वाली 'अपने देश' की सेना पर उन्हीं सरकारों का नियंत्रण होता है जो स्वेच्छा से सेनाकर्मी भेजती हैं।

शांतिरक्षण गतिविधियों का संचालन करना

शांतिरक्षण गतिविधियों की स्थापना सुरक्षा परिषद करती है और निर्देशन अक्सर अपने विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से महासचिव के हाथ में होता है। कोई भी संघर्ष पहली बार परिषद के सामने लाए जाने पर आमतौर पर वह संबद्ध पक्षों से आग्रह करती है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से किसी सहमति पर पहुंच जाएं। किन्तु यदि लड़ाई शुरू हो जाती है अथवा जारी रहती है तो परिषद युद्धविराम कराने की कोशिश करती है। युद्धविराम हो जाने पर परिषद गड़बड़ी वाले क्षेत्र में शांतिरक्षण मिशन भेज सकती है।

क्या संयुक्त राष्ट्र की अपनी सेना है?

नहीं। संयुक्त राष्ट्र के पास कोई स्थायी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या सेना नहीं है। जो सेना संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण गतिविधियों में काम करती है उसे सदस्य देश स्वेच्छा से भेजते हैं। असैनिक कर्मी अक्सर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों में से लिए जाते हैं और इन गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

विश्व की जरूरत के समय मौजूद

संयुक्त राष्ट्र से शांतिरक्षक सबसे आवश्यक दौर में काम आते हैं। शांतिरक्षण गतिविधियां गंभीर सैन्य या मानवीय संकट के समय शुरू की जाती हैं।

फोटो: सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान जाम्बिया के शांतिरक्षक। ■ यूएन फोटो/स्टुअर्ट प्राइस

नीले हैलमेट, शांतिरक्षकों के उपकरणों में शामिल हैं और अक्सर शांतिरक्षकों को ब्लू हैलमेट कहते हैं। ■ *यूएन फोटो/मार्को डोरमिनो*

शांतिरक्षक गतिविधियां हाल में जिस तरह के माहौल में चलाई जा रही हैं उन्हें दुनिया में सबसे कठिन और सबसे कम अनुमन्य परिस्थितियों में गिना जा सकता है। ये अक्सर बेहद आक्रामक और अस्थिर क्षेत्र होते हैं, जहां किसी भी क्षण अकारण हिंसा भड़क सकती है। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण मिशन वहां तैनात किए जाते हैं, जहां कोई और नहीं जा सकता या जाने का इच्छुक नहीं होता। इसलिए वे स्थिरता और अंततः शांति एवं विकास के लिए सेतु का काम करते हैं।

अतीत में शांतिरक्षक युद्धरत देशों के बीच शांति रखने का काम करते थे। किन्तु आज अनेक देशों के भीतर युद्ध चल रहे हैं, इसलिए संघर्ष आंतरिक होते जा रहे हैं। नागरिक असंतोष और जातीय टकरावों के कारण कुछ सरकारें अपने ही क्षेत्र के बड़े हिस्सों पर शासन कायम नहीं रख पातीं जिससे लोगों को भीषण

क्या आप जानते हैं?

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण संख्या में

- शांतिरक्षण के 70 वर्ष (1948-2018)।
- 16 वर्तमान शांतिरक्षण अभियान (31 दिसम्बर, 2017 तक)।
- 112,294 से अधिक लोग, 127 देशों (30 जून, 2017 तक) से करीब 95,544 सैन्य कर्मी, 15100 से अधिक असैन्य कर्मी और करीब 1600 संयुक्त राष्ट्र वालंटियर।
- 3599 मौतें (30 जून, 2017 तक)।
- एक नोबल शांति पुरस्कार (1988)।
- 1 जुलाई, 2016-30 जून, 2017 के लिए कुल स्वीकृत बजट 7.87 अरब डॉलर।
- महिलाओं का अनुपात असैन्य कर्मियों में 30 प्रतिशत, पुलिस में 10 प्रतिशत और सैन्य शांति रक्षकों में 3 प्रतिशत है।

कष्ट होता है। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र से दो काम करने को कहा जाता है: एक तरफ समाधान की बातचीत कराना और दूसरी तरफ संघर्ष से प्रभावित लोगों को आपात राहत प्रदान करना। कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता को संकट के समाधान के प्रयासों से जोड़ता है ताकि लोग एक बार फिर भय मुक्त होकर जी सकें।

लागत किफायती समाधान

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण अभियान किसी भी अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की तुलना में कम खर्चीले होते हैं और उनकी लागत सदस्य देशों के बीच अधिक समान रूप से बांटी जाती है। 1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 की अवधि के लिए शांतिरक्षण का स्वीकृत बजट करीब 7.87 अरब डॉलर था। यह दुनिया भर में कुल सैन्य खर्च (2017 में करीब 16.8 खरब डॉलर) के आधा प्रतिशत से भी कम है।

जब प्रति शांतिरक्षक संयुक्त राष्ट्र की लागत की तुलना अमेरिका, अन्य विकसित देशों अथवा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा तैनात सैनिकों की लागत से की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र सबसे कम खर्चीला विकल्प होता है।

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण गतिविधियों में 10 प्रमुख सैन्यकर्मी अंशदाता (जून 2017)

1.	इथियोपिया	8.5%
2.	भारत	7.9%
3.	पाकिस्तान	7.4%
4.	बांग्लादेश	7.2%
5.	रवांडा	6.4%
6.	नेपाल	5.4%
7.	मिस्र	3.2%
8.	बुर्कीना फासो	3.0%
9.	सेनेगल	2.9%
10.	चीन	2.8%
	अन्य सदस्य देश	45.0%

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण मिशनों के लिए धन की व्यवस्था

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण बजट के लिए धन सदस्य देश देते हैं।

प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण अभियान

नवम्बर 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फलस्तीन के विभाजन की योजना का अनुमोदन किया जिसमें एक अरब देश और एक यहूदी देश बनाने का प्रावधान था और येरूशलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाना था। फलस्तीन के अरब निवासियों और अरब देशों ने इस योजना को मानने से इंकार कर दिया। 14 मई 1948 को यूनाइटेड किंगडम ने फलस्तीन पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया और इस्राइल राष्ट्र की स्थापना की घोषणा कर दी गई। अगले ही दिन फलस्तीन के अरब निवासियों और अरब देशों ने इस्राइल के साथ लड़ाई शुरू कर दी।

कुछ समय बाद ही सुरक्षा परिषद ने फलस्तीन में लड़ाई बंद कराने को कहा और तय किया कि संघर्ष विराम की देखरेख संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ, सैन्य पर्यवेक्षकों के एक दल की सहायता से करेंगे। सैन्य पर्यवेक्षकों

1959 में इस्राइल और अरब देशों के बीच संघर्षविराम की देखरेख करते यूएनटीएसओ के अधिकारी। ■ *यूएन फोटो/जेजी*

का पहला दल जून, 1948 में इस क्षेत्र में पहुंचा। यह दल यूनाइटेड नेशन्स टूस सुपरविजन आर्गेजाइनेशन (यूएनटीएसओ) कहलाया। अगस्त 1949 में सुरक्षा परिषद ने इस्राइल और उसके चार पड़ोसी अरब देशों- मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरियाई अरब गणराज्य के बीच हुए संघर्षविराम समझौतों के अनुरूप यूएनटीएसओ को नए काम सौंप दिए। इस तरह यूएनटीएसओ की गतिविधियां क्षेत्र के पांचों देशों में फैल गई।

यूएनटीएसओ संयुक्त राष्ट्र का पहला शांतिरक्षण मिशन था और उसके इतिहास में एक सबसे लंबा मिशन भी था। इसके सैन्य पर्यक्षेक युद्धविराम की निगरानी और समझौतों के पालन की देखरेख के लिए आज भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं।

शांतिरक्षण अभियानों के तीन उदाहरण

अपने इतिहास के पहले 40 वर्ष (1945-1985) में संयुक्त राष्ट्र ने 13 शांतिरक्षण मिशन स्थापित किए उसके बाद से उनकी संख्या कई गुणा बढ़ गई है।

दक्षिण सूडान गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस)

सुरक्षा परिषद ने 8 जुलाई, 2011 को देश की स्वतंत्रता के अवसर पर दक्षिण सूडान में नया मिशन स्थापित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया। यूएनएमआईएसएस का अधिकृत बजट 7000 सैन्य कर्मियों और 900 पुलिस कर्मियों तथा असैन्य कर्मियों का है। नए मिशन ने पिछले संयुक्त राष्ट्र सूडान मिशन से कार्यभार संभाला। पिछले मिशन की स्थापना 2005 में हुए समग्र शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद

की गई थी। इस समझौते से उत्तर और दक्षिण सूडान के बीच गृह युद्ध समाप्त हुआ और दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यूएनएमआईएसएस को शांति तथा सुरक्षा मजबूत करने तथा विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया। इसका उद्देश्य दक्षिण सूडान गणराज्य सरकार की असरदार और लोकतांत्रिक ढंग से शासन करने एवं पड़ोसियों से अच्छे संबंध कायम करने की क्षमता को मजबूत करना है।

दारफुर में संयुक्त राष्ट्र-अफ्रीकी संघ मिशन (यूएनएएमआईडी)

सुरक्षा परिषद ने 31 जुलाई, 2007 को दारफुर में अफ्रीकी संघ/संयुक्त राष्ट्र का एक संयुक्त मिशन अधिकृत किया। परिषद ने दारफुर शांति समझौते को लागू कराने और देश की असैन्य आबादी को संरक्षण देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते यूएनएएमआईडी का गठन किया। परिषद ने निर्णय किया कि यह मिशन देर से देर 31 दिसम्बर, 2007 को अपने दायित्वों का निर्वाह करना शुरू कर देगा।

हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरता मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच)

हैती संयुक्त राष्ट्र स्थिरता मिशन की स्थापना 1 जून, 2004 को की गई। इसने फरवरी 2004 में सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत बहुराष्ट्रीय अंतरिम सेना की जगह ली जिसे देश के विभिन्न शहरों में सशस्त्र संघर्ष फैलने के बाद तैनात किया गया था, जब राष्ट्रपति ज्यां बर्ट्रेंड अरिस्टाइड को हैती छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र स्थिरता मिशन को, सुरक्षित और स्थिर माहौल फिर स्थापित करने, लोकतंत्र और विधि सम्मत शासन को बढ़ावा देने, हैती सरकार की संस्थाओं को मजबूत करने और मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

12 जनवरी, 2010 को आए विनाशकारी भूकंप में 2,20,000 से अधिक मौतें हुईं, जिनमें 102 संयुक्त राष्ट्र कर्मी शामिल थे। इससे देश की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बड़ा गहरा झटका लगा। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र स्थिरता मिशन कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करता आ रहा है।

शांति के लिए सतत् माहौल की स्थापना

शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास शांतिरक्षण मिशन के सफल समापन तक सीमित नहीं हैं।

क्या हमें शांति के काम के लिए संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है?

दुनिया ने पिछले 65 वर्ष में 50 से अधिक युद्ध देखें हैं। अकेले 2017 में विश्व भर में 17 बड़े सशस्त्र संघर्ष हुए हैं। सौभाग्यवश, इनमें से किसी में भी विनाशकारी विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। इस बात पर आम सहमति है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति एवं निरस्त्रीकरण प्रयासों नें इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस बात पर सहमति है कि संयुक्त राष्ट्र को और अधिक मजबूत होना चाहिए ताकि वह इस तरह के छोटे युद्धों को रोक सके और अपने फैसलों को पूरी तरह लागू करा सके। किन्तु संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाइयां कितनी असरदार होती हैं यह सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति यानी उन फैसलों का सम्मान और

प्रवर्तन करने की उनकी तैयारी पर निर्भर है जो वे स्वयं लेते हैं। इसके अलावा इन गतिविधियों के लिए देशों से धन की आवश्यकता होती है। धन की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र अक्सर अधिक बड़ी भूमिका नहीं निभा पाता।

संयुक्त राष्ट्र को, सबसे कठिन चुनौतियों के सामने भी हार न मानने के अपने इरादे से शक्ति मिलती है, जब युद्धरत देशों में लड़ाई रोकने की इच्छाशक्ति नहीं होती तो संयुक्त राष्ट्र को कभी-कभी अपनी शांतिरक्षण सेना को वापस बुला लेना पड़ता है। किन्तु वह कूटनीतिक प्रयासों और वार्ता के जरिए अपना काम जारी रखता है, संबद्ध पक्षों से लगातार बात करता रहता है और हालात सुधरने पर शांतिरक्षक लौट सकते हैं।

सबके लिए पूर्ण शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए दुनिया को अभी लंबा रास्ता तय करना है। युद्ध, गरीबी और मानव अधिकारों का उल्लंघन अब भी व्यापक है। किन्तु इसी कारण से हमें संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र न होता तो दुनिया के देशों को किसी और नाम से कोई और संगठन बनाना पड़ता जो ठीक वही काम करता जो संयुक्त राष्ट्र करता है।

शांति रचना, शांति स्थापना, शांतिरक्षण और राष्ट्र निर्माण

किसी भी संघर्ष के बाद संयुक्त राष्ट्र विस्थापितों और शरणार्थियों को अपने घर लौटने में मदद देता है, बारूदी सुरंगें हटाता है, सड़कों और पुलों की मरम्मत करता है तथा अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए आर्थिक एवं तकनीकी मदद देता है। यह चुनावों की निगरानी करता है और इस बात पर बारीकी से नजर रखता है कि कोई देश अपने नागरिकों के मानव अधिकारों का सम्मान कैसे कर रहा है। इस प्रक्रिया को शांति स्थापना भी कहते हैं जिससे 60 से अधिक देशों को लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में मदद मिली है। शांति स्थापना गतिविधियों से किसी भी देश को युद्ध से शांति की तरफ बढ़ने और स्वशासन करने के लिए सभी आवश्यक समर्थन मिलता है।

जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि शांतिरक्षण मिशन सेना की तैनाती के इर्द-गिर्द चलाया जाता है और शांति स्थापना प्रयासों का केन्द्र होता है।

ध्यान दें

शांति स्थापना आयोग

संयुक्त राष्ट्र ने शांति समझौतों की मध्यस्थता और उन पर अमल में सहायता के जरिए अनेक क्षेत्रों में संघर्ष का स्तर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युद्ध से उबरे करीब आधे देश कुछ वर्ष के भीतर ही फिर हिंसा में घिर गए जिससे यह संदेश साफ हो गया कि संघर्ष से बचने के लिए शांति समझौतों को लगातार कुछ समय तक लागू करते रहना होगा।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग देशों को युद्ध से स्थायी शांति की ओर ले जाने में मदद देता है। आयोग शांतिरक्षण और संघर्ष के बाद की गतिविधियों के बीच संपर्क कायम करता है। उसका काम किसी भी स्थिति में सभी प्रमुख पक्षों को दीर्घकालिक शांति स्थापना रणनीति पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए एक साथ बैठाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि सहायता में बेहतर समन्वय है, धन बेहतर ढंग से खर्च होता है और संघर्ष के तुरन्त बाद के प्रयासों और दीर्घकालिक पुनर्स्थापन एवं विकास के बीच वास्तविक तालमेल है।

राष्ट्र निर्माण का अर्थ भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न है। किन्तु संयुक्त राष्ट्र इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। वह सामान्यतः अधिक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का उल्लेख करता है जिसमें एक राष्ट्रीय पहचान बनाना शामिल है।

शांति रचना का मतलब संघर्ष में लिप्त पक्षों को आक्रामक गतिविधियां बंद करने और अपने विवाद को शांति से सुलझाने के लिए बातचीत करने पर राजी करने के लिए राजनयिक प्रयास करना है। युद्ध को भड़कने से रोकने के लिए राजनयिक शांति रक्षण, मानवीय सहायता और शांति स्थापना जैसे तमाम तरह के प्रयासों का सफल शांति रचना के हालात पैदा करने में कुछ-न-कुछ भूमिका है।

बच्चे और सशस्त्र संघर्ष

दुर्भाग्यवश, बच्चे सशस्त्र संघर्षों के सबसे पहले शिकार होते हैं। वे इसके शिकार भी होते हैं और बढ़ती संख्या में इनकी हथियार भी हो रहे हैं।

सशस्त्र संघर्ष के दौरान और उसके बाद उनकी तकलीफें कई प्रकार की हो सकती हैं। वे मारे जाते हैं या अपंग, अनाथ, अपहृत, भोजन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से वंचित कर दिए जाते हैं। अक्सर उन्हें नशा करा दिया जाता है और उनके मन, मष्तिष्क तथा भावनाओं पर गहरे जख्म रह जाते हैं।

सात साल तक की छोटी उम्र में लड़कों और लड़कियों को बाल सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता है। बड़ों की तरह नफरत दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़कियों के लिए यौन हिंसा और शोषण का अतिरिक्त जोखिम भी रहता है।

7 से 18 वर्ष की आयु के बीच करीब 3,00,000 बच्चे, लड़के और लड़कियां दुनिया भर में संघर्षों में घिरे हुए हैं। ■ यूएन फोटो/सिल्वेन लिएखटी

बाल सैनिक

अनुमान है कि पिछले दो दशक में ही दुनिया भर में 18 वर्ष से कम आयु के करीब 3,00,000 लड़के और लड़कियां संघर्षों में शामिल रहे हैं। बच्चों को लड़ाकू, रसोइए, कुली, संदेशवाहक, जासूस, मानवघाती, बारूदी सुरंग संकेतक, यौन गुलाम, जबरन मजदूर और आत्मघाती बम हमलावर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। शारीरिक रूप से कमजोर होने और आसानी से डर जाने के कारण बच्चे आमतौर पर आज्ञाकारी सैनिक होते हैं। बहुत से बच्चों का अपरहण हो जाता है या जबरन सेना में भर्ती कर दिए जाते हैं और अक्सर मौत का डर दिखाकर आदेश मानने पर मजबूर किए जाते हैं। कुछ बच्चे हताशा में सशस्त्र समूहों में शामिल हो जाते हैं। संघर्ष के दौरान समाज छिन्न-भिन्न हो जाते हैं तो बच्चों के स्कूल छूट जाते हैं। उन्हें घर से धकेल दिया जाता है या परिवारों से अलग कर दिया जाता है। बहुत से बच्चे मानते हैं कि सशस्त्र समूह उनके लिए जिंदा रहने के सबसे अच्छे साधन हैं। कुछ बच्चे गरीबी से बचना चाहते हैं या परिवार के मारे गए सदस्यों का बदला लेने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं।

बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय, युनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र की अन्य प्रमुख संस्थाओं के साथ-साथ सदस्य देशों, क्षेत्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और प्रबुद्ध समाज के समूहों के बीच सहयोग से चलाए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप बच्चों के हित में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और ठोस परिणाम मिले हैं।

ध्यान दें

विकास और शांति के लिए खेल

खेलों ने हमेशा सभी समाजों में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है फिर चाहे स्पर्धात्मक खेल हों, शारीरिक कसरत या साधारण खेल हों। किन्तु खेलों का संयुक्त राष्ट्र से क्या लेना-देना है?

शांति और विकास के लिए खेलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसडीपी) संयुक्त राष्ट्र तंत्र को विकास और शांति के लिए खेलों में प्रवेश का अवसर प्रदान करता है जिससे खेल और विकास की दुनिया करीब आ जाती है।

खेलों में आकर्षित, एकजुट और प्रेरित करने की अनूठी शक्ति होती है। स्वभाव से ही खेलों का अर्थ है भागीदारी, समावेशन और नागरिकता। खेलों में विरोधी का सम्मान, बाध्यकारी नियमों का पालन, समूह में काम करना और निष्पक्षता जैसे मानवीय संस्कार निहित हैं। यही सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संयुक्त राष्ट्र के अनेक सद्भावना दूत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं।

खेलों में एकीकरण और सदमें के बाद राहत देने के गुण हैं और ये थोड़े समय के लिए ही सही, जीवन को सामान्य कर सकते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सबसे अधिक जरूरतमंदों यानी शरणार्थियों, बाल सैनिकों, संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों, कमजोरों, दिव्यांगों, नस्लवाद, कलंकित करने की प्रवृत्ति और भेदभाव के पीड़ितों, एचआईवी/एड्स तथा अन्य रोगों के साथ जीते लोगों तक पहुंचने के लिए खेलों का सहारा भी लेता है।

दक्षिण सूडान में एक खेल प्रतियोगिता। ■ यूएन फोटो/जेसी मकिलवेन

बच्चों को असैन्य जीवन और हो सके तो उनके परिवारों में पास वापस लाना

युनिसेफ संघर्ष के दौरान भी बच्चों को सशस्त्र सेना और सशस्त्र समूहों से जल्दी से जल्दी छुड़वाने के लिए काम करता है और उन्हें परिवारों में वापस लाने में मदद देता है। इन प्रयासों के तहत युनिसेफ उन सेवाओं को समर्थन देता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं और ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए काम करती हैं। उन्हें जीवन कौशल सिखाती हैं और अपने भविष्य के लिए उपयोगी अच्छी गतिविधियों से जोड़ती हैं। यह कार्यक्रम समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं जिनमें संघर्ष प्रभावित दूसरे लाचार बच्चों को भी शामिल किया जाता है जिससे सुलह-सफाई को बढ़ावा मिले और भेदभाव से बचा जा सके। इस तरह के उपायों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और बच्चों तथा संघर्ष से प्रभावित उन समुदायों दोनों के लिए दीर्घकालिक समर्पण की आवश्यकता है जिनमें बच्चों को लौटना है।

2015 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य इराक, दक्षिण सूडान, फलस्तीन राष्ट्र, सीरिया और उक्रेन में हिंसक संघर्षों में 1.5 करोड़ बच्चे घिरे रहे। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो देश के भीतर विस्थापित हैं अथवा शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। दुनिया भर में इस समय 23 करोड़ बच्चे सशस्त्र संघर्षों के प्रभावित देशों और क्षेत्रों में जी रहे हैं।

वैश्विक आतंकवादरोधी रणनीति ?

संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संघर्ष में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। इस खतरे को मिटाने के दुनिया के संकल्प को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों ने विविध प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं विकसित की हैं जिनकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, आतंकवाद को दबाने और आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में खड़ा करने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

1963 और 2017 के बीच संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से करीब 19 अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संधियां और समझौते हुए हैं। इनमें बंधक बनाने, विमान अपहरण, आतंकवादी बमबारी और आतंकवाद के लिए धन देने से रोकने संबंधी संधियां शामिल हैं। सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति इस बात पर नजर रखती है कि सदस्य देश 11 सितम्बर, 2001 को हुए हमलों के बाद किए गए अपने वायदे कैसे पूरे करते हैं और आतंकवाद से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम करती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 सितम्बर, 2006 को वैश्विक आतंकवादी रोधी रणनीति को मंजूरी दी। एक प्रस्ताव और संलग्न कार्य योजना के रूप में यह रणनीति एक अनूठा साधन है जो आतंकवाद का सामना करने के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाता है। इसका अनुमोदन करके सभी सदस्य देश पहली बार आतंकवाद से लड़ने के एक साझे रणनीतिक और संचालन संबंधी दृष्टिकोण पर सहमत हुए। इसमें शामिल महत्वपूर्ण प्रयास हैं:

- देशों के बीच आतंकवाद का सामना करने के लिए तकनीकी सहयोग की कुशलता सुधारना ताकि सभी देश अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभा सकें।
- आतंकवाद के पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता के लिए तंत्र स्थापित करना।
- जैविक आतंकवादी घटनाओं के बारे में एक समग्र डाटाबेस स्थापित कर जैव आतंकवाद के खतरे का सामना करना, देशों के जन स्वास्थ्य तंत्रों में सुधार पर ध्यान देना। सभी प्रमुख संबद्ध पक्षों को एक साथ लाने की आवश्यकता को स्वीकार करना जिससे सुनिश्चित हो सके कि जैव प्रौद्योगिकी में उन्नति का उपयोग आतंकवादी अथवा अन्य आपराधिक उद्देश्यों के लिए नहीं हो, बल्कि जनता की भलाई में किया जाए।
- आतंकवाद से संघर्ष में प्रबुद्ध समाज, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों को भागीदारी देना और विशेष रूप से कमजोर लक्ष्यों पर आतंकवादी हमले रोकने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी विकसित करना।
- आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के उपयोग के बढ़ते खतरे का सामना करने के नए-नए तरीकों की खोज करना।

2003 में आतंकवादी हमले से ध्वस्त बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का हिस्सा। ■ यूएन फोटो/एपी

- सीमा और सीमा शुल्क नियंत्रण प्रणालियों को आधुनिक करना और यात्रा दस्तावेज की सुरक्षा सुधारना ताकि आतंकवादी यात्रा न कर सकें और खतरनाक तथा अवैध सामग्री की आवाजाही रोकना।
- धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के लिए सहयोग बढ़ाना।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश आतंकवाद से संघर्ष में सबके मानव अधिकारों एवं विधि सम्मत शासन के प्रति सम्मान को बुनियादी आधार मानते हुए संयुक्त राष्ट्र तंत्र की भूमिका को मजबूत करने पर सहमत थे।

निरस्त्रीकरण

निरस्त्रीकरण को अक्सर परमाणु हथियारों और रासायनिक एवं जैविक हथियारों जैसे व्यापक विनाशकारी हथियारों से जोड़ा जाता है। किन्तु इसका लक्ष्य उनसे कहीं आगे है। आज की दुनिया में अधिकतर छोटे और हल्के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्हें अकेले या दो-तीन लोगों के समूह में चलाया जा सकता है। निरस्त्रीकरण में इन छोटे और अधिक आसानी से इधर-उधर ले जाए सकने वाले हथियारों की संख्या सीमित करने के प्रयास भी शामिल हैं।

सशस्त्र हिंसा का प्रभाव

सशस्त्र हिंसा का अर्थ है किसी को चोट पहुंचाने या मारने के लिए हथियारों का इरादतन, धमकाने के लिए अथवा वास्तविक उपयोग करना। इसके राजनीतिक से लेकर अपराधिक और पारस्परिक अनेक रूप हैं और यह अनेक संदर्भों में प्रकट होती है। सशस्त्र हिंसा केवल संघर्ष के क्षेत्रों में नहीं होती। यह बहुत फैली हुई है और दुनिया के हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव होता है। यह दुनिया भर में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर जबर्दस्त भावनात्मक एवं आर्थिक बोझ डालती है।

सभी प्रभावित समाजों में युवा पुरुष अपने उत्पादक जीवन के चरम काल में सशस्त्र हमले के सबसे आम दोषी और तात्कालिक शिकार होते हैं। महिलाएं और किशोरावस्था से एकदम पहले के लड़के और लड़कियां भी सशस्त्र हिंसा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिकार के रूप में कष्ट उठाते हैं।

अनुमान है कि हाल के वर्षों में करीब 750,000 लोगों की मौत सशस्त्र संघर्षों और बड़ी-छोटी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हिंसक घटनाओं के कारण हुईं। इनमें से दो-तिहाई मौतें युद्ध क्षेत्रों से बाहर हुई। इसके अलावा करीब 70,00,000 लोग हर वर्ष घायल होते हैं। इसके पीड़ित अक्सर स्थायी रूप से दिव्यागंता की पीड़ा सहते हैं और गहरी मानसिक और शारीरिक चोट के साथ जीते हैं।

सशस्त्र हिंसा न सिर्फ जीवन नष्ट करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर डालती है, बुनियादी सुविधाएं और संपत्ति नष्ट करती है, जन सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता सीमित करती है, मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी में निवेश को नुकसान पहुंचाती है तथा सुरक्षा सेवाओं पर अनुत्पादक खर्च उठाती है। तस्करी और बड़ी संख्या में आबादी के विस्थापन के कारण यह देश और विदेश में दोनों जगह सुरक्षा की चिंता को जन्म देती है। इतना ही नहीं यह विकास में बाधक है और संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में एक बड़ी बाधा मानी जाती है।

शांति की प्रतीक "नॉटेड गन", कलाकार कार्ल फ्रिडिक रायटर्सवार्ड की रचना है जिसे लग्जमबर्ग सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को भेंट में दिया है। ■ यूएन फोटो

छोटे हथियारों और हल्के हथियारों पर नियंत्रण

सबसे हिंसक संघर्ष देशों के भीतर लड़े जाते हैं जिनमें मुख्य रुप से छोटे हथियारों और हल्के हथियारों का इस्तेमाल होता है। हर वर्ष लगभग 80,00,000 छोटे हथियार बनाए जाते हैं और संघर्षों के दौरान होने वाली 60 से 90 प्रतिशत प्रत्यक्ष मौतें इन्हीं हथियारों की देन है।

छोटे हथियार अपने आप में गैर-कानूनी नहीं हैं। उनके वैध उपयोग भी हैं जैसे राष्ट्रीय रक्षा कार्यों और विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जनता और संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण में ये बहुत काम आते हैं। उनके गोला-बारूद के साथ विश्व व्यापार में उनका मोल करीब 7 अरब डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है। अतः इन पर रोक लगाना कोई समाधान नही है। समस्या की जड़ बिना हिसाब-किताब इनके व्यापार में है जो अरबों डॉलर का हो सकता है। इनकी बिक्री बहुत कम लागत पर की जा सकती है अथवा पुराने हथियारों और फालतू हथियारों को दूसरे देशों के शस्त्र भंडारों में फेंका भी जा सकता है। इसलिए हमें इनकी उपलब्धता और उपयोग का पर्याप्त नियमन करना चाहिए।

छोटे हथियार और हल्के हथियारों कें अवैध व्यापार के बारे में 2001 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में देशों ने अवैध अस्त्र बाजार पर रोक लगाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के उपायों पर सहमति दी थी। उन्होंने छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार को रोकने, उनका सामना करने और उन्हें समाप्त करने के लिए कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम सर्व सम्मति से पारित किया। इस कार्यक्रम में सदस्यों देशों ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार के वचन दिए हैं और कार्रवाई का संकल्प लिया है। इनमें छोटे और हल्के हथियारों के बारे में एक राष्ट्रीय कानून विकसित करना, अपनाना और मजबूत करना, जब्त किए गए, पकड़े गए या संकलित हथियारों को नष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना शामिल है जिससे सरकारें अवैध हथियारों और हल्के हथियारों की पहचान कर सकेंगी और उनका पता लगा सकेंगी।

1945 में परमाणु बमों की मार से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की शहर में 1,20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। हिरोशिमा शांति स्मारक उस जगह पर खड़ा एकमात्र बचा हुआ ढांचा है जहां पहला बम फटा था। यूनेस्को ने 1996 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ■ यूएन फोटो/डीबी

संयुक्त राष्ट्र और उसकी संबद्ध संस्थाओं ने लाखों हथियार जमा किए और उनका हिसाब रखा। यह रिकॉर्ड अवैध हथियार व्यापार की समझ बढ़ाने और संघर्ष के बाद की स्थिति वाले देशों में हुई प्रगति की निगरानी में मदद करने तथा हथियारों में कमी के प्रयासों का प्रभाव बढ़ाने में मदद करता हैं।

परमाणु हथियारों में कमी से विश्व सुरक्षा सुनिश्चित करना

मानव समुदाय, संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण गतिविधियों, विशेषकर व्यापक विनाशकारी हथियारों की समाप्ति के लिए दबाव की बदौलत परमाणु युद्ध से बचता रहा है। किन्तु इन हथियारों की बढ़ती आपूर्ति के कारण विश्व में खतरा अब भी मौजूद है। प्रतिदिन और अधिक लोग युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे हैं और हथियारों की होड़ की लागत बढ़ती जा रही है। कोरिया प्रायदीप में एक-दूसरे से अधिक सशस्त्र दिखने की होड़ और 2014 में में क्राइमिया और डोनबास में लड़ाई भड़कने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव बहुत बढ़ गया था।

जापान में हिरोशिमा और नागसाकी पर दो परमाणु बम गिराए जाने के बाद दूसरा विश्व युद्ध (1939-1945) समाप्त हो गया था। तब से दुनिया में अनेक युद्ध हुए हैं। इन संघर्षों में दो करोड़ से अधिक लोग मारे गए हैं जिनमें करीब 80 प्रतिशत से अधिक असैनिक हैं। इस समय कम से कम 8 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद भारी कटौती के बावजूद 2017 में दुनिया में परमाणु हथियारों का कुल भंडार करीब 15,200 परमाणु हथियारों का है जिनकी मिली-जुली विनाशकारी क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए 150,000 परमाणु बमों के बराबर है।

निरस्त्रीकरण एक तात्कालिक वैश्विक आवश्यकता

एक मिनट में 1 से 60 तक गिनती करें और फिर सोचें: जब तक आप गिनती पूरी करेंगे दुनिया 25 से 30 बच्चों को गंवा चुकी होगी। इसी दौरान दुनिया सैनिक उद्देश्यों के लिए करीब 310,000 डॉलर खर्च चुकी होगी। हथियारों के भंडार और आर्थिक विकास दोनों के लिए बड़े पैमाने पर मानव और सामग्री संसाधनों की आवश्यकता है। संसाधन सीमित हैं इसलिए किसी भी एक प्रक्रिया को दूसरे की कीमत पर ही अपनाया जा सकता है। इस बात पर सहमति बढ़ रही है कि कुल मिलाकर दुनिया या तो हथियारों की होड़ जारी रख सकती है अथवा सबके लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल कर सकती है। किन्तु यह दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते। सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण अर्थात व्यापक विनाशकारी हथियारों को धीरे-धीरे समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों में से एक है। उसके तात्कालिक उद्देश्य युद्ध विशेषकर परमाणु युद्ध के खतरे को समाप्त करना और हथियारों की होड़ रोकने एवं उसका रुख पलटने के उपाय अपनाना है।

निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के कुछ कदम

- आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, 1963: वायुमंडल में, वाह्य अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों का निषेध करती है।
- परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि, 1968: परमाणु शक्ति संपन्न देशों से गैर-परमाणु संपन्न देशों को परमाणु हथियारों के प्रसार का निषेध करती है।
- रासायनिक हथियार समझौता, 1992: ऐसे हथियारों के उपयोग, उत्पादन और भंडारण का निषेध करता है।
- समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, 1996: सभी भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है।
- मानवघाती बारूदी सुरंग समझौता, 1997: ऐसी बारूदी सुरंगों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और अंतरण का निषेध करता है।
- कलस्टर बम समझौता, 2008 ऐसे हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और अंतरण का निषेध करता है।
- नई द्विपक्षीय रणनीतिक हथियार कटौती संधि (नई स्टॉर्ट), 2010: इसके अंतर्गत अमेरिका और रूसी परिसंघ में से प्रत्येक को तैनात रणनीतिक हथियारों को अधिक से अधिक 1550 तक सीमित करना है।
- ऐतिहासिक हथियार व्यापार संधि (एटीटी): छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों और युद्ध पोतों तक पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करती है। यह संधि 24 दिसम्बर, 2014 से लागू हुई।

कलस्टर बमों और बारूदी सुरंगों से जूझना

संयुक्त राष्ट्र 1980 के दशक से 4 से अधिक देशों में फैली लाखों घातक बारूदी सुरंगों के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। हर वर्ष हजारों लोग जिनमें अधिकतर बच्चे, महिलाएं और वृद्ध शामिल हैं इन "मौन हत्यारों" के कारण अपंग होते हैं या मारे जाते हैं। इस बीच दुनिया भर के विभिन्न देशों में अब भी नई बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं।

फोटो: 13 वर्ष की इस लड़की ने बारूदी सुरंग विस्फोट में दोनों टांगे गंवा दी। ■ यूएन फोटो/यूएनएचसीआर/रोजर लैमान

यूनाटेड नेशन्स माइन एक्शन सर्वे (यूएनएमएएस) बारूदी सुरंगों के बारे में कार्रवाई करने वाली मुख्य संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कोष और कार्यक्रमों की बारूदी सुरंगों से जुड़ी सभी गतिविधियों में तालमेल रखती है। इसका काम बारूदी सुरंगे हटाना, उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, जोखिम कम करने की शिक्षा देना, पीड़ितों को सहायता देना और उनके भंडार को नष्ट करना है।

1999 में मानवघाती बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि लागू होने के बाद से हर वर्ष नए पीड़ितों की संख्या में गिरावट आई है, जमीन का बड़ा हिस्सा साफ किया गया है और बारूदी सुरंगों के भंडार में लाखों की कमी आई है। इस संधि का वैश्विक बारूदी सुरंग समस्या पर गहरा प्रभाव पड़ा है। किन्तु इससे एक और बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। यह समस्या है युद्ध के बचे हुए विस्फोटक जो हर वर्ष हजारों नागरिकों की जान लेते हैं। युद्ध के बचे हुए विस्फोटक यानी (एक्सप्लोसिव रैमनांट ऑफ वार, ईआरडब्ल्यू)

ध्यान दें

बारूदी सुरंग आतंक और कार्रवाई संख्याओं में

- 2015 में बारूदी सुरंगों और युद्ध के बचे हुए विस्फोटकों से प्रभावित देशों की संख्या: 64 देश या क्षेत्र।
- पिछले 30 वर्ष में बारूदी सुरंगों के कारण मृत या अपंग हुए लोगों की अनुमानित संख्या: 10,00,000 से अधिक जिनमें से 71 प्रतिशत आम नागरिक और 32 प्रतिशत बच्चे थे।
- 2015 में नए हताहतों की संख्या: बारूदी सुरंगों और युद्ध के अन्य बचे हुए विस्फोटकों के कारण 6461 लोग मुख्य रूप से अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, यूक्रेन और यमन में हताहत हुए।

का मतलब यूं ही छोड़ दिए गए बमों और हथगोलों से ही नहीं बल्कि उनके कलस्टर बमों से भी हैं जो फटे नहीं, किन्तु अब भी खतरनाक अवस्था में हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित बारूदी सुरंग कार्रवाई कार्यक्रम देशों को बारूदी सुरंगों और युद्ध के बचे हुए विस्फोटकों को समाप्त करने में मदद देता है। कलस्टर बमों (ऐसे हथियार जो अनेक छोटे-छोटे विस्फोटक बमों को एक साथ छोड़ते हैं) का उपयोग सीमित करने के लिए चलाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हाल के वर्षों में जोर पकड़ रहा है।

नोबल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र

नार्वे की नोबल समिति ने 2001 का नोबल शांति पुरस्कार, बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण विश्व के लिए प्रयासों को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र और महासचिव कोफी अन्नान को आधा-आधा प्रदान किया था।

इसके अलावा, नोबल समिति ने संयुक्त राष्ट्र तंत्र के कई अंगों को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया:

2007 | संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) और अल गोर, अमरीका के पूर्व उपराष्ट्रपति।

2005 | अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और उसके महानिदेशक मोहम्मद अल बारदेई।

2001 | संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव कोफी अन्नान।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लगाया गया शांति घंटा जापान ने दान दिया था। ■ यूएन फोटो /मैनुअल एलिएस।

1988	संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण सेना।
1981	संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) (दूसरी बार)।
1974	शॉन मैकब्राइड, नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त।
1969	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)।
1965	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ)।
1961	दाग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र महासचिव।
1957	लीस्टर बाउल्स पियर्सन, कनाडा के राजनेता, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से स्वेज़ संकट समाप्त कराने और पश्चिम एशिया मसले के समाधान के लिए प्रयत्नशील।
1954	संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर)।
1951	लियॉन जोउहॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक।
1950	रॉल्फ बुन्श, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप निदेशक।
1949	लॉर्ड जॉन बॉयड ओर, संस्थापक महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)।
1945	कॉर्डेल हल, अमेरिकी विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में सहायक।

अध्याय 5

मानव अधिकार और कानून का शासन

मानव अधिकारों से जुड़े संक्षिप्त तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्तूबर 1945 को लागू हुआ और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुमोदन 1948 में हुआ। दोनों में सभी पुरुषों और महिलाओं तथा बड़े और छोटे सभी देशों के लिए बराबर अधिकारों की घोषणा की गई है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी उपलब्धि मानव अधिकार कानून बनाने की है। इस सार्वभौम और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त संधि का सभी देशों को पालन करना चाहिए और सभी लोगों को आकांक्षा करनी चाहिए।
- बाल अधिकार समझौता 1989 में लागू हुआ। यह दुनिया में हर जगह लड़कियों और लड़कों के अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य व्यापक अधिकार निर्धारित किए हैं। उसने इन अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण तथा इन दायित्वों के निर्वहन के लिए देशों को सहायता देने के तंत्र भी स्थापित किए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के कानूनी समझौतों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सशस्त्र संघर्ष में हिस्सा लेने और प्रतिबंध और बच्चों की तस्करी का निषेध है।
- वैसे तो दो-तिहाई देशों ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, फिर भी 2016 में कम से कम 1,032 मृत्यु दंड दिए गए। 2015 में 26 वर्ष में सर्वाधिक 1,634 लोगों को मृत्यु दंड दिए जाने की सूचना है।
- 2014 में स्कूल आयु के करीब 6.1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और इनमें से बहुत बड़ा अनुपात अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी एशिया के बच्चों का है। दुनिया में लगभग 75.8 करोड़ निरक्षर वयस्कों में से दो-तिहाई महिलाएं हैं जिन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया।
- अनेक सरकारें अपने नागरिकों द्वारा इंटरनेट उपयोग की निगरानी करती हैं और ऑनलाइन स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने के लिए उन्हें सैंसर या कैद करती हैं।
- करीब 16.8 करोड़ बच्चे अब भी बाल मजदूरी करते हैं। उनमें से आधे से अधिक हानिकारक माहौल, गुलामी, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों की तस्करी, सशस्त्र संघर्ष और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं।

मानव अधिकार: क्या हैं?

सभी मानव जन्म से स्वतंत्र और गरिमा एवं अधिकारों में बराबर हैं।

अनुच्छेद 1, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

परिभाषा

मानव अधिकार वास्तव में हमारे लिए इंसान के नाते जीने के लिए आवश्यक अधिकार हैं। ये नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म अथवा किसी अन्य हैसियत के भेदभाव के बिना मानव मात्र के जन्मजात अधिकार हैं। मानव अधिकारों के बिना हम न तो पूरी तरह विकसित हो सकते हैं और न ही अपने मानवीय गुणों, अपनी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं।

सभी मानव अधिकार अविभाज्य, परस्पर जुड़े हुए और परस्पर निर्भर हैं। चाहे वे जीने के अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार हों; काम करने, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा पाने जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार हों; या विकास और आत्म निर्णय के अधिकार जैसे सामूहिक अधिकार। मानव अधिकारों के बिना देश अपनी क्षमता का पूर्ण विकास नहीं कर सकते और इसलिए जीवन के बेहतर स्तर तक नहीं पहुंच सकते।

कम्बोडिया जनसंहार संग्रहालय में खमेर रूज की बर्बरता के प्रमाण मौजूद हैं। ■ यूएन फोटो/मार्क गार्टन

हमारे मानव अधिकार क्या हैं?

सभी लोगों को अधिकार है:

- जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का
- गुलामी से मुक्ति का
- निष्पक्ष सुनवाई का
- कानून के समक्ष बराबरी के व्यवहार का
- कानून के अंतर्गत बराबर संरक्षण का
- मनमानी गिरफ्तारी एवं नजरबंदी और निर्वासन से स्वतंत्रता का
- आवाजाही की स्वतंत्रता का
- निजी जीवन के संरक्षण का
- एक राष्ट्रीयता का
- स्वतंत्र रूप से विवाह और परिवार शुरू करने का
- सोच, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता का
- राय की स्वतंत्रता का
- संघ बनाने की स्वतंत्रता का
- सामाजिक सुरक्षा का
- काम का
- समान काम के लिए समान वेतन का
- आराम और आमोद-प्रमोद का
- स्वास्थ्य और खुशहाली की गारंटी के लिए रहन-सहन के समुचित स्तर का
- शिक्षा का
- समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी करने का
- अपनी बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण का।

मानव अधिकारों की विशेषताएं

मानव अधिकार हैं:

- **सार्वभौम:** सभी सीमाओं और सभ्यताओं में सभी व्यक्तियों के लिए इनका सम्मान किया जाना चाहिए।
- **अहरणीय:** उन्हें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छीना नहीं जाना चाहिए और उन परिस्थितियों में भी उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति निष्पक्ष सुनवाई के बाद किसी अपराध का दोषी पाया जाए।
- **परस्पर निर्भर और अविभाज्य:** एक अधिकार में सुधार से दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी तरह एक अधिकार से वंचना का बाकी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है।
- **बराबर और भेदभाव मुक्त:** सभी व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। चाहे उनकी नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राय, मूल या हैसियत कुछ भी हो।
- **अधिकार और दायित्व दोनों:** अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राष्ट्रों ने यह दायित्व लिया है कि वे मानव अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और पूर्ति करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने मानव अधिकार पाने के हकदार हैं पर हमें दूसरों के मानव अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

मानव अधिकारों का विचार पहले-पहल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ नहीं उपजा। इसकी जड़ें दुनिया भर की संस्कृतियों और धर्मों में मिल सकती हैं। किन्तु 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुमोदन विश्व इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहली बार मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के औपचारिक मानक तय किए हैं, जिनका उपभोग हर व्यक्ति को हर जगह करने का अधिकार होना चाहिए।

महासभा ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे घोषणा का पाठ प्रचारित करें तथा "देशों या क्षेत्रों की राजनीतिक हैसियत के आधार पर कोई भेद किए बिना इसे मुख्य रूप से स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में प्रचारित, प्रदर्शित किया जाए, पढ़ाया जाए और व्याख्या की जाए"।

इस घोषणा के माध्यम से सरकारों ने यह सुनिश्चित करने का दायित्व स्वीकार किया है कि सभी इंसानों- सभी नस्लों और धर्मों के महिला और पुरुष, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, युवा और वृद्ध-के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। यह घोषणा बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंग नहीं है। किन्तु दुनिया भर के देशों द्वारा स्वीकृत किए जाने के कारण इसे बहुत अधिक नैतिक मान्यता मिल गई है और इसने मानव अधिकारों के विकास के साथ-साथ अनेक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों को प्रेरित किया है।

मानव अधिकार कानून

संयुक्त राष्ट्र 80 से अधिक मानव अधिकार संधियों और महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों, मूल निवासियों तथा अन्य लाचार समूहों के अधिकारों के लिए घोषणाओं के पीछे की प्रेरणा शक्ति रहा है। इन समझौतों ने मिलकर दुनिया भर में एक मानव अधिकार संस्कृति पैदा करने में मदद की है जो दुव्यवहार

क्या आप जानते हैं?

विश्व में सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज

मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अबखाज से लेकर जुलू तक 380 भाषाओं और बोलियों में संकलित, अनुवादित और प्रचारित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान मिला है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित, वास्तव में सबसे अधिक सार्वभौम दस्तावेज हैं। सभी अनुवाद www.ohchr.org पर उपलब्ध हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों और समझौतों का अनुमोदन किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 अंतर्राष्ट्रीय कोवनेंट हैं - एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध तो दूसरा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबद्ध है। सार्वभौम घोषणा, दो कोवनेंट और उनके वैकल्पिक प्रोटोकाल को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल बनता है।

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी एलीनर रूजवेल्ट 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के लेखकों में शामिल थीं। ■ यूएन फोटो

रोकने और विशेषकर हम में से कम ताकतवर लोगों के लिए अधिक न्यायोचित व्यवस्था स्थापित करने में एक ताकतवर हथियार साबित हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में ऐसे दायित्व तय किए हैं जिनका सम्मान करने के लिए देश बाध्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पक्षकार बनकर देश मानव अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप से बाज आने और व्यक्तियों तथा समूहों को दुव्यवहार से बचाने की सहमति देते हैं। संधियों का अनुसमर्थन करके सरकारें उन संधियों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप राष्ट्रीय उपाय और कानून अपनाने का संकल्प लेती हैं। अतः किसी भी देश की घरेलू कानूनी प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत गारंटीशुदा मानव अधिकारों को सिद्धातंतः कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

जब देश के भीतर कानूनी कार्रवाई से मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या दूर नहीं होती तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यक्तिगत या सामूहिक शिकायतों के लिए तंत्र उपलब्ध है। गोपनीय संदेश प्रक्रिया के तहत मानव अधिकारों के भीषण और सोचे-समझे उल्लंघनों के आरोप उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र को भेजे जा सकते हैं जब समाधान के घरेलू उपाय अपना लिए गए हों और अपने देश के भीतर न्याय पाने की कोई संभावना न बची हो।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि/समझौते

- विवाह के लिए सहमति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु और विवाह के पंजीकरण संबंधी समझौता (1962)।
- सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता (1965)।
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार का भेदभाव उन्मूलन समझौता (1979)।
- यातना और अन्य क्रूर अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार या दंड निषेध समझौता (1984)।

- बाल अधिकार समझौता (1989)।
- सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता (1990)।
- संयुक्त राष्ट्र वृद्धजन सिद्धांत (1991)।
- एचआईवी/एड्स के बारे में संकल्प की घोषणा (2001)।
- सभी व्यक्तियों को जबरन गुमशुदगी से संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता (2006)।
- दिव्यांगजन अधिकार समझौता (2006)।

इन समझौतों की कानूनी हैसियत भिन्न-भिन्न है। एक तरफ इन घोषणाओं, सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों, मानक नियमों और सिफारिशों में कोई बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं है, हालांकि इनमें नकारी न जा सकने वाली नैतिक शक्ति है और ये सरकारों का व्यावहारिक मार्गदर्शन करते हैं। दूसरी तरफ कोवनेंट, विधान, प्रोटोकाल और समझौते उन देशों के लिए कानून बाध्यकारी हैं जो इनका अनुसमर्थन करते हैं या इनमें शामिल होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों के लिए जिम्मेदार कौन?

संयुक्त राष्ट्र की प्रत्येक संस्था और एजेंसी किसी न किसी हद तक मानव अधिकारों के संरक्षण में शामिल है। किन्तु मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था मानव अधिकार परिषद है।

मानव अधिकार परिषद

मानव अधिकार परिषद की स्थापना जून 2006 में की गई। इसनें 1946 से काम कर रहे मानव अधिकार आयोग की जगह ली।

दायित्व

मानव अधिकार परिषद मानव अधिकारों के बारे में संवाद और सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्य मंच है। इसे दुव्यवहार, असमानता और भेदभाव रोकने, सबसे लाचार लोगों और समूहों को संरक्षण देने तथा दुनिया भर में ऐसा करने वालों को सबके सामने लाने का अधिकार है।

मानव अधिकार परिषद और महासभा

महासभा की अनुषांगिक संस्था के रूप में मानव अधिकार परिषद सभी देशों में मानव अधिकारों की स्थिति की निगरानी करती है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के समक्ष सीधे जवाबदेह है। किन्तु इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के हाथ में है।

मानव अधिकार परिषद को महासभा से सिफारिश करनी होती है कि वह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून और विकसित करे और प्रत्येक देश द्वारा अपने मानव अधिकार दायित्वों एवं संकल्पों की सार्वभौम सावधिक समीक्षा करे। परिषद को महासभा से यह सिफारिश करने का अधिकार है कि

जिनेवा में मानव अधिकार परिषद कक्ष। ■ यूएन फोटो/ज्यां मार्क फेरे

परिषद के जो सदस्य देश लगातार मानव अधिकारों का घनघोर और सोच-समझकर उल्लंघन करते रहे हैं उनके अधिकार और विशेष सुविधाएं निलंबित कर दिए जाएं। निलंबन की इस प्रक्रिया के लिए महासभा के दो- तिहाई बहुमत का समर्थन आवश्यक है।

संरचना और बैठकें

मानव अधिकार परिषद की बैठक हर वर्ष जिनेवा में 10 सप्ताह के लिए होती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 47 निर्वाचित सदस्य देश हैं जिनमें से प्रत्येक शुरू में तीन वर्ष के लिए चुना जाता है और लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं चुना जा सकता।

मानव अधिकार उच्चायुक्त

मानव अधिकार उच्चायुक्त मानव अधिकारों के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र के प्रधान अधिकारी हैं। वे सीधे महासचिव के अंतर्गत काम करते हैं।

मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय वैश्विक मानव अधिकार प्रयासों का नेतृत्व करता है और मानव अधिकारों के सार्वभौम आदर्शों के प्रति विश्व के संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। वह दुनिया भर में उल्लंघनों की निंदा करता है, मानव अधिकार की चुनौतियों की पहचान, उन्हें उजागर करने और उन पर कार्रवाई के लिए मंच प्रदान करता है और संयुक्त राष्ट्र तंत्र के भीतर मानव अधिकार शोध, शिक्षा, सूचना और हिमायत का मुख्य केन्द्र बिन्दु है।

मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय सरकारों, प्रबुद्ध समाज और संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं एवं संगठनों को जमीनी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानक अपनाने में मदद देने के लिए अक्सर

न्याय, व्यवस्था, कानूनी सुझाव और चुनाव प्रक्रिया में विशेषज्ञता और तकनीकी प्रशिक्षण जैसी सहायता प्रदान करता है। यह कार्यालय मानव अधिकार परिषद और मूल मानव अधिकार संधियों के क्रियान्वयन की निगरानी समितियों को भी सहायता देता है। ये समितियां सरकार से आग्रह कर सकती हैं कि वे मानव अधिकार उल्लंघनों के आरोपों का जवाब दें (इन समितियों को संधि संस्थाएं कहा जाता है)।

विशेष रैपोटियर और कार्य दल

मानव अधिकारों के बारे में विशेष रैपोटियर और कार्य दल उल्लंघनों की जांच करते हैं और अलग-अलग मामलों तथा आपातस्थितियों में हस्तक्षेप करते हैं; उन्हें "विशेष प्रक्रिया" कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार विशेषज्ञ स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वह अधिकतम छः वर्ष के लिए अपने पद पर रह सकते हैं और उन्हें इस काम के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। समय के साथ-साथ ऐसे विशेषज्ञों की संख्या निरन्तर बढ़ी है। 2017 में विषय संबंधी 44 और और देश संबंधी 12 विशेषज्ञ थे। अतः विशेष रैपोटियर और कार्य दलों को या तो किसी देश अथवा किसी क्षेत्र विशेष या किसी विषय (उदाहरण के लिए भोजन का विकास या महिलाओं के प्रति हिंसा) के बारे में रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है।

मानव अधिकार परिषद और महासभा के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय ये विशेषज्ञ व्यक्तिगत शिकायतों और गैर-सरकारी संगठनों से मिली सूचना सहित सभी विश्वसनीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर संपर्क के लिए तत्काल कार्रवाई प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। उनके शोध का बहुत बड़ा हिस्सा फील्ड में किया जाता है जहां वे अधिकारियों और पीड़ितों से मिलते हैं, कथित उल्लंघनों और दुराचरण के प्रमाण मौके पर एकत्र करते हैं। उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है जिससे दुव्र्यवहार के प्रचार में मदद मिले और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारों के दायित्व पर बल दिया जाए। कुछ अपवादों को छोड़कर सरकारें अपना नाम लिए जाने और शर्मिंदा किए जाने को पसंद नहीं करती। वे शायद ही इन जांच विशेषज्ञों को अपने देश में आने की अनुमति देने से इंकार करती हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि जनता शोर मचाएगी और एक तरह से उन्हें दोषी भी मान लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय

1998 में रोम में एक सम्मेलन में 120 देशों ने एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय (आईसीसी) की स्थापना की। इस न्यायालय की स्थापना कर विश्व ने स्पष्ट कर दिया कि दंड से छूट अब स्वीकार्य नहीं है। यह न्यायालय 2002 में अस्तित्व में आया, जब इसकी संस्थापक संधि (रोम स्टेच्यूट) लागू हुई। इसे जनसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के प्रति अपराध जैसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार है। सितम्बर 2017 तक 124 देश अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय के पक्षकार हो चुके थे।

अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय संयुक्त राष्ट्र से अलग संस्था है। किन्तु सुरक्षा परिषद, मानव अधिकारों से जुड़े मामले न्यायालय में भेज सकती है। उदाहरण के लिए 2005 में मानव अधिकारों के व्यापक उल्लंघन की खबरें आने पर महासचिव ने सूडान के दारफुर क्षेत्र की स्थिति पर न्यायालय से राय मांगी।

ऐसे न्यायालय की आवश्यकता वास्तव में मौजूद है। हो सकता है कि युद्धग्रस्त देशों में युद्ध अपराधों से निपटने में सक्षम कोई न्यायिक व्यवस्था न हो। सत्ता प्रतिष्ठान शायद अपने नागरिकों को गलत कार्यों के लिए दंड देने का इच्छुक न हो, खासकर यदि वे उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय ऐसे मामलों में दंड से छूट का चक्र तोड़ने के लिए सही विकल्प देता है।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्राइब्यूनल

पिछले दो दशक में सुरक्षा परिषद ने आनुषांगिक अंग के रूप में दो तदर्थ क्षेत्र विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय दंड ट्राइब्यूनल गठित किए हैं जिन्हें पूर्व युगोस्लाविया और रवांडा में मानवता के प्रति अपराधों के मुकदमे चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कम्बोडिया, लेबनान और सिएरा लियोन ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से 3 विशेष न्यायालय भी स्थापित किए हैं। ये स्थायी नहीं हैं और अपनी गतिविधि पूरी होने पर बंद हो जाएंगे।

- सुरक्षा परिषद ने 1993 में पूर्व युगोस्लाविया में लड़ाई के दौरान मानवीय कानून का भीषण उल्लंघन होने पर पूर्व युगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड ट्राइब्यूनल स्थापित किया। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित पहला युद्ध अपराध न्यायालय और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने पर गठित न्यूरेमबर्ग और तोक्यो ट्राइब्यूनल के बाद से पहला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल था। यह ट्राइब्यूनल हत्या, यातना, बलात्कार, गुलाम बनाने, संपत्ति नष्ट करने और अन्य हिंसक अपराधों जैसे भीषण दुष्कृत्यों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। इसका उद्देश्य हजारों पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय देकर क्षेत्र में स्थायी शांति में योगदान करना है। 2017 तक इस ट्राइब्यूनल ने 161 लोगों को दोषी करार दिया था। ट्राइब्यूनल ने जब से अपना काम शुरू किया है, तब से 78 व्यक्तियों या 161 आरोपितों में से 48 प्रतिशत पर यौन हिंसा के आरोप भी सिद्ध हुए।

- सुरक्षा परिषद ने रवांडा में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1994 के बीच जनसंहार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अन्य भीषण उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए 1994 में रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड ट्राइब्यूनल स्थापित किया। इसे रवांडा के उन नागरिकों पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी भी दी गई जिन्होंने इसी अवधि के दौरान पड़ोसी देशों के इलाकों में जनसंहार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐसे अन्य उल्लंघन करने के कृत्य किए थे। 1998 में रवांडा ट्राइब्यूनल ने जनसंहार के अपराध के मामले में किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पहला फैसला सुनाया। इस अपराध के लिए पहली बार दंड दिया गया। यह ट्राइब्यूनल 31 दिसम्बर, 2015 को बंद हो गया। इसने 93 व्यक्तियों को जनसंहार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अन्य भीषण उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

- सिएरा लियोन के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना सिएरा लियोन सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर की थी। इसने उन लोगों पर मुकदमे चलाए जिन पर 30 नवम्बर 1996 से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और सिएरा लियोन के कानून के भीषण उल्लंघनों की सबसे अधिक जिम्मेदारी थी। 2013 में सिएरा लियोन के लिए विशेष न्यायालय के बंद होने के बाद उसके कानूनी दायित्वों की निगरानी के लिए रिजीडुअल स्पेशल कोर्ट फॉर सिएरा लियोन की स्थापना की गई।

- लोकतांत्रिक कम्पूचिया के शासन के दौरान हुए अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए कम्बोडिया सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर कम्बोडिया की अदालतों में असाधारण प्रकोष्ठ गठित किए जो उन दोनों से स्वतंत्र रूप से काम करें। कम्बोडिया की अदालत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से खमेर रूज शासन (1975-1979) के दौरान किए गए गंभीर अपराधों की सुनवाई कर रहा है। इन अपराधों में 30,00,000 लोगों की मौत हुई थी।
- लेबनान के लिए विशेष ट्राइब्यूनल उन लोगों पर मुकदमे चला रहा है जो लेबनान की राजधानी बेरूत में 14 फरवरी, 2005 को हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार थे। इस हमले में लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी मारे गए थे और अनेक अन्य लोग हताहत हुए थे।

सबके लिए विकास का अधिकार

विकास एक अधिकार है

विकास का अधिकार मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के मूल में स्थित है। 1986 की विकास का अधिकार घोषणा इसी पर केन्द्रित है। इसके अलावा 1992 की रियो पर्यावरण एवं विकास घोषणा, 2000 की सहस्त्राब्दी घोषणा और सतत् विकास लक्ष्यों के साथ 2030 एजेंडा सहित अनेक अन्य दस्तावेज में भी इस अधिकार को उजागर किया गया है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का विकास के अधिकार के साथ सहोदर संबंध है।

विकास का अधिकार घोषणा

विकास एक मानव अधिकार है। गरीबी की चैड़ी होती खाई, आहार की कमी, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, सशस्त्र संघर्ष, बढ़ती बेरोजगारी, जन आक्रोश, संपन्न वर्गों का भ्रष्टाचार और अन्य अनेक भीषण चुनौतियां आज हमारी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। उनसे असरदार ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विकास का अधिकार घोषणा का अनुमोदन किया जिसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में विकास को अधिकार के रूप में प्रतिपादित किया गया और जनता को विकास प्रक्रिया के केन्द्र में रखा गया है।

घोषणा में कहा गया है कि हर व्यक्ति को "आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भागीदारी और योगदान करने और उसका उपभोग करने का अधिकार है जिसमें सभी मानव अधिकार और बुनियादी स्वतंत्रताएं पूरी तरह साकार हो सकती हैं।" इसके बावजूद आज 25 वर्ष बाद भी अनेक बच्चे, महिलाएं और पुरुष भीषण वंचना में जी रहे हैं। गरिमा, स्वतंत्रता और बराबर अवसर में जीने का उनका अधिकार अभी तक उन्हें नहीं मिला है। इसका सीधा सा असर विविध प्रकार के नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के साकार होने पर पड़ता है।

आर्थिक वृद्धि का सफर अपने आप में कोई मंजिल नही है। घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य "समूची आबादी और सभी व्यक्तियों के कल्याण, विकास में उनकी सक्रिय, स्वतंत्र और सार्थक भागीदारी तथा उसके परिणामों के निष्पक्ष वितरण" में सुधार करना है।

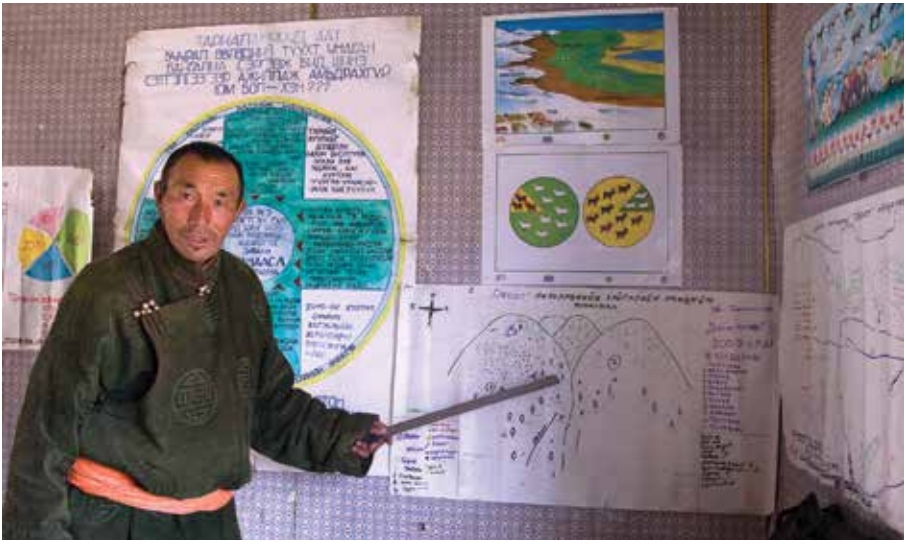

मंगोलिया के गड़रिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से संवहनीय साधन प्रबंधन का अभ्यास कर रहे हैं। ■ यूएन फोटो/इस्किन्दर देबेबे

सभी मानव अधिकारों की तरह विकास का अधिकार भी बिना किसी भेदभाव के और उनकी भागीदारी के साथ हर जगह सभी व्यक्तियों और आमजन को है। घोषणा में आत्म निर्णय और प्राकृतिक सम्पदा तथा संसाधनों पर पूर्ण प्रभुसत्ता के अधिकार को मान्यता दी गई है। विकास का अधिकार किसी प्रकार की कृपा नहीं है, बल्कि यह सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को उनके अपने-अपने देशों में अपने संसाधनों का प्रबंध करने में समर्थ और सशक्त करने का साधन है।

सभी मानव अधिकारों के संवर्धन का ढांचा

विकास के अधिकार में नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी मानव अधिकार शामिल हैं, इसलिए यह वैश्विक, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण से जुड़े सभी संबद्ध पक्षों के कार्यक्रमों और नीतियों के लिए एक संपूर्ण ढांचा उपलब्ध कराता है। विकास का अधिकार:

- मानव अधिकारों और विकास सिद्धांत एवं व्यावहारिकता दोनों के पहलुओं को एकीकृत करता है।
- सरकार की जिम्मेदारी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आयामों को जोड़ता है जिनमें विकास और मानव अधिकारों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना शामिल है।
- मांग करता है कि मानव मात्र को विकास नीति के केन्द्र में रखा जाए और वह उसमें सक्रिय भागीदार हो तथा उसें सामाजिक न्याय और बराबरी की गारंटी दी जाए।
- मानव अधिकारों के बराबरी, भेदभाव मुक्ति, भागीदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों तथा समन्वित ढंग से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मूर्त रूप प्रदान करता है।

- आत्म निर्णय और प्राकृतिक सम्पदा एवं संसाधनों पर पूर्ण प्रभुसत्ता के सिद्धांतों का समर्थन करता है।
- गरीबी के मूल कारणों पर ध्यान देकर उसके प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है।
- सबसे गरीब लोगों की प्रगति को मजबूत करता है और सबसे हाशिए पर जीते लोगों के अधिकारों पर पूरा ध्यान देता है।
- देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता एवं सहयोग तथा विकासशील देशों के लिए चिंता के क्षेत्रों में सहायता बढ़ाता है।

विधि सम्मत शासन

विधि सम्मत शासन की अवधारणा का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली है जो किसी तानाशाह की शक्ति और मन मर्जी पर निर्भर होने की बजाय ऐसे नियमों पर आधारित हो जो मनमाने न हों। इसका संबंध न्याय और बराबरी के सिद्धांतों से है। इसमें मानव अधिकारों के संरक्षण और सम्मान तथा गलत कृत्यों की रोकथाम और दंड में जवाबदेही एवं निष्पक्षता के आदर्शों का पालन होता है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकतर क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों के विकास, संवर्धन और क्रियान्वयन को समर्थन देता है। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर विधि सम्मत शासन की स्थापना को भी बढ़ावा देता है। इसमें शामिल हैं:

- देश के सर्वोच्च कानून के रूप में एक संविधान अथवा उसके समकक्ष संहिता।
- एक स्पष्ट और सुसंगत कानूनी प्रणाली।
- न्याय, प्रशासन, सुरक्षा और मानव अधिकारों की मजबूत संस्थाएं जिनका पूरा ढांचा हो, धन की व्यवस्था हो, प्रशिक्षण हो और सभी साधनों की व्यवस्था हो।
- संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया और तंत्र।
- एक सार्वजनिक और प्रबुद्ध समाज जो सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं को जवाबदेह ठहरा सके।

ध्यान दें

विकास का अधिकार घोषणा शब्दों में

"विकास का अधिकार एक अहरणीय मानव अधिकार है जिसके कारण प्रत्येक मानव और सभी लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भागीदारी और योगदान करने तथा उसका उपभोग करने के हकदार हैं जिसमें सभी मानव अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं को पूरी तरह साकार किया जा सकता है।" (अनुच्छेद 1.1)

"विकास के मानव अधिकार का अर्थ आत्म निर्णय के लोगों के अधिकार को पूरी तरह साकार करना भी है जिसमें मानव अधिकारों के बारे में दोनों अंतर्राष्ट्रीय कोवनेंट के संबद्ध प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनकी सभी प्राकृतिक सम्पदा और संसाधनों पर पूर्ण प्रभुसत्ता के उनके अहरणीय अधिकार का उपभोग शामिल है।" (अनुच्छेद 1.2)

यह ऐसे नियम, नीतियां, संस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं जो ऐसे समाज की बुनियाद डालते हैं, जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। इसमें चुनौती ऐसी प्रणाली विकसित करने की है जो गरीबों सहित आम नागरिकों की जरूरतों पर कार्रवाई कर सके और विकास को बढ़ावा दे सके। निर्वाचन और विधायी शाखाएं मजबूत होनी चाहिए, लोगों को न्याय सुलभ होना चाहिए और लोक प्रशासन तथा सरकारों को सभी जरूरतमंदों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए।

निष्पक्षता, बराबरी और न्याय आवश्यक हैं। वे शांति को बढ़ावा देते हैं, मानव अधिकारों को संरक्षण और सबके लिए प्रगति को सहारा देते हैं।

जिस देश में विधिसम्मत शासन चलाया जाता है, वहां मानव अधिकारों का सम्मान होता है। सरकार लोगों को उनसे बचाने के लिए कानून बनाती है जो कानूनों का उल्लंघन करेंगे। भले ही उल्लंघनकर्ता

ध्यान दें

जबरन मजदूरी और मानव तस्करी

आज मानव अधिकारों का एक सबसे भीषण उल्लंघन मानव तस्करी है। यह ऐसा अपराध है जो लोगों से उनके अधिकार छीन लेता है, उनके सपने तबाह कर देता है और उनसे उनकी गरिमा छीन लेता है। यह गरीबी और हताशा की देन है और लाखों पुरुषों, महिलाओं, लड़के और लड़कियों को शारीरिक और भावनात्मक चोट पहुंचाता है। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है और कोई देश इससे अछूता नहीं है।

2017 में दुनिया भर में करीब 2.1 करोड़ लोग जबरन मजदूरी के शिकंजे में थे जिनमें कर्ज के बंधुआ, मानव तस्करी और अन्य प्रकार की आधुनिक दासता के शिकार शामिल हैं। ये लोग सबसे लाचार हैं, महिलाओं और लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धेकला जाता है, प्रवासी कर्ज के बंधुआ हो जाते हैं, कारखानों या खेतों के मजदूर अवैध तरीकों से रोक कर रखे जाते हैं, उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता।

इस समस्या के कुछ भयावह तथ्य हैं:

- मानव तस्करी का सबसे आम रूप (79 प्रतिशत) यौन शोषण है।
- यौन शोषण की शिकार मुख्य रूप से महिलाएं और लड़कियों होती हैं और इसके कुल पहचाने गए पीड़ितों में करीब 80 प्रतिशत अनुपात उनका ही है।
- पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में महिलाएं ही दूसरी महिलाओं की अधिक से अधिक तस्करी कर रही हैं। चैंकाने वाली बात है कि तस्करी की शिकार रह चुकी महिलाएं ही तस्करी कर रही हैं।
- दुनिया भर में तस्करी के सभी शिकारों में 20 प्रतिशत बच्चे हैं। किन्तु अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में इनमें अधिकतर बच्चे हैं (पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शत-प्रतिशत तक)।

ऐतिहासिक दृष्टि से मानव तस्करी कोई नई समस्या नहीं है। अटलांटिक के आर-पार दास व्यापार करीब 400 वर्ष तक चला। यह मानव इतिहास का एक काला अध्याय है। दासता प्राचीनकाल से चली आ रही है

नादिया मुराद, मानव तस्करी से मुक्त लोगों की गरिमा के लिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की सद्भावना दूत। ■ यूएन फोटो/मैनुअल एलियस

स्वयं शासन ही क्यों न हो। पुलिस, वकीलों और न्यायधीशों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए। ठोस आधार के बिना न किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, न मुकदमे की सुनवाई के इंतजार में लंबी अवधि तक हिरासत में अथवा अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा सकता है।

न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें निश्चय ही जबरन गुमशदगी, यातना, दासता अथवा मौत के घाट उतारे जाने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसकी बजाय स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कैदियों को दिए जाने चाहिए ताकि जेल से छूटने पर उन्हें सही रास्ते पर चलने और अब कोई अपराध किए बिना अपने और अपने परिवार की देखभाल करने का मौका मिले।

ध्यान दें

यातना पीड़ितों की सहायता

अनेक देशों में शासन द्वारा यातना दिए जाने का चलन अब भी है। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि यह चलन बंद हो जाए।

1984 में संयुक्त राष्ट्र ने यातना रोकने संबंधी समझौते का अनुमोदन किया। यातनारोधी 10 सदस्यों की समिति उन देशों से मिलने वाली रिपोर्ट की समय-समय पर समीक्षा करती है जिन्होंने समझौते का अनुसमर्थन किया है।

यातना की सख्त मनाही होने के बावजूद कुछ देशों में अब भी इसका चलन है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सिर्फ अपनी बात कहने के कारण हिरासत में यातनाएं दी जा रही हैं ताकि उनसे जबरन जुर्म का इकबाल कराया जा सके या वे सिर्फ इसलिए यातना सहते हैं कि वे गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र ने एक यातना पीड़ित स्वैच्छिक कोष भी स्थापित किया है। यह कोष यातना के पीड़ितों और उनके बच्चों को मानसिक चिकित्सकीय, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

विधिसम्मत शासन चलाने वाले देश के लिए जरूरी है कि वह भ्रष्टाचार, संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों, हथियारों, दुर्लभ जीव-जन्तुओं, वनस्पति और हाथी दांत की वस्तुओं, प्रतिबंधित वस्तुओं, सांस्कृतिक कलाकृतियों और इंसानों की तस्करी के साथ-साथ बाल अश्लील चित्रण और इंटरनेट पर धमकाने जैसे साइबर अपराधों और पर्यावरण से जुड़े अपराधों से अपनी जनता को बचाकर रखे। ऐसा देश आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में दूसरों के साथ सहयोग भी करता है। संयुक्त राष्ट्र उपयुक्त नीतियों और संस्थाओं की स्थापना करने और विधिसम्मत शासन चलाने में देशों को मार्गदर्शन, समर्थन और प्रशिक्षण देता है।

सक्रिय, मुक्त और सार्थक भागीदारी

लोकतंत्र और मानव अधिकारों के बीच की कड़ी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 21 (3) में दिखाई देती है। इसमें कहा गया है, "जनता की इच्छा ही सरकार की सत्ता का आधार होगी; यह इच्छा समय-समय पर और वास्तविक चुनावों में अभिव्यक्त की जाएगी। चुनाव सब जगह और समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान से अथवा समकक्ष स्वतंत्र मतदान प्रक्रियाओं से कराए जाएंगे।"

लोकतंत्र एक सार्वभौम संस्कार है, जो अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियां निर्धारित करने और अपने जीवन के सभी पहलुओं में पूरी भागीदारी पाने की जनता की स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त इच्छा पर आधारित है। यह प्रक्रिया भी है और लक्ष्य भी। केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थाओं, प्रबुद्ध समाज और व्यक्ति के पूर्ण समर्थन से ही लोकतंत्र के आदर्श को साकार किया जा सकता है जिससे हर कोई, हर जगह इसका उपभोग कर सके।

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के गुण लगभग एक से हैं, लेकिन कोई एक मॉडल नहीं है। उदाहरण के लिए सरकार का मुखिया देश के नागरिकों द्वारा सीधे चुना जा सकता है अथवा देश के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव कर सकते हैं। कहीं राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होता है तो कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच अधिकारों का बंटवारा रहता है।

अपने नागरिकों की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की साझी विशेषता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। स्वयं लोकतंत्र के लिए ही अभिव्यक्ति, वाणी, संघ और प्रेस की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। यह सभी अधिकार नागरिकों के जानकार होने, अपनी आवाज सुनाने और अपने सर्वोत्तम हित के अनुसार वोट देने की सामथ्र्य के लिए आवश्यक हैं। इतना ही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व के

ध्यान दें

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

ईशनिंदा रोधी कानून और सरकारी अधिकारियों एवं राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध मानहानि रोधी कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं। सरकार राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस हद तक अंकुश लगा सकती है यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में एक सबसे संवेदनशील विषय है जिसे सबसे अधिक चुनौती दी गई है। कुछ देश अब भी उन लोगों को जेल, यातना और मृत्यु देते हैं जो अपने विचार व्यक्त करते हैं और खुलकर बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण देने की हिमायत करता है।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य में चुनाव में मदद करते संयुक्त राष्ट्र अधिकारी। स्वतंत्र चुनाव अपने जीवन को प्रभावित करने के फैसले लेने में सभी लोगों को भागीदारी देने के लिए जरूरी हैं। ■ यूएन फोटो/नेकटारियोस मार्कोजियानिस

लिए मानव अधिकारों का सम्मान करना और सबके लिए मताधिकार के द्वारा समय-समय पर वास्तव में बहुदलीय चुनाव कराना आवश्यक है। सबके लिए मताधिकार का अर्थ है कि मतदान योग्य आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार हो।

लोकतंत्र मानव अधिकारों के संरक्षण और उनके असरदार ढंग से उपभोग के लिए नैसर्गिक वातावरण प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों को अपनी सरकार, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने की शक्ति देती है। यह व्यक्तियों और समुदायों के विकास को बढ़ावा देती है जो महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने और व्यापक स्तर पर समाज में सुधार लाने के लिए काम कर सकते हैं।

गरीबी पर काबू

गरीबी मानव अधिकारों का उल्लंघन

गरीब होने का अक्सर अर्थ होता है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों जैसे स्वास्थ्य सेवा, उपयुक्त आवास, भोजन एवं सुरक्षित जल, शिक्षा और काम के अधिकार से वंचित होना। गरीब जनता काम के अभाव में एक दुष्चक्र में फंसी रहती है। उन लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता इसलिए स्वास्थ्य सेवा और भोजन का खर्च नहीं उठा सकते; कुपोषित वयस्क काम पर नहीं जा सकते और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते; किन्तु शिक्षा के बिना इन बच्चों को काम भी नहीं मिलेगा। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों जैसे निष्पक्ष सुनवाई, राजनीतिक भागीदारी और व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकारों की भी यही स्थिति है। गरीब लोग सोचते हैं कि उनकी कोई आवाज नहीं है और कोई उनकी नहीं सुनता।

मानव अधिकारों के पालन से हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और महत्व को प्रोत्साहन मिलता है। मानव विकास की दिशा में प्रयासों से भी यही उपलब्धि होती है। गरीबी से जुड़े मानव अधिकार आयाम को बुनियादी मान्यता ने गरीबी कम करने के प्रयासों और नीतियों के प्रति संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिोण को नया रूप दिया है। अब गरीबी के कारण मानवीय गरिमा पर होने वाली दैनिक चोट और भीषण लाचारी पर ध्यान दिया जा रहा है। गरीबी पर काबू पाना संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों का मूल मंत्र है।

विकास कार्यक्रम को मानव अधिकार आयाम देना

गरीबी को असरदार ढंग से मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने विकास कार्यक्रमों में मानव अधिकारों का आयाम जोड़ दिया है। आर्थिक वृद्धि के प्रयासों का गरीबों पर विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उनके बुनियादी अधिकारों को संरक्षण देकर अपने-अपने समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भागीदारी करने के उनकी क्षमता को मजबूती मिलनी चाहिए। पिछले दशक में अनेक देशों ने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गरीबी का मुकाबला करने के लिए सामाजिक संरक्षण प्रयास किए हैं या उन्हें मजबूत किया है। कम आय वाले देश भी सामाजिक संरक्षण प्रयासों के बल पर सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं।

लैंगिक मुद्दों का बढ़ता प्रभाव

गरीबी मिटाने और मानव अधिकारों का सम्मान करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का तरीका लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। गरीबी महिलाओं और लड़कियों पर बेहिसाब मार करती हैः उनके सामने हाशिए पर धकेले जाने, अलग-थलग किए जाने अथवा हिंसा और तस्करी की शिकार होने का खतरा अधिक होता है। अनेक अध्ययनों ने साबित किया है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सामाजिक लाभों तक महिलाओं में पहुंच में सुधार का आर्थिक वृद्धि, बेहतर आमदनी और देश के रहन-सहन के स्तर में कुल मिलाकर प्रगति के साथ गहरा संबंध है।

लैंगिक असमानता गरीबी को जारी रखने में मददगार होती है, इसलिए असरदार विकास रणनीतियों में महिलाओं के सभी अधिकारों का संरक्षण शामिल होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के प्रयास, सतत् आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय पर आधारित होने चाहिए और इसके लिए महिलाओं को पूरी भागीदारी और बराबर अवसर देना आवश्यक है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव से संघर्ष

लैंगिक बराबरी सबके मानव अधिकारों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। इसके बावजूद कुछ संस्कृतियों में महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले कानून मौजूद हैं। कुछ देशों में कानून महिलाओं और लड़कियों को अब भी राष्ट्रीयता और नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह अधिकार, रोजगार का अधिकार, अभिभावक अधिकार, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार के मामले में दोयम दर्जे पर रखते हैं। महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव मानव अधिकारों के लिए उपयुक्त नहीं है।

दुनिया के सबसे गरीब लोगों में अधिकांश महिलाएं हैं और गांवों में गरीबी में जीती महिलाओं की संख्या 1975 से 50 प्रतिशत बढ़ी है। महिलाएं दुनिया के दो-तिहाई कार्य घंटों में काम करती हैं और दुनिया का आधा आहार पैदा करती हैं। फिर भी दुनिया की कुल आमदनी का सिर्फ 10 प्रतिशत अर्जित करती हैं और दुनिया की संपत्ति के एक प्रतिशत से भी कम की स्वामी हैं।

महिलाओं को शिक्षा देने से न सिर्फ पढ़ने वालों को लाभ होता है, बल्कि उनके समुदाय और समाज को भी लाभ होता है। शिक्षित माता की संतान के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। ■ यूएन फोटो/इवान श्राइडर

महिलाओं के साथ अकल्पनीय स्तर तक हिंसा होती है और न्याय तक महिलाओं की पहुंच अक्सर सीमित रहती है। लिंग के आधार पर और नस्ल, जातीयता, जाति, विकलांगता, एचआईवी/एड्स की स्थिति अथवा यौन संबंधों की पसंद-नापसंद के आधार पर भेदभाव, आर्थिक कठिनाई, बहिष्कार और हिंसा का जोखिम और बढ़ा देता है।

कुछ देशों में पुरुषों की तरह महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने, गाड़ी चलाने, रात में काम करने, उत्तराधिकार में संपत्ति पाने और अदालत में गवाही देने का अधिकार नहीं है। खुलेआम भेदभाव करने वाले जो कानून इस समय लागू हैं उनमें से अधिकांश पारिवारिक जीवन से संबद्ध हैं। वे महिलाओं के विवाह करने (कम उम्र में जबरन विवाह के मामले में विवाह न करने) या तलाक लेने और पुनर्विवाह करने के अधिकार अक्सर सीमित करते हैं। इनके कारण यौन संबंधों में भेदभाव करने वाली वैवाहिक प्रथाओं जैसे पत्नी का आज्ञाकारी होना और बहु-विवाह, का बोलबाला रहता है। अनेक देशों में अब भी वैवाहिक संबंधों में पत्नी के आज्ञाकारी होने के बारे में कानूनों में स्पष्ट व्यवस्था है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, विशेषकर, महिलाओं के साथ सभी प्रकार का भेदभाव मिटाने संबंधी समझौते में लिंग के आधार पर भेदभाव करना मना है और इसमें नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उपभोग करने की गारंटी पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर है।

यह समझौता लागू होने के बाद भी दुनिया भर में पुरुषों की तरह समान अधिकारों की मान्यता और उपभोग बड़ी संख्या में महिलाओं की पहुंच से दूर है। 2017 तक 189 देशों ने इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिया था। फिर भी कुछ देशों में तलाक, यात्रा और शिक्षा जैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव जारी है।

वृद्धजनों के साथ भेदभाव का सामना

हाल के दशकों में वैश्विक जनसंख्या की संरचना में नाटकीय बदलाव आया है। 1950 और 2017 के बीच दुनिया भर में जीवन की संभावना 46 से बढ़कर 71 वर्ष से भी अधिक हो गई है और उस शताब्दी के अंत तक इसके 81 वर्ष हो जाने का अनुमान है। इस समय लगभग 70 करोड़ लोगों की आयु 60 वर्ष से ऊपर है: 2050 तक यह संख्या 2 अरब हो जाएगी जो विश्व की आबादी से 20 प्रतिशत से अधिक होगी और इतिहास में पहली बार दुनिया में बच्चों की कुल संख्या से अधिक होगी। मानव अधिकार 60 की उम्र तक समाप्त नहीं हो जाते।

इतना तो स्पष्ट है कि हमें वृद्धजनों की आवश्यकताओं एवं उनके समाने मौजूद चुनौतियों पर अधिक ध्यान देना होगा। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश वृद्ध पुरुष और महिलाएं समाज में योगदान करते रह सकते हैं अगर उनके लिए समुचित गारंटी की व्यवस्था हो। इन सभी प्रयासों के मूल में मानव अधिकार निहित हैं।

वृद्धावस्था के बारे में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना और अप्रैल 2002 में वृद्धावस्था के बारे में दूसरी विश्व सभा में अनुमोदित राजनीतिक घोषणा ने सभी आयु वर्गों के लिए समाज निर्माण की प्रमुख चुनौती से निपटने की विश्व की रणनीति बदल दिया। मैड्रिड योजना में तीन प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित किए गए: वृद्धजन और विकास, स्वास्थ्य और खुशहाली को वृद्धावस्था तक जारी रखना तथा सामथ्र्यकारी और

ध्यान दें

संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ हिंसा की समाप्ति चाहता है

महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने का संयुक्त राष्ट्र के अभियान UNiTE का उद्देश्य दुनिया के सभी हिस्सों में महिलाओं और लड़कियों के साथ हर प्रकार की हिंसा रोकने और समाप्त कराने के लिए जन जागरूकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा संसाधनों वृद्धि करना है।

UNiTE लक्ष्य

- महिलाओं और लड़कियों के साथ हर प्रकार की हिंसा का समाप्त कराना और उसके लिए दंड देने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय कानून बनाना और लागू करना।
- बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाना और लागू करना जिसमें रोकथाम पर जोर हो और जिसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।
- महिलाओं और लड़कियों के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा के चलन पर आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की प्रणालियां स्थापित करना।
- हिसां रोकने और दुराचार की शिकार महिलाओं और लड़कियों को समर्थन देने में प्रबुद्ध समाज के विभिन्न अंगों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय और/या स्थानीय अभियान चलाना।
- संघर्ष की स्थितियों में यौन हिंसा रोकने के व्यवस्थित प्रयास करना। महिलाओं और लड़कियों को युद्ध के हथियार के रूप में बलात्कार से बचाना और संबद्ध नियमों एवं नीतियों को पूरी तरह लागू करना।

सभी आयु वर्गों की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्यायोचित समाज की रचना करना, दुनिया भर में मानव अधिकारों के प्रसार की संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का अंग है। ■ यूएन फोटो/किम हॉटन

सहायक माहौल सुनिश्चित करना। यह कार्य योजना नीति निर्धारण के लिए एक संसाधन है जो सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संबद्ध पक्षों के लिए ऐसे रास्ते सुझाती है जिनसे उनके समाज वृद्धजनों के बारे में अपनी धारणा, संपर्क और देखभाल के तरीकों में बदलाव ला सकते हैं। इसमें देश पहली बार वृद्धावस्था से जुड़े प्रश्नों को सामाजिक-आर्थिक विकास और मानव अधिकारों के लिए अन्य ढांचों से जोड़ने पर सहमत हुए थे।

नस्लीय भेदभाव का सामना

नस्लीय और जातीय भेदभाव रोजाना होता है जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रगति में बाधा पड़ती है। व्यक्तियों को बराबरी और भेदभाव मुक्ति के बुनियादी सिद्धांतों से वंचित करने से लेकर जातीय नफरत भड़काने तक यह भेदभाव जनसंहार, नस्लवाद और असहनशीलता फैलाकर लोगों के जीवन और समुदायों को नष्ट कर देता है। नस्लवाद के संघर्ष संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए प्राथमिकता है।

संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के समय से ही इस समस्या के प्रति चिंतित है और नस्लीय भेदभाव निषेध इसके सभी मूल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समझौतों और कानूनों में निहित है। संयुक्त राष्ट्र देशों से कहता है कि वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में यह भेदभाव मिटाएं। समानता के सिद्धांत की मांग यह भी है कि राष्ट्र ऐसी परिस्थितियां समाप्त करने के लिए विशेष उपाय अपनाएं जो नस्लीय भेदभाव पैदा करती हैं या उसे जारी रखती हैं।

2001 में नस्ल भेद के विरुद्ध विश्व सम्मेलन में नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विद्वेष के कारण होने वाली हत्याओं और उससे जुड़ी असहनशीलता का सामना करने के लिए सबसे अधिक अधिकार प्राप्त और समग्र कार्यक्रम तैयार किया गया थाः डरबन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अप्रैल, 2009 में डरबन समीक्षा सम्मेलन में नस्लवाद पर काबू पाने में विश्व में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। सम्मेलन में नस्लवाद विरोधी एजेंडा के प्रति विश्व का संकल्प दोहराया गया।

मूलनिवासियों के सामने अपनी पहचान, परंपराओं और रीति-रिवाजों को कायम रखने में अनेक चुनौतियां आती हैं और कभी-कभी उनके सांस्कृतिक योगदान का शोषण और बाजारीकरण बहुत मामूली या बिना किसी मान्यता के किया जाता है। ■ यूएन फोटो/जॉन आजैक

अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का सामना

दुनिया के लगभग सभी देशों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय, जातीय, भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक रहते हैं। ये समूह और इनके सदस्य अक्सर उनकी स्पष्ट विशेषताओं के आधार पर अपने नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन सामना करते हैं।

अल्पसंख्यकों के मुद्दे 60 वर्ष से भी अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा पर हैं। महासभा ने 1948 में ही घोषणा कर दी थी कि संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यकों की स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकता। 2005 में वर्ल्ड समिट आउटकम ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के महत्व की पुनः पुष्टि करते हुए कहा कि "राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण से

ध्यान दें

नेल्सन मंडेला दिवस

दक्षिण अफ्रीका में apartheid (अफ्रीकान्स भाषा में अपार्ट-नैस) के नाम से वैध नस्ल भेद प्रणाली समाप्त कराना शुरू से ही संयुक्तं राष्ट्र के एजेंडा में शामिल था।

रंगभेद को मानवता के प्रति अपराध बताते हुए संयुक्त राष्ट्र ने तीन दशक से अधिक समय तक उसके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया। उसने 1994 में देश में पहले स्वतंत्र और बहुनस्लीय चुनाव कराने में सहायता दी और उनका निरीक्षण भी किया। रंगभेद शासन के तहत जेल में रहे नेल्सन मंडेला एकीकृत नस्ल वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने।

संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है।

राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता और शांति में योगदान होता है तथा सांस्कृतिक विविधता एवं समाज की विरासत समृद्ध होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक व्यक्ति अधिकार घोषणा (1992) अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रमुख मानक है। इसमें उन अधिकारों की सूची है जिनके हकदार अल्पसंख्यक समूहों के लोग हैं। इनमें अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म का प्रचार और पालन करने और अपनी भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार शामिल है। घोषणा में दोहराया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को कानून के समक्ष बिना भेदभाव और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप सभी मानव अधिकार मिलने चाहिए। अन्य प्रमुख अधिकारों में अस्तित्व की रक्षा, पहचान को प्रोत्साहन और असरदार भागीदारी का अधिकार शामिल है।

मूल निवासियों के साथ भेदभाव का सामना

दुनिया में मूल निवासी आबादी करीब 37 करोड़ व्यक्तियों की है जो 70 से अधिक देशों में रहते हैं और 5,000 से अधिक विशिष्ट समुदायों के सदस्य हैं। विश्व की जनसंख्या में उनका अनुपात केवल 5 प्रतिशत है। फिर भी सबसे गरीब लोगों में 15 प्रतिशत मूल निवासी हैं। वे अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं और उनके मानव अधिकारों का बार-बार उल्लंघन होता है। उन्हें अपने संस्कारों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अपने विकास पर नियंत्रण से वंचित किया जाता है। उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामान्य से कम है और सामाजिक तथा अन्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। उनकी जमीन को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की चर्चा में उन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण वाले उद्यमों के परिणामस्वरूप वे अक्सर जबरन विस्थापित होते हैं।

ध्यान दें

संयुक्त राष्ट्र और होलोकास्ट

होलोकास्ट ने अनगिनत अन्य अल्पसंख्यकों के साथ एक-तिहाई यहूदी आबादी की हत्या कर दी गई थी। यह त्रासदी हमेशा लोगों को नफरत, बर्बरता, नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों से आगाह करती रहेगी।

होलोकास्ट को ऐतिहासिक घटना के रूप में पूरी तरह या आंशिक रूप से नकारने की किसी भी कोशिश को अस्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मिति से प्रस्ताव पारित कर, बिना किसी आपत्ति के धार्मिक असहनशीलता, उकसाए जाने, जातीय मूल अथवा धार्मिक आस्था के आधार पर व्यक्तियों या समुदायों के उत्पीड़न अथवा उनके साथ हिंसा के सभी प्रकट रूपों की निंदा की।

संयुक्त राष्ट्र ने 1945 में ऑशविट्ज़ नाजी मृत्यु शिविर की मुक्ति की वर्षगांठ 27 जनवरी को होलोकास्ट पीड़ित स्मृति सम्मान का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। उसने एक आउटरीच कार्यक्रम "द होलोकास्ट एंड द यूनाइटेड नेशन्स" स्थापित करने के साथ-साथ होलोकास्ट को याद रखने और उसके बारे में शिक्षित करने के लिए प्रबुद्ध समाज को एकजुट करने के उपाय अपनाए ताकि जनसंहार फिर कभी होने की आशंका दूर करने में मदद मिल सके।

सरकारों और मूलनिवासियों के प्रतिनिधियों के बीच दो दशक से भी लंबी वार्ता के बाद 2007 में महासभा में मूल निवासियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा का अनुमोदन किया।

यह घोषणा मूल निवासियों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण का एक प्रमुख साधन है। इसमें जीवन रक्षा, गरिमा, खुशहाली और अधिकारों के लिए न्यूनतम मानकों का एक सार्वभौम ढांचा स्थापित किया गया। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों, सांस्कृतिक अधिकारों और पहचान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भाषा के अधिकारों पर ध्यान दिया गया है। इसमें मूलनिवासियों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव पर प्रतिबंध है और उनसे संबद्ध सभी विषयों में उनकी पूर्ण एवं असरदार भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया है। घोषणा में अपनी अलग पहचान रखने और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में अपनी प्राथमिकताओं पर काम करने के मूल निवासियों के अधिकारों को भी सुनिश्चित किया गया है।

प्रवासियों के साथ भेदभाव का सामना

2001 में नस्लवाद के विरुद्ध डरबन विश्व सम्मेलन में अनुमोदित डरबन घोषणा में कहा गया था कि गैर-राष्ट्रीय लोगों विशेषकर प्रवासियों के साथ विद्वेष के कारण होने वाली हिंसा समकालीन नस्लवाद का एक मुख्य स्रोत है। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मामले में प्रवासियों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है। यह वैश्विक मुद्दा है जो लोगों के मूल देशों, प्रवासन के दौरान आने वाले देशों और आगमन वाले देशों को प्रभावित करते हैं। 2015 में करीब 24.4 करोड़ लोग अपने मूल देश के बाहर रहते थे और तब से इस रुझान में नाटकीय वृद्धि हुई है।

नए देश में अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों और पुलिस द्वारा पकड़े गए तस्करी के शिकार लोगों को अक्सर प्रशासनिक केन्द्रों या जेलों में हिरासत में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता से वंचित किया जाना अंतिम उपाय होना चाहिए। फिर भी प्रवासियों को अक्सर सामान्य प्रक्रिया के रूप में और समुचित न्यायिक बचाव उपायों के बिना हिरासत में रखा जाता है। भीड़ भरे आव्रजन हिरासत केन्द्रों में अक्सर स्वास्थ्य सेवा खराब होती है, भोजन, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की सुविधा भी अपर्याप्त होती है। प्रवासन को अपराध मानने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है जिससे बहुत अधिक मामलों में प्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

मेजबान समुदायों के भीतर प्रवासियों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना, उनके एकीकरण को बढ़ावा देने तथा विकास में उनके योगदान को प्रोत्साहित करने का मुख्य तत्व है। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न समझौतों और संधियों ख़ासकर सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता भेदभाव के मुद्दे का समाधान करता है और मानव अधिकारों के संरक्षण के बारे में मार्गदर्शन देता है।

दिव्यांगों के साथ भेदभाव का सामना

दुनिया भर में एक अरब लोग दिव्यांग हैं जो 2017 में दुनिया की आबादी का 15 प्रतिशत था। प्रत्येक देश में दिव्यांग अक्सर समाज के हाशिए पर जीते हैं और जीवन के कुछ बुनियादी अनुभवों से वंचित रहते हैं। उनके लिए स्कूल जाने, नौकरी पाने या अपना घर लेने, परिवार शुरू करने, बच्चे पालने, समाज में घुलने-मिलने या वोट दे पाने की संभावना बहुत कम होती है। दिव्यांग वास्तव में दुनिया में सबसे बड़े और सबसे वंचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं। दुनिया में सड़कों पर जीते करीब एक-तिहाई बच्चे दिव्यांग हैं और वयस्क दिव्यांगों में साक्षरता दर सिर्फ 3 प्रतिशत है।

अधिकारों का सम्मान होने पर बच्चे अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं। ■ यूएन फोटो/स्टेफानी हौलीमैन

दिव्यांगजन अधिकार समझौता इस हाशिए पर जीते समूह के साथ लंबे समय से जारी भेदभाव, बहिष्कार और अमानवीय व्यवहार के प्रति संयुक्त राष्ट्र का जवाब है। रिकॉर्ड संख्या में देशों ने इस समझौते और इसके प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं।

बच्चों के भी अधिकार हैं

मानव अधिकार सभी आयु वर्गों पर लागू होते हैं। बच्चों को भी बड़ों की तरह ही मानव अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु बच्चे विशेष रूप से लाचार होते हैं, इसलिए उनके कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, जो संरक्षण की उनकी आवश्यकता को मानते हैं।

बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना

बाल अधिकार समझौता

बाल अधिकार समझौते में ऐसे अधिकार निर्धारित किए गए हैं जो बच्चों को उनकी पूर्ण प्रतिभा के विकास, भुखमरी और वंचना, उपेक्षा और दुव्र्यवहार से मुक्त करने के लिए दिए ही जाने चाहिए। बच्चे न माता-पिता की संपत्ति हैं न दया के असहाय पात्र हैं। वे इंसान हैं जिनके अपने अधिकार हैं। यह समझौता बच्चे की कल्पना एक व्यक्ति और परिवार तथा समुदाय के सदस्य के रूप में करता है जिसके अपनी आयु और विकास की अवस्था के अनुसार अपने अधिकार और दायित्व हैं।

संयुक्त राष्ट्र के समझौते में कुछ तर्कसंगत मानक और दायित्व हैं जिनमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। इसने बच्चों की बुनियादी मानवीय गरिमा और उनका कल्याण तथा विकास सुनिश्चित करने की तात्कालिक आवश्यकता बढ़ा दी है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जीवन की आवश्यक गुणवत्ता कुछ गिने-चुने बच्चों का विशेष अधिकार नहीं, बल्कि सभी बच्चों का अधिकार होना चाहिए।

समझौते के वैकल्पिक प्रोटोकाल

इस समझौते का अनुमोदन करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान लिया कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। दुनिया भर में बच्चों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार और शोषण को रोकने के लिए महासभा ने समझौते के दो वैकल्पिक प्रोटोकाल का भी अनुमोदन किया जिससे बच्चों को सशस्त्र संघर्ष में भागीदारी और यौन शोषण से बचाए जा सके:

- सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी के लिए वैकल्पिक प्रोटोकाल में अनिवार्य भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है और राष्ट्रों को यह दायित्व सौंपा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को संघर्ष में सीधे हिस्सा लेने से रोकने के लिए हर संभव उपाय करें।
- बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बच्चों के अश्लील चित्रण से संबद्ध वैकल्पिक प्रोटोकाल बच्चों के अधिकारों के इन गंभीर उल्लंघनों को अपराध घोषित करने पर विशेष ध्यान देता है। इसका उद्देश्य इन अपराधों को रोकने के बारे में जन जागरूकता और देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

बाल अधिकार

बच्चे की परिभाषा

समझौते में बच्चे की परिभाषा 18 वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति के रूप में की गई है। जब तक किसी देश के कानून ने वयस्क होने की कानूनी आयु इससे कम न हो। बाल अधिकार समिति समझौते की निगरानी करती है। उसने देशों को प्रोत्साहित किया है कि अगर उन्होंने वयस्कता की आयु 18 वर्ष से कम तय कर रखी है तो उसकी समीक्षा करें और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए संरक्षण का स्तर बढ़ाएं।

जिम्मेदारियां और दायित्व

बच्चों के माता-पिता चाहे नैसर्गिक हो या गोद लेने वाले या कुछ मामले में कानूनी अभिभावक हों, बच्चे के संरक्षण और पालन-पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी ही है, किन्तु बाल अधिकार समझौते का अनुसमर्थन करने वाले देशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि बच्चों के

क्या आप जानते हैं?

वैकल्पिक प्रोटोकाल मुख्य समझौते से जुड़ी संधि हैं

अक्सर ऐसा होता है कि बाल अधिकार समझौते जैसी मानव अधिकार संधियों के बाद वैकल्पिक प्रोटोकाल का अनुमोदन किया जाता है जिनमें या तो उस संधि से जुड़ी प्रक्रियाएं दी जाती हैं अथवा उस संधि से जुड़े विशेष चित्रों से संबद्ध प्रावधान किए जाते हैं।

मानव अधिकार संधियों के वैकल्पिक प्रोटोकाल अपने आप में संधियां ही हैं और अक्सर मुख्य संधि से संबद्ध पक्षकार देशों के हस्ताक्षर, अनुमोदन या अनुसमर्थन के लिए खोली जाती हैं।

अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और पूर्ति हो। इसके लिए उनकी सामाजिक सेवाओं और कानूनी, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणालियों तथा इन सेवाओं के लिए धन के प्रावधानों के स्तरों का आकलन करना जरूरी है। उन्हें बाल अधिकारों का संरक्षण करने और बच्चों के बड़े हो सकने तथा अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर पाने लायक माहौल तैयार करने में परिवारों को सहायता देनी होगी। सरकारों का दायित्व है कि वे समझौते की जानकारी वयस्कों और बच्चों को दें। सभी वयस्कों, विशेषकर माता-पिता और शिक्षकों को भी बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देने में मदद करनी चाहिए।

बाल अधिकार क्या हैं?

प्रत्येक बच्चे को अधिकार है:

- जीवन का।
- कानूनी पंजीकृत नाम का।
- राष्ट्रीयता का।
- पहचान का (वे कौन हैं इसके सरकारी रिकॉर्ड का)।
- माता-पिता दोनों से देखभाल और मार्गदर्शन पाने का, जब तक उनके बच्चे के कल्याण को ख़तरा न हो या अगर वे बच्चे से अलग हो गए हों तो उस स्थिति में कानूनी अभिभावक बच्चे के पालन-पोषण की भूमिका निभाएगा।
- माता या पिता अथवा दोनों के अलग होने की स्थिति में दोनों के साथ सीधे संपर्क का, बशर्ते ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित के विपरीत न हो।
- किसी अन्य देश में रहते परिवार से मुलाकात करने या पुनर्मिलन के लिए सीमा पार जाने का।
- सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुराचार, उपेक्षा, यौन दुराचार सहित दुव्यवहार या शोषण, भेदभाव, अपहरण, बिक्री और तस्करी से संरक्षण पाने का।
- उपयुक्त संरक्षण और देखभाल पाने का (शरणार्थी बच्चों अथवा दिव्यांग बच्चों जैसे सबसे लाचार बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है)।
- अभिव्यक्ति, विचार और धर्म की स्वतंत्रता का।
- संघ बनाने की स्वतंत्रता का।
- निजता का।
- सूचना का, (अपने माहौल अधिकारों, सूचना का, स्वास्थ्य संबंधी और अन्य मुद्दों का)।
- उन्हें प्रभावित करने वाले फैसलों में भागीदारी का।
- शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रहन-सहन के उपयुक्त स्तर का।
- सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक आहार और स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण पाने का।
- यदि बच्चा गरीब अथवा जरूरतमंद है तो विशेषकर भोजन, वस्त्र और आवास के लिए सरकार से सहायता पाने का।

प्रत्येक बच्चे का पहला अधिकार जीवन का अधिकार है। माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक का प्राथमिक दायित्व अपने बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पालन-पोषण करने का है। ■ यूएनएफपीए फोटो/करीना विंट

- प्राइमरी शिक्षा का, जो मुफ्त होनी चाहिए ताकि हर बच्चे के व्यक्तित्व प्रतिभाओं और क्षमताओं का पूर्णतम विकास हो सके और शांति तथा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीख सके।
- आमोद-प्रमोद, खेल और संस्कृति का।
- ऐसे काम से संरक्षण पाने का जो बच्चों के लिए खतरनाक अथवा अनुपयुक्त हो या उनके अन्य अधिकारों (स्वास्थ्य, शिक्षा, आमोद-प्रमोद) को खतरे में डालता हो।
- निष्पक्ष, किशोर अपराधी, न्याय प्रणाली का जो हिरासत में लिए गए बच्चों को दुव्यवहार से संरक्षण प्रदान करे और उनके साथ गरिमामय व्यवहार करें।
- यातना अथवा क्रूर, अमानवीय या अपानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता का।
- युद्ध और सशस्त्र संघर्षों के प्रभावों, विशेषकर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती से संरक्षण पाने का।
- उपेक्षा, दुव्यवहार या शोषण का शिकार होने पर पुनर्वास का जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य, आत्म सम्मान और गरिमा को पुनः स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र और बाल अधिकार

संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां बाल अधिकारों के सम्मान और उन्हें लागू करने में सभी स्तरों पर शामिल हैं। वे राज्यों को संबद्ध मुद्दों पर चर्चा करने का मंच उपलब्ध कराती हैं और जमीन पर तथा दुनिया भर में बच्चों के लिए सेवाओं का निर्देशन करते हैं।

टीकाकरण अभियानों से लेकर स्वच्छ जल और स्वच्छता सेवाओं के प्रावधान तक, बाल शरणार्थियों के संरक्षण से लेकर पूर्व बाल सैनिकों और सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के पुनर्वास तक, संयुक्त राष्ट्र तंत्र हर दिन बच्चों के जीवन में सुधार कर रहा है। दुनिया को उनके लिए बेहतर और अधिक सुरक्षित बनाने का काम कर रहा है।

सभी बच्चों के लिए शिक्षा

एजुकेशन फॉर ऑल आंदोलन सभी बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का वैश्विक संकल्प है। इसकी शुरुआत 1990 में ऐतिहासिक सबके लिए शिक्षा और विश्व सम्मेलन में की गई थी। 2015 तक विकासशील देशों में प्राइमरी शिक्षा में भर्ती की दर 91 प्रतिशत तक पहुंच गई। किन्तु 5.7 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, लोगों का जीवन स्तर सुधारने और सतत् विकास की बुनियाद है। सभी स्तरों पर शिक्षा सुलभता बढ़ाने और स्कूलों में, विशेषकर, महिलाओं और लड़कियों की भर्ती दर बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बुनियादी साक्षरता कौशल में जबर्दस्त सुधार हुआ है फिर भी सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में और अधिक सफलता पाने के लिए और दिलेरी से प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए दुनिया ने प्राइमरी शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए बराबरी हासिल कर ली है किन्तु कुछ देशों ने यह लक्ष्य शिक्षा के सभी स्तरों पर हासिल कर लिया है।

सतत् विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) अपने अनेक उद्देश्यों में सुनिश्चित करना चाहता है कि 2030 तक:

- सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, बराबरी के आधार पर गुणवत्तापूर्ण प्राइमरी और सैकेंडरी शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण, बचपन के प्रारंभिक विकास, देखभाल और प्राइमरी पूर्व शिक्षा सुलभ हो।
- सभी महिलाओं और पुरुषों को कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और विश्वविद्यालय सहित तृतीयक शिक्षा की सुविधा सुलभ हो।

लड़कियों को स्कूल भेजना

बहुत हद तक संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बल पर आज प्राइमरी स्कूल आयु के 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों के नाम स्कूलों में दर्ज हैं, जबकि 1960 में यह अनुपात 50 प्रतिशत से कम था। यह बहुत शानदार प्रगति है, पर अब भी बहुत कुछ करना बाकी है।

ध्यान दें

बच्चे और न्यायिक प्रणालियां

अनुमान है कि 10 लाख से अधिक बच्चे दुनिया भर में हिरासत में हैं। इनमें से अधिकांश ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है। अनेक मामलों में बच्चों को राजनीतिक कारणों से हिरासत में लिया गया है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

अनेक देशों में, विशेषकर संघर्ष और संकटग्रस्त देशों में जेलों की हालत रोग, स्वच्छता और जल तथा भोजन की जरूरत के मामले में बहुत विकट है। लंबे समय तक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवार के सदस्यों से दूरी सभी कैदियों विशेषकर बच्चों पर असर डालती है। अमानवीय परिस्थितियों से अक्सर मौतें होती हैं और कैदी के समाज में फिर से घुलने-मिलने के अवसर खतरे में पड़ जाते हैं।

स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त आहार की व्यवस्था उनकी भर्ती और उपस्थिति को प्रोत्साहित करती है और बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाती है। ■ *यूएन फोटो/मार्टिन पैरेट*

कुछ विकासशील देशों में 2017 में भी लड़कियां भेदभाव की शिकार थीं। उन्हें अक्सर लड़कों की तुलना में कम भोजन मिलता है और लंबे समय तक काम करने पर मजबूर किया जाता है। चाहे उनकी आयु 5 या 6 वर्ष की ही हो।

बाल अधिकार समझौते के अंतर्गत सरकारों को सुनिश्चित करना है कि लड़कियों और लड़कों दोनों को शिक्षा मिले। लड़कियों और स्कूल की पढ़ाई के बीच की बाधाओं के मुख्य कारण गरीबी, सशस्त्र संघर्ष, सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन और भूगोल की देन हैं।

किसी लड़की को शिक्षित करने से इस बात की आंशका बहुत कम हो जाती है कि उसकी किसी संतान की मृत्यु पांच वर्ष की आयु से पहले होगी। शिक्षित लड़कियों का विवाह देर से होने और संतानें कम होने की संभावना रहती है जो संतानें होंगी उनके जीवित रहने और शिक्षा पाने की संभावना अधिक होती है। शिक्षित लड़कियां घर में अधिक उत्पादक होती हैं, कार्य स्थल पर बेहतर वेतन पाती हैं और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में अधिक सक्षम होती हैं जिससे देश संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप अधिक संपन्न होते हैं।

बाल मजदूरी

दुनिया भर में लाखों बच्चे अपने परिवारों की मदद के लिए ऐसे काम करते हैं जो न तो हानिकारक हैं और जिनमें न कोई शोषण होता है। फिर भी 16.8 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में फंसे हुए हैं। उनमें से आधे

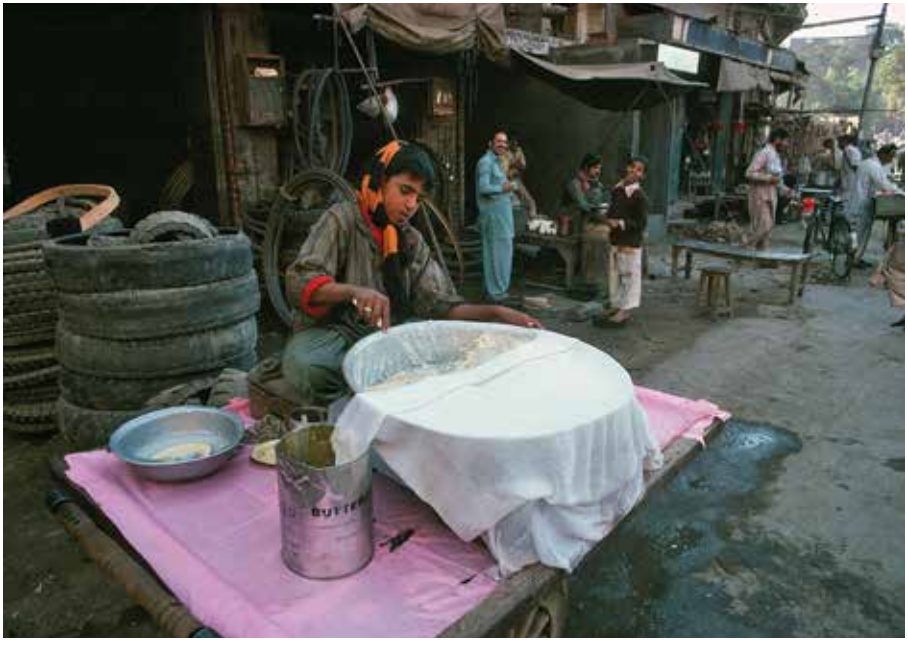

बाल मजदूरी का चलन दुनिया के सभी हिस्सों में है। ■ यून फोटो/ज्यां पियरे लाफोन्त

से अधिक हानिकारक माहौल, दासता, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों की तस्करी, सशस्त्र संघर्ष और अन्य अवैध गतिविधियों में काम करते हैं।

बाल मजदूरी गरीबी का कारण भी है और प्रभाव भी और यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। यह बच्चों, उनके परिवारों और उनके समुदायों के लिए हानिकारक है। यह देशों को विकास की तरफ आगे बढ़ने से रोकती है। बाल मजदूरी का भेदभाव से युक्त सामाजिक असमानताओं से गहरा संबंध है। मूल निवासी समूहों, अल्पसंख्यकों, निम्न जातियों और प्रवासियों के बच्चों के स्कूल में न पढ़ने की आशंका अधिक रहती है।

बाल मजदूरी से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानकों के अनुसमर्थन में बहुत प्रगति हुई है। यह मानक बाल मजदूरी के सबसे विस्तृत रूपों और न्यूनतम कामकाजी आयु से संबद्ध समझौतों में दिए गए हैं। किन्तु दुनिया के एक-तिहाई बच्चे उन देशों में रहते हैं जिन्होंने अभी तक इन समझौतों का अनुमोदन नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र,[a] बाल मजदूरी के सबसे विकृत रूपों के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध है।

बाल लिंग चयन से संघर्ष

मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूएन वुमैन और विश्व स्वास्थ्य संगठन गर्भस्थ शिशु के लिंग चयन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में लड़के पैदा करने को वरीयता दी जाती है और दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसा होता है, जहां प्रति 100 लड़कियों पर

सभी बच्चों, लड़कों और लड़कियों के अधिकार समान हैं। ■ *यूएन फोटो/इस्किन्दर देबेबे*

लड़कों का अनुपात 130 तक देखा गया है। गर्भस्थ शिशु का लिंग चयन महिलाओं के प्रति सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय का लक्षण है और उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। कुछ माता-पिता अक्सर अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया के जरिए गर्भस्थ शिशु का लिंग जानना चाहते हैं जिसके कारण गर्भपात भी कराया जा सकता है।

कुछ देशों में प्रसव से पहले शिशु के लिंग की पहचान करना और उसे उजागर करना अवैध है, जबकि कुछ अन्य देशों में लिंग चयन के लिए गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं। किन्तु इन प्रतिबंधों को चोरी-छिपे अनदेखा कर दिया जाता है जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या इतनी कम हो गई है कि दूसरे क्षेत्रों से उनकी तस्करी बहुत अधिक होने लगी है। राष्ट्रों का दायित्व है कि वे मानव अधिकारों के उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

मार्च, 2017 में यूएनएफपीए ने यूरोपीय संघ की वित्तीय मदद से ग्लोबल प्रोग्राम टू प्रिवेंट सन प्रीफ्रेंस एंड जैंडर बायेस्ड सेक्स सलेक्शन शुरू किया। यह कार्यक्रम एशिया और कॉकेशस क्षेत्र में प्रसव के समय असमान लिंग अनुपात के बारे में सरकारों और स्थानीय साझीदारों के साथ मिलकर आंकड़े जुटाता है ताकि मानव अधिकार आधारित और लैंगिक समानता पर केन्द्रित उपाय तैयार किया जा सकें।

अध्याय 6

मानवीय संकट और कार्रवाई

मानवीय संकट और कार्रवाई के बारे में संक्षिप्त तथ्य

- जब कोई घटना या एक के बाद एक घटनाएं आमतौर पर एक व्यापक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा अथवा खुशहाली के लिए गंभीर खतरा बन जाएं तो उसे मानवीय संकट या आपदा कहते हैं।
- युद्ध, हिंसा, महामारी, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य आपातस्थितियों से मानवीय संकट हो सकते हैं।
- आज करीब 90 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाएं जलवायु अथवा जल से जुड़ी घटनाओं जैसे बाढ़, कटिबंधीय तूफानों और लंबे समय तक अकाल के कारण आती हैं।
- 1995 और 2015 के बीच मौसम से जुड़ी 6,457 आपदाएं आई और पिछले एक दशक में हर वर्ष ऐसी घटनाएं दोगुनी हो गईं।
- 2015 में चल रहे सशस्त्र संघर्षों की संख्या बढ़कर 50 हो गई, जबकि 2014 में यह संख्या 41 थी।
- 2015 में चार आपदाओं में 1000 से अधिक लोग मारे गए: अप्रैल में नेपाल में गोरखा भूकम्प में (8,831 मौतें) और तीन ग्रीष्म लहरों: जून और अगस्त के बीच फ्रांस में (3,275 मौतें), भारत में मई में (2,248 मौतें) और पाकिस्तान में जून में (1,229 मौतें)।
- 2014 में संघर्ष की कुल आर्थिक और वित्तीय लागत 14.3 अरब डॉलर अथवा विश्व अर्थव्यवस्था की 13.4 प्रतिशत रही।
- पिछले दशक में चीन, अमेरिका, भारत, फिलीपीन्स और इंदोनेशिया मिलकर ऐसे पांच प्रमुख देश रहे, जहां बहुत जल्दी-जल्दी प्राकृतिक आपदाएं आईं।
- 2017 में दुनिया भर में अभूतपूर्व संख्या में 6.56 करोड़ लोगों को घर से बेघर किया गया। उनमें करीब 2.25 करोड़ शरणार्थी हैं। उनमें से आधे से अधिक की आयु 18 वर्ष से कम है।
- अनेक राष्ट्रों और उप राष्ट्रीय क्षेत्रों में अब बार-बार हिंसा, कमजोर प्रशासन और अस्थिरता के दौर चल रहे हैं।
- आजकल सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष देशों के भीतर होते हैं, देशों के बीच नहीं।

दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करने वाली आपात स्थितियां

विभिन्न प्रकार की आपदाएं

प्राकृतिक आपदाएं

प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ से अधिक लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। मौसम, जलवायु और जल से जुड़े ख़तरों जैसे बाढ़, कटिबंधीय तूफानों और लंबे समय तक सूखे से आजकल करीब 90 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वे अनगिनत जीवन बर्बाद करती हैं, बहुत से लोगों को बेघर और विस्थापित कर देती हैं। कभी-कभी वे आजीविकाओं और सामुदायिक ढांचों को नष्ट कर देती हैं जैसे सड़कें आने-जाने लायक नहीं रहती और अगली फसल के लिए आवश्यक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। खाद्य सामग्री की भीषण कमी और संक्रमणों तथा बीमारियों का प्रसार भी प्राकृतिक आपदा के बाद गंभीर संकट और आपातस्थितियां पैदा कर सकते हैं।

मानव निर्मित आपदाएं

एक और प्रकार की आपदा संघर्षों या गृह युद्धों से जुड़ी मानव की अपनी गतिविधियों की देन है। मानव निर्मित आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को उजाड़ देती हैं जिनसे खाद्य संकट और बड़े पैमाने पर जनसंख्या के विस्थापन सहित विभिन्न प्रकार की आपातस्थितियां पैदा होती हैं। मानव निर्मित आपदाओं के पीड़ितों को आमतौर पर अपने घर छोड़ने और कगार पर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। वे अपने बुनियादी अधिकारों के संरक्षण के बिना किसी तरह गुजारा करते हैं। निर्वासन के दौरान बहुत से लोगों को हिंसा, दुराचार और शोषण का सामना करना पड़ता है। उन्हें सुरक्षित जल जैसी सुविधाओं को पाने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि संघर्ष के दौरान लड़ाकू अक्सर कुंओं को दूषित कर देते हैं या उनमें बारूदी सुरंग लगा देते हैं। भुखमरी और कुपोषण, सुरक्षा और संरक्षा न होना और विशेषकर स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं की सुलभता में कमी, मानव निर्मित आपदाओं से होने वाली कठिनाइयों के कुछ उदाहरण हैं।

हैती में हरिकेन के बाद की स्थिति। ■ यूएन /एमआईएनयूएसटीएएच फोटो/लोगान अबासी

ताजा आपदा रुझान

हाल के वर्षों में आपातस्थितियों और संकटों के रुझान पहले के कुछ दशकों से भिन्न हैं जिनके कारण दुनिया की आबादी के सामने बेहद जटिल और चुनौती भरे मुद्दों के साथ नए खतरे और चिंताएं उत्पन्न हो गए हैं। इन मुद्दों में वैश्विक खाद्य संकट, जलवायु परिवर्तन और एचआईवी/एड्स अथवा इबोला जैसी महामारियां शामिल हैं।

इसके अलावा आपदाओं का परिमाण तथा आवृत्ति भिन्न हो सकते हैं और एक साथ कई आपदाएं आ सकती हैं। हाल में एक के बाद एक विनाशकारी प्राकृतिक और जलवायु संबंधी घटनाएं देखने को मिलीं जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से बहुत अधिक और लगातार मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है।

क्या आप जानते हैं?

ताजा मानवीय संकट

यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल स्ट्रैटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन (यूएनआईएसडीआर) के हाल में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 1980 से 2012 के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताई गई आपदाओं में 4.2 करोड़ जीवन वर्ष गंवाने पड़े। "मानव जीवन वर्ष" की अवधारणा से आपदा के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जाता है क्योंकि इसमें बताया जाता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति लाने में कितना समय लगता है।

इनमें से 80 प्रतिशत आपदाएं कम और मध्यम आय वाले देशों में आई थीं जिनसे सामाजिक एवं आर्थिक विकास को जबर्दस्त धक्का लगा।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका: इस क्षेत्र में 2011 से राजनीतिक उथल-पुथल की लहर चली और लीबिया, सीरिया, यमन तथा अन्य देशों में व्यापक हिंसा हुई। सीरिया में करीब 55 लाख लोगों को मजबूरन विदेशों में शरण लेनी पड़ी और यमन में युद्ध के कारण करीब 20 लाख लोग विस्थापित हुए।

2017 में दुनिया के सामने दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मानवीय संकट आया, जब यमन, दक्षिण सूडान, सोमालिया और पूर्वोत्तर नाइजीरिया में 2 करोड़ से अधिक लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा।

नेपाल का भूकम्प: अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकम्प ने उसकी नींव हिला दी। करीब 9,000 लोग मारे गए, अधिकांश बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल धराशायी हो गए जिसका जनता, अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा।

पूर्वी यूरोप में संघर्ष: यूक्रेन में 2014 में क्राइमिया के आक्रमण और दोनबास क्षेत्र में लड़ाई शुरू होने के बाद से 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और करीब 17 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं जिनमें बहुत से बच्चे हैं। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं जिससे स्थानीय जनसंख्या को व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक कष्ट हुआ है तथा पूर्व/पश्चिम में फिर तनाव पैदा हुए हैं।

जॉर्डन में जातरी शरणार्थी शिविर। ■ यूएन फोटो/मार्क गार्टन

आपदाओं का प्रभाव: प्रमुख मानवीय आवश्यकताएं एवं जोखिम प्रबंधन

आहार

आहार हमारी सबसे बुनियादी मानवीय आवश्यकता है और यह एक मानव अधिकार भी है। पेट खाली रहने पर शारीरिक और मानसिक गतिविधियां सुस्त हो जाती हैं। महत्वपूर्ण तत्वों के अभाव में भूखे शरीर को रोगों और संक्रमणों से लड़ने में कठिनाई महसूस होती है। आजकल दुनिया भर में भुखमरी और कुपोषण स्वास्थ्य के लिए पहला खतरा है जिससे लाखों लोगों की जान जा रही है।

आवास

आवास अथवा घर का मतलब शांति और आराम, संरक्षण और सुरक्षा है। घर वह जगह है जहां हम रहते, खेलते, खाते, सोते और आराम करते हैं। जो लोग अपना घर खो देते हैं और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना संकट की परिस्थितियों में जीते हैं उन्हें भारी तनाव और भावनात्मक बेचैनी महसूस हो सकती है। आवास का होना जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक मानव को रहन-सहन के उपयुक्त स्तर के अंतर्गत आवास पाने का अधिकार है।

जल, स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई

सुरक्षित जल और स्वच्छता सुविधाएं सुलभ न होने और व्यक्तिगत साफ-सफाई की खराब आदतों के कारण स्वास्थ्य संबधी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। गंदे हाथों और गंदे पानी से रोगाणु और जीवाणु आसानी से फैलते हैं। विकासशील देशों में लाखों लोग, विशेषकर बच्चे, जल और स्वच्छता से जुड़े रोगों और संक्रमणों जैसे आंत्रशोथ, हैजा, मलेरिया परजीवी और कृमि संक्रमण के शिकार रहते हैं। स्वस्थ परिस्थितयों में जीने के अधिकार की गारंटी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हिस्सा है।

शिक्षा

स्कूल में बच्चों और किशोर पढ़ाई के साथ व्यावसायिक और जीवन कौशल सीखते हैं। स्कूलों में सुरक्षित माहौल मिलता है, जहां वे अपने साथियों के साथ खेल और संपर्क कर सकते हैं जिससे उनके साथ हिंसा होने की आशंका कम हो जाती है। शिक्षा से लाभ पाने के बच्चों के अधिकार की गारंटी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों में है।

दुनिया में एक सबसे बड़ा विमान यूक्रेन का डिजाइन किया हुआ एन्तोनोव 124 न्यूनतम समय में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक हैलीकॉप्टर ले जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र राहत गतिविधियों में इसका बहुत इस्तेमाल करता है। ■ *यूएन फोटो/अरि गाइतानिस*

आपात सहायता का तालमेल

आपात राहत पहुंचाने में सफलता के लिए जरूरी है कि संकट शुरू होने पर स्थिति का सटीक आकलन किया जाए। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि किस तरह की मानवीय सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है, इस सहायता से किसे लाभ होगा, ऐसी सहायता कितने समय तक दी जानी है और इंतजाम के दौरान किस तरह की कठिनायां आनी वाली हैं।

मानवीय कार्य में कई पक्ष शामिल होते हैं- संयुक्त राष्ट्र तंत्र, सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, प्रबुद्ध समाज, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साझीदार और अन्य अनेक राहत एजेंसियां। इन सबको मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मानव समुदाय बनता है जो भूखों को भोजन, गरीबों को राहत और अपने घर तथा परिवार के सदस्य खो चुके लोगों को आवास, संरक्षण और देखभाल प्रदान करता है। इन सभी पक्षों के बीच असरदार भागीदारी और समन्वय के जरिए ही मानवीय कार्य में सफलता पाना संभव है।

अंतर-एजेंसी समन्वय

अंतर एजेंसी स्थायी समिति (आईएएससी) और त्वरित कार्रवाई दलों के सचिवालय के रूप में संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) मानवीय संकट के तत्काल आकलन और संयुक्त सहायता के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सचिवालय संकट के 48 घंटे के भीतर दुनिया में कहीं भी संयुक्त राष्ट्र आपदा आकलन एवं समन्वय (यूएनडीएसी) दल भेज सकता है।

ओसीएचए ने कार्यक्रमों के समन्वय में समिति का क्लस्टर तरीका अपनाया है। वह, संयुक्त राष्ट्र और समान गतिविधियों वाली गैर-संयुक्त राष्ट्र मानवीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है और जमीन

पर जिम्मेदारियां उनके साथ बांट लेता है। यह क्लस्टर तरीका एजेंसियों को अपनी मानवीय भूमिकाओं में खामियों और दोहराव से बचने में असरदार ढंग से मदद करता है और वे अपनी पूरी क्षमता से राहत गतिविधियां चला पाती हैं।

आपदाओं का सामना करते समय क्लस्टरों में विविध क्षेत्र- खेती, शिविर समन्वय एवं प्रबंधन, जल्दी उबारना, आपात आवास, व्यवस्थाएं, पोषण, जल स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई, दूरसंचार सेवाओं की बहाली आदि शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय/संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) आपात आवास क्लस्टर के लिए विश्व में अग्रणीय एजेंसी है। जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या शरणार्थी अथवा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति आते हैं तो यूएनएचसीआर अनेक मानवीय साझीदारों से उपलब्ध सारी सहायता को एकत्र करता है और शरणार्थियों तथा आतंरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को आवास और अन्य बुनियादी सामग्री प्रदान करने के लिए राहत कार्य का नेतृत्व करता है।

मानवीय कार्यकर्ता कौन हैं?

डॉक्टर और सर्जन, नर्सें, मनोचिकित्सक, शिक्षक, फोटोग्राफर, पत्रकार, टीवी और रेडियो तकनीशियन, कार और लॉरी ड्राइवर, विमान और हैलीकॉप्टर पायलट, अर्थशास्त्री, लेखा-परीक्षक, न्यायविद, प्रेस अधिकारी, अनुवादक और दुभाषिए, सब मानवीय कार्यकर्ता हैं। वे खेती, संचार, मानव अधिकारों, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन प्रबंधन, लेखा रखने, वित्त, व्यवस्थाओं, आपदा रोकथाम, लोकतांत्रिक प्रशासन, आतंकवाद और इंजीनियरिंग जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। वे पोषण, लैंगिक मुद्दों, मल्टीमीडिया, शिक्षा, सूचना टैक्नॉलॉजी, स्वच्छता सेवाओं, प्रशिक्षण, आजीविकाओं के पुनर्निर्माण और सदमे से उभरने की चिकित्सा के माहिर हैं। वे प्रशासक, संयोजक, प्रोजैक्ट प्रबंधक, सलाहकार,

दक्षिण सूडान में विश्व खाद्य कार्यक्रम की आपात खाद्य राहत ■ यूएन फोटो/इसाक बिली

कर्मचारी, परामर्शदाता और स्थानीय समुदायों के सदस्य हैं। ये सबके सब दुनिया भर से बेहद निष्ठावान पुरुष और महिलाएं हैं।

इन अनेक भिन्नताओं के बावजूद इनमें बहुत समानता है। मानवीय कार्यकर्ता जरूरतमंतों की सहायता के लिए खुद को समर्पित करते हैं। भले ही सहायता पाने वाले की नस्ल धर्म या सामाजिक हैसियत कुछ भी हो। वे अक्सर दूर-दराज के कठिन और संघर्षों से भरे क्षेत्रों में काम करते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इनमें से बहुतों ने इतने वर्षों में अपने साथियों या प्रियजनों को खोया है। मानवीय राहत कार्य और खतरनाक होते जा रहे हैं। कर्मचारियों, उपकरणों और सुविधाओं सहित सहायता संगठनों के लिए खतरों का स्तर और जानबूझकर किए जा रहे हमलों की संख्या हाल के वर्षों में नाटकीय ढंग से बढ़ी है।

फील्ड में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां: जमीन पर कौन हैं?

तत्काल आपात कार्रवाई: अधिक लोगों की जान बचाना

तत्काल आपात कार्रवाई ऐसे अधिकतर संकटों में काम आती है जहां तुरन्त राहत कार्य शुरू करना आवश्यक होता है। इनमें सूखा पड़ने या फसल बर्बाद होने जैसे धीरे-धीरे शुरू होने वाली आपदाओं से लेकर सशस्त्र संघर्ष या जनसंख्या के विस्थापन जैसी जटिल आपदाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और अन्य अनेक मानवीय सहायता संगठन संकटों के दौरान सबसे जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फील्ड में दिन-रात काम करते हैं। कुछ बेहद गंभीर आपात स्थितियों में विभिन्न मानवीय राहत संस्थाओं को मिलकर संकट की व्यापकता और विशालता के अनुसार अधिक लंबे समय तक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

- क्या करता है: भूखों और गरीबों को भोजन देता है।
- कैसे करता है: आपदा आने के 24 घंटे के भीतर जीवित बचे लोगों को भोजन देने के लिए आपात कार्रवाई शुरू करता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम परिवहन लागत कम रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्य सामग्री खरीदता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम जिस खाद्य सामग्री का वितरण करता है उसमें से आधी आपदा से प्रभावित देश अथवा आस-पास के क्षेत्रों से जुटाई जाती है।

शरणार्थी शिविरों, चिकित्सकीय आहार केन्द्रों और अन्य आपात आवासों में भूखे लोगों को भोजन दिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

- क्या करता है: महामारी का रूप लेने की आशंका वाले उभरते रोगों को फैलने से रोकता है।
- कैसे करता है: संकट के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों में आपात टीके और सामग्री वितरित करता है।

जनवरी 2015 और जून, 2016 के बीच 816 सहायता कार्यकर्ताओं के मारे जाने, अपहरण, घायल होने या उन पर हमला होने की सूचना मिली।

2015 में खुले सूत्रों ने बताया कि 234 गंभीर घटनाओं में 515 राहत सहायता कर्मियों में से 179 मारे गए, 129 का अपहरण हुआ तथा 207 घायल या हमले के शिकार हुए। 2016 के पहले 6 महीनों के दौरान खुले सूत्रों ने बताया कि 122 गंभीर घटनाओं में 301 सहायता कर्मियों में से 129 मारे गए, 75 का अपहरण हुआ और 97 चोट या हमले का शिकार हुए।

196 अफगानिस्तान
122 सीरिया
91 माली
83 दक्षिण सूडान
53 सोमालिया
56 डीआरसी
44 यमन
37 सीएआर
30 सूडान
23 पाकिस्तान
12 बुर्किना फासो
7 तुर्की
6 यूक्रेन
6 नाइजीरिया
5 केन्या
5 बांग्लादेश
4 लीबिया
4 बुरुंडी
3 म्यांमार
3 ग्वाटेमाला
3 कैमरून
2 इथियोपिया
2 दक्षिण अफ्रीका
2 होंडूरास
2 हैती
2 गिनी
1 जाम्बिया
1 युगांडा
1 तंजानिया
1 सिएरा लियोन
1 फिलीपीन्स
1 ओपीटी
1 मलेशिया
1 लाइबेरिया
1 अंगोला

खतरे में सहायत

यह आंकड़े इनसिक्यूरिटी इनसाइट के ऐड इन डेंजर प्रोजैक्ट के लिए सिक्यूरिटी इन नंबर्स डाटाबेस का इस्तेमाल करके तैयार किए गए हैं। बताई गई घटनाएं जनवरी 2015- जून 2016 के बीच खुले स्रोतों से 16 अगस्त 2016 तक मिली जानकारी पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन निरन्तर चलता रहता है इसलिए नई जानकारी मिलने पर यह संख्याएं बदल सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें http://reliefweb.int/report/world/aid-danger-aid-workers-reported-killed-kidnapped-injured-or-assaulted-between-january

स्रोतः http://reliefweb.int/report/world/aid-danger-aid-workers-reported-killed-kidnapped-*injured--or-assaulted-between-januarya*

विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रभावित समुदायों में एचआईवी/एड्स, तपेदिक, मलेरिया, खसरा और इन्फ्लुएंजा सहित संचारी रोगों का उपचार करता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेएफ)

- क्या करता है: बाल जीवन रक्षा और संरक्षण, विकास और शिक्षा।
- कैसे करता है: युनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग आपदा आने के 48 घंटे के भीतर आवश्यक आपात सामग्री और पहले से तैयार किट रवाना कर सकता है।

युनिसेफ बच्चों और उनके परिवारों के लिए आपात टीकाकरण, विटामिन ए की पूरक खुराक और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। वह एचआईवी/एड्स के लिए बुनियादी देखभाल सेवाएं, औरसामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को बलात्कार के बाद परामर्श और मनोसामाजिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रशिक्षण भी देता है।

जल, स्वच्छता और साफ-सफाई संकटों के दौरान वह जल वितरण स्थलों को वापस चालू करता है, हाथ धोने की सुविधाएं और शौचालय बनवाता है।

वह चिकित्सकीय आहार केन्द्र चलाता है और बच्चों के लिए कक्षाओं का पुनर्निर्माण कराने में स्कूलों को सहायता देता है।

संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी आवास सुविधा में राशन में मिले भोजन के साथ एक शरणार्थी लड़की। ■ यूएन फोटो/जॉन/जॉन आइजैक

क्या आप जानते हैं?

2017 में फील्ड कार्रवाई के उदाहरण

- विश्व खाद्य कार्यक्रम ने म्यांमार संकट के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की।
  विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा से बचकर बांग्लादेश पहुंच रहे लोगों को खाद्य सामग्री बांटी। अकेले 2017 की गर्मियों में करीब 1,46,000 लोग सीमा पार करके बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में पहुंचे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हार्न ऑफ अफ्रीका में टीकाकरण अभियान चलाया।
  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमालिया में अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए तत्काल धन इकट्ठा किया और नवम्बर 2017 में 42,00,000 बच्चों खसरा का टीका लगाने का अभियान चलाया।
- युनिसेफ दुनिया भर में बच्चों की मदद कर रहा है।
  2017 में अकेले सीरिया में युनिसेफ ने 25,00,000 लोगों को बारूदी सुरंगों के जोखिम की जानकारी देने का बीड़ा उठाया। युनिसेफ ने निरन्तर जारी और व्यवस्थित बाल संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल 3,20,000 बच्चों और वयस्कों को सहायता प्रदान की।
- भूमध्य सागर क्षेत्र में हाल में यूएनएचसीआर की राहत कार्रवाई।
  2017 के दौरान यूएनएचसीआर ने सीरियाई लोगों के देश छोड़कर यूरोप भागने से उत्पन्न आपातस्थिति में कार्रवाई के लिए 20 भिन्न-भिन्न स्थानों से 600 से अधिक कर्मचारी और संसाधन जुटाए ताकि उन लोगों को जीवन रक्षक सहायता और संरक्षण प्रदान किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय/संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर)

- क्या करता है: जबरन विस्थापित लोगों को सहायता और संरक्षण देता है।
- किनकी मदद करता है: शरणार्थियों, शरण मागने वालों, देश लौट रहे लोगों, आंतरिक विस्थापितों, राष्ट्रविहीन लोगों और ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे अन्य लोगों विशेषकर बच्चों और महिलाओं को सहायता देता है।
- कैसे काम करता है: यूएनएचसीआर संकट उत्पन्न होने पर 72 घंटे से भी कम समय में 300 कुशल कर्मियों को रवाना कर सकता है।

यूएनएचसीआर आपातस्थिति में आवास-शरणार्थी शिविर, सामूहिक केन्द्र, अस्थायी आवास-और टैंट, कम्बल तथा प्लास्टिक की चादरों सहित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। ये संगठन अस्थायी आवासों में रह रहे लोगों के लिए क्लिनिक, स्कूल और पानी के कुंए बनाने में मदद करता है और उन्हें निर्वासन के दौरान स्वास्थ्य सेवा तथा मनोसामाजिक सहारा उपलब्ध कराता है। ये संगठन सशस्त्र सेनाओं से जुड़े बच्चों के लिए परिवार से पुनर्मिलन, सेना से हटाने, निरस्त करने और समाज में वापस घुलने-मिलने के कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

ध्यान दें

संकटों के दौरान बच्चे

आपात स्थितियों के दौरान बच्चे विशेष रूप से लाचार होते हैं। हर वर्ष लगभग 1.1 करोड़ बच्चे 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पिछले दशक में सशस्त्र संघर्ष में 20 लाख से अधिक बच्चों की मौत हुई और दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक विस्थापित हुए, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र के करीब 3,00,000 किशोरों को युद्ध सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया।

बच्चे बहुत आसानी से इनके शिकार हो सकते हैं:

- निपट गरीबी।
- भुखमरी और कुपोषण, जो बच्चों की सीखने की क्षमता कमजोर करते हैं और रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर असर डालते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला के कुपोषित होने पर उसके शिशु के लिए कम जन्म भार के साथ पैदा होने का जोखिम रहता है जिससे दिव्यांगता अथवा मृत्यु व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है।
- संक्रमण या रोग: खसरा, दस्त रोग, प्रजीवी संक्रमण अथवा गंभीर श्वांस संक्रमण, मलेरिया, एचआईवी/एड्स।
- आपातस्थितियों के दौरान गंभीर चोटें अथवा मृत्यु।
- अनावश्यक विस्थापन या निर्वासन के दौरान अनाथ हो जाना।
- हिंसा: दुर्व्यवहार, शोषण, अपहरण, सशस्त्र संघर्ष में भर्ती और यौन अथवा लिंग आधारित हिंसा (एसजीबीवी) जिसमें बलात्कार, वेश्यावृत्ति, जननांग भंग, जबरन गर्भावस्था और यौन दासता शामिल हैं।

दीर्घकालिक आपात कार्रवाई:लोगों को फिर अपने पैरों पर खड़ा करना

आपदा के प्रभाव अथवा लंबे संघर्ष के कारण समय-समय पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिनके लिए एक बार आपात कार्रवाई से आगे बढ़ना आवश्यक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, अन्य मानवीय संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को उबारने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाती हैं जिनके लिए जटिल और लंबे चलने वाले प्रोजैक्ट तैयार करने पड़ते हैं ताकि संकटग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण हो सके और उन्हें संवहनीय बनाया जा सके। दीर्घकालिक आपात उपायों के दौरान ध्यान देने लायक प्रमुख गतिविधियां हैं:

- निरन्तर खाद्य सहायता और खेती के नए तरीके अपनाने के जरिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाना।
- शरणार्थियों की स्वेच्छा से वापसी, पुनर्वास अथवा एकीकरण में समन्वय।
- स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक प्रयासों में सुधार।
- सुरक्षित जल की व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार।
- बच्चों और किशोरों की शिक्षा के लिए समर्थन।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन का उद्देश्य खाद्य संकट वाले क्षेत्रों में खेती की पैदावार बढ़ाना है। खाद्य सहायता जारी रखते हुए ये संगठन ग्रामीण निवासियों तक पहुंचता है, विशेष रूप से, उन्हें अपनी जमीन और आजीविका फिर पाने में मदद देता है और खाद्य उत्पादन सुरक्षा के लिए खेती के बेहतर तरीके सिखाता है।

दीर्घकालिक राहत कार्रवाई में सूखे को सहने में समर्थ बीजों और उर्वरक, मछली पकड़ने के उपकरण, मवेशियों और खेती के औजारों की व्यवस्था शामिल है। खेती, मवेशी, मछली पालन और वानिकी में विशेषज्ञता होने के कारण खाद्य एवं कृषि संगठन, पुनर्वास, स्थानीय खाद्य सुरक्षा और खेती की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी भी देता है।

खाद्य एवं कृषि संगठन का विशेष खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (एसपीएफएस) मुनाफा, खाद्य और मवेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए कम लागत की तकनीक अपनाकर छोटे किसानों को सहायता देता है। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं की बेहतर नस्ल और धान, मक्का और प्याज जैसी अधिक कीमती फसलों को किसानों की आमदनी का जरिया बनाता है।

खाद्य और कृषि संगठन बांध की मरम्मत भी करता है, और कम लागत के उपकरण जैसे पैडल या मोटर वाले पम्प दिलाता है ताकि खाद्य उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ति निरन्तर हो।

ध्यान दें

विस्थापित पुरुष और लड़के

महिलाओं और लड़कियों को पूरा संरक्षण देने के प्रयास में मानवीय सहायता के बारे में चर्चाओं में कभी-कभी वयस्क पुरुषों और लड़कों की स्थिति की अनदेखी हो जाती हैं। उनकी अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं। वे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपना जीवन, जीवन की रक्षा तथा स्वतंत्रता के लिए डरते हैं। जब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की बजाय सशस्त्र संघर्ष जैसी मानव निर्मित आपदा के कारण शरणार्थियों की भगदड़ मचती है तो अक्सर अधिक सीधा असर पुरुषों और लड़कों पर पड़ता है। उनके सामने सेना और मिलिशिया समूह में जबरन भर्ती किए जाने का खतरा मंडराता है।

युनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम मिलकर दक्षिण सूडान के लिए पोषण कार्रवाई योजना चला रहे हैं। ■ यूएन फोटो/जेसी मक्लिवेन

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रोटैक्टिड रिलीफ एंड रिकवरी एक्शन (पीआरआरओ) शिक्षा से लेकर सामुदायिक बुनियादी सुविधाओं और खाद्य सहायता तक व्यापक क्षेत्रों में राहत के बाद सामान्य स्थिति में लौटने में सहायक होते हैं।

स्कूल आहार कार्यक्रम में सुबह के नाश्ते के रूप में पौष्टिक आहार स्कूल जाने वाले बच्चों को दिया जाता है। इस कार्यक्रम से न सिर्फ भूखे बच्चों के लिए जरूरी पोषण मिलता है, बल्कि वे स्कूल में पढ़ते भी रहते हैं, जहां उन्हें सुरक्षित माहौल में आवश्यक कौशल सीखने को मिलते हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम का राशन घर ले जाओ प्रोजैक्ट खासतौर पर इसलिए बनाया गया है कि छोटी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। अपनी बेटियों को स्कूल भेजने वाले परिवारों को एक बोरी धान और एक पीपा खाना पकाने का तेल दिया जाता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में काम के बदले नकदी और काम के बदले खाद्य सामग्री कार्यक्रम भी चलाता है। जिससे गांव के लोगों को संकट झेलने की क्षमता विकसित करने के प्रयास में हिस्सा लेकर आमदनी पाने का अवसर मिले।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ)

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों और उनके परिवारों के लिए फिर से संरक्षक और स्वस्थ माहौल तैयार करना है। दीर्घकालिक राहत कार्यों की आवश्यकता वाली आपातस्थितियों में युनिसेफ उन क्षेत्रों में काम करता है जो बच्चे के स्वास्थ्य और खुशहाली पर सीधा असर डालते हैं।

युनिसेफ के स्कूल लौटो अभियान के जरिए बच्चे शांति स्थापना प्रयासों और सेना से हटाए जाने के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और सामुदायिक सुलह सफाई को समर्थन देने का तरीका सीखते हैं। युनिसेफ अनाथ अथवा विस्थापित बच्चों का पता लगाने और उन्हें परिवार से फिर मिलाने के कार्यक्रम भी चलाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ बचाव एवं शिक्षा की गतिविधियां भी चलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दीर्घकालिक कार्रवाई गतिविधियों में बेहतर स्थानीय जल निकासी और मकान की छत पर जल ग्रहण प्रणालियों के साथ आवास पुनर्निर्माण, समुचित सफाई सुविधाओं के साथ बाजारों का पुनर्निर्माण और गांवों में कुओं और बोरवैल की मरम्मत करना और उन्हें गहरा करना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय/संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर)

बड़े शरणार्थी संकटों के दौरान अथवा उनके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय शरणार्थियों और अन्य जबरन विस्थापित व्यक्तियों को शांति और गरिमा के माहौल में अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद देता है।

किसी भी शरणार्थी का स्वेच्छा से अपने देश अथवा मूल क्षेत्र वापस जाना सबसे सफल परिणाम माना जाता है। शरणार्थियों की घर वापसी के बाद यूएनएचसीआर 'जाओ और देखो' मुलाकातें आयोजित करता है और सामुदायिक सुलह-सफाई गतिविधियों में शामिल होकर और कानूनी सहायता देकर निरापदता की सूचना प्रदान करता है।

जो शरणार्थी घर नहीं लौट सकते वे अक्सर अपने मेजबान समाजों में घुल मिल जाते हैं या किसी तीसरे देश में जाकर बस जाते हैं। ऐसे मामलों में यूएनएचसीआर सांस्कृतिक परिचय, भाषायी और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे एकीकरण कार्यक्रमों को समर्थन देता है और कानूनी सलाह के साथ-साथ मनोदशा सुधारने के लिए भी समर्थन देता है ताकि लोग समाज में अच्छी तरह घुल-मिल जाएं।

आपात तैयारी और रोकथाम

रोकथाम से बेहतर कुछ नहीं होता। हालांकि कुछ प्राकृतिक अथवा मानवनिर्मित अपादाओं का पहले से अनुमान लगा पाना कठिन होता है फिर भी बार-बार आने वाली आपदाओं के जोखिम कम करना और पहले से उन क्षेत्रों में तैयारी करना संभव है जहां ऐसी विकट घटनाएं होने की आशंका रहती है। सही तैयारी के साथ कहीं अधिक लोगों की जान, बहुत कम मेहनत से बचाई जा सकती है। अल्पावधि और दीर्घावधि प्रयासों की आवश्यकता पड़ने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां सरकारों और अन्य मानवीय संगठनों के साथ मिलकर भावी संकटों का सामना करने की शक्ति पैदा करने और तैयारी के लिए काम करती हैं।

रहन-सहन की परिस्थितियां सुधारना

ऐसा ही एक प्रयास गरीबी और भूख का कुचक्र तोड़ना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन खेती के लिए मौसम की परिस्थितियों और फसल की संभावनाओं सहित दुनिया की खाद्य सुरक्षा समस्याओं के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक सूचना और जल्द चेतावनी प्रणाली पहले से खाद्य संकटों की चेतावनी दे देती है और उसकी आपाद रोकथाम प्रणाली समूची खाद्य श्रृंखला को पशु और वनस्पति रोगों के फैलने से बचाने में मदद करती है। स्थानीय समुदायों में खाद्य सुरक्षा और खेती को बढ़ावा देने के प्रयास में खाद्य एवं कृषि संगठन सड़कों, गोदामों और सिंचाई सहित खेती के लिए बुनियादी ढांचों के निर्माण में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी भविष्य में संकटों की रोकथाम में मदद के लिए सामुदायिक बुनियादी ढांचों के निर्माण में हिस्सा लेता है। उदाहरण के लिए खासतौर पर बाढ़ की अक्सर आशंका वाले क्षेत्रों में उसका जोखिम कम करने के लिए जल ग्रहण सुविधाओं का फिर निर्माण कराता है।

आपदाओं का प्रभाव कम करना

आपदाओं में कमी के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति जोखिम कम करने की गतिविधियों में तालमेल रखती है और प्राकृतिक आपदाओं का प्रवाह कम करने के महत्वपूर्ण तरीकों के सुझाव देती है। उसकी प्राथमिकाताएं मुख्य रूप से विकासशील देशों की तरफ निर्देशित हैं, जहां 85 प्रतिशत आबादी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती है। आपदाओं में कमी के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति दुनिया भर में आपदा जोखिम कम करने के बारे में अनेक आयोजन करती है और उनमें हिस्सा लेती है। यह स्थानीय समुदायों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी उद्यमों, सरकारों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनका सामना करने की तैयारी को प्रोत्साहित करने और जोखिम की आशंका वाले क्षेत्रों में सामना करने की शक्ति बढ़ाने के लिए काम करती है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) के विभिन्न रोकथाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें एक अभियान एचआईवी/एड्स से संबंधित है जो मां से बच्चे को संक्रमण रोकने और किशोरों एवं युवाओं में एचआईवी संक्रमण रोकने पर केन्द्रित है। युनिसेफ निवारक उपचार, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसव के समय देखभाल और शिशुओं में एचआईवी देखभाल, पीड़ितों के लिए परामर्श और मनोसमर्थन के साथ-साथ एचआईवी की रोकथाम के बारे में सूचना तथा अधिक जोखिम वाले समुदायों में युवाओं के लिए जांच की सुविधा देता है।

ध्यान दें

संकट के शिकार: जबरन विस्थापित व्यक्ति

- **शरणार्थी:** शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपना घर या देश छोड़कर इसलिए भागा है कि उसके पास "अपनी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी खास सामाजिक समूह की सदस्यता अथवा राजनीतिक मत के कारण सताए जाने के भय का ठोस आधार है।" यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी समझौते में दी गई है। अनेक शरणार्थी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के असर से बचने के लिए निर्वासन में हैं।
- **शरण मांगने वाले:** शरण मांगने वाले कहते हैं कि वे शरणार्थी हैं और शरणार्थियों की तरह अपने घर छोड़कर भागे हैं। किन्तु जिस देश में भागकर पहुंचे हैं, वहां शरणार्थी के दर्जे के लिए उनके दावे का पक्का मूल्यांकन नहीं हुआ है।
- **आंतरिक विस्थापित व्यक्ति:** आंतरिक विस्थापित व्यक्ति की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्होंने अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया है, लेकिन देश के भीतर उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए हैं जिसे वे अपना घर कहते हैं।
- **राष्ट्रविहीन व्यक्ति:** राष्ट्रविहीन व्यक्तियों के पास मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयता नहीं होती और वे किसी देश के नागरिक नहीं होते। राष्ट्रीय हीनता की स्थितियां आमतौर पर कुछ समूहों के साथ भेदभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। नागरिक प्रमाण पत्र जैसे पहचान पत्रों के अभाव में उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या रोजगार सहित महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित रखा जा सकता है।
- **वापस आने वाले:** वापस आने वाले लोग वे शरणार्थी हैं जो कुछ समय निर्वासन में रहने के बाद अपने देश अथवा मूल क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर समर्थन और पुनः एककीकरण सहायता चाहिए कि वे घर में अपना जीवन फिर से बना सकते हैं।

महासचिव 2017 में हरिकेन से हुई क्षति का जायजा लेने एंटीगुआ बौर बारबूडा पहुंचे। ■ संयुक्त राष्ट्र फोटा/रिक बारयोनास

विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्वास्थ्य से जुड़ी आपातस्थितियां पैदा करने वाले अधिक जोखिम वाले कारकों को कम करने के लिए काम करता है। यह संगठन निवारक अभियानों को समर्थन देता है और समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा योजनाएं बनाने तथा सुधारने में सहायता देता है।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मानवीय कार्रवाई

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनेक तैयारी और निवारक कार्यक्रम सीधे-सीधे संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए 2030 के अंत तक भुखमरी और गरीबों को आधा करना, सबके लिए प्राइमरी शिक्षा और शिक्षा में लैंगिक बराबरी हासिल करना तथा एचवाईवी/एड्स का मुकाबला करना। इन सबका अंतिम लक्ष्य दुनिया की महामारी आपात स्थितियों और संकटों पर काबू पाना है।

ध्यान दें

हार्न ऑफ अफ्रीका: भुखमरी और कुपोषण

हॉर्न ऑफ अफ्रीका के निवासी दशकों तक जारी विनाशकारी सूखे से उत्पन्न खाद्य एवं पोषण संकट से जूझ रहे हैं।

इस क्षेत्र में कुपोषण और मृत्यु की दरें चिंताजनक स्तर तक पहुंची हैं। जिबूती, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया और युगांडा में उन लोगों की अनुमानित संख्या लाखों में हैं जिन्हें भोजन और अन्य प्रकार की बुनियादी मानवीय सेवाओं की आवश्यकता है।

संघर्षों में उलझे सोमालिया पर भीषण सूखे की सबसे बुरी मार पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन में समूचे हार्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में खेती को संकट से उबारने की गतिविधियां शुरू की हैं ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और अधिक लोगों की जान और आजीविका को बचाने में मदद मिल सके। उसके प्रयासों में बीजों का वितरण, मवेशियों का टीकाकरण और उपचार तथा काम के बदले नकदी कार्यक्रम शामिल हैं।

अतिरिक्त जानकारी

आम प्रश्न

क्या कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो सकता है?

नहीं, केवल वही स्वतंत्र देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं जिन्हें अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो।

कोई व्यक्ति कैसे संयुक्त राष्ट्र को समर्थन दे सकता है?

कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के जरिए संयुक्त राष्ट्र के कार्य को समर्थन दे सकता है । उनमें से कुछ व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र को विश्वभर के लोगों से जोड़ सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन्स

100 से अधिक देशों में संयुक्त राष्ट्र की एसोसिएशन हैं। ज्यादातर स्थानीय शाखाओं (उदाहरण यूएनए-ऑस्ट्रेलिया, यूएनए-कैनेडा, यूएनए-न्यूजीलैंड, यूएनए-दक्षिण अफ्रीका, यूएनए-यूके, आदि) के साथ-साथ राष्ट्रीय एसोसिएशन के वैश्विक संघ, संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन्स विश्व परिसंघ (डब्ल्यूफयूएनए)

अधिकांश संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन्स के युवा कार्यक्रम और शाखाएं होती हैं जो अपने दायरे में या अलग संयुक्त राष्ट्र युवा एसोसिएशन (यूएनवाईए) बनाकर काम करते हैं। स्थानीय यूएनए से सीधे संपर्क कर आप इस बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं कि युवा इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन्स के विश्व परिसंघ की वेबसाइट देख सकते हैंः www.wfuna.org.

संयुक्त राष्ट्र एजेसियों के राष्ट्रीय कार्यालय

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) की कई देशों में राष्ट्रीय समितियां हैं जो युनिसेफ के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाती हैं और उन्हें वास्तविक रूप देने के लिए धन जुटाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के 90 देशों में करीब 3,600 क्लब, केंद्र, और एसोसिएशन्स (सभी यूनेस्को से मान्यता प्राप्त) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियां चलाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र (यूएनआईसीएस)

संयुक्त राष्ट्र के सूचना केंद्र (यूएनआईसीएस) और अन्य प्रमुख संपर्क सुविधा केंद्र विश्व भर में हैं।

यूएनआईसी की सूची आप ऑनलाइन देख सकते हैंः http://unic.un.org

संयुक्त राष्ट्र वॉलन्टियर (यूएनवी)

अगर आपके पास कृषि, दवा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर प्रशिक्षण, मानव अधिकार या उद्योग सवंर्धन जैसे क्षेत्रों में कौशल -के साथ -साथ लचीलापन और प्रतिबद्धता है- संयुक्त राष्ट्र वॉलन्टियर (यूएनवी)

कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कार्यक्रम के तहत वॉलन्टिर को एक से दो साल की अवधि के लिए विकासशील देशों में संयुक्त राष्ट्र के किसी उपयुक्त विकास कार्यक्रम में काम करने भेजा जाता है।

कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए देखें: www.unv.org

अभियान और सोशल मीडिया

आप विश्वभर में संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र परिवार के अन्य संगठनों के प्रचारित विशेष अभियानों में शामिल हो सकते हैं। इन अभियानों के उद्देश्य भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, संघर्ष के दौरान बलात्कार रोकना, महिलाओं के प्रति हिंसा रोकना, बाल मजदूरी उन्मूलन आदि हैं।

आप फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर संवाद में भी हिस्सा ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिवार की सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उदाहरण
www.facebook.com/unpublications.

संयुक्त राष्ट्र के बारे युवा कैसे जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं

संयुक्त राष्ट्र युवाओं को उच्च प्राथमिकता देता हैं क्योंकि वे समर्थकों की नई पीढ़ी के प्रतीक हैं। अनेक देशों में प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक सभी शैक्षिक स्तरों पर विभिन्न तरीके से सैंकड़ों मॉडल यूनाइटेड नेशन्स सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। विधि, सरकार, कारोबार और कला क्षेत्र से जुड़े विश्व के कई प्रमुख नेताओं ने अपने बचपन में मॉडल यूनाइटेड नेशन्स कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था।

ग्लोबल मॉडल यूनाइटेड नेशन्स (जीएमयूएन) सम्मेलन में विश्व के हर क्षेत्र से विद्यार्थी विदेशी राजनयिक का किरदार निभाते हैं और साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के विभिन्न अंगों के सत्रों में भाग लेते हैं। मॉडल यूनाइटेड नेशन्स सम्मेलनों की तैयारी में विद्यार्थी नेतृत्व क्षमता, अनुसंधान करना, लेखन, जन संवाद और समस्या हल करने का कौशल सीखते हैं जो पूरी जिंदगी उनके काम आती है। इसके अतिरिक्त इन गतिविधियों में हिस्सा लेने से विद्यार्थी, आम सहमति बनाने, संघर्ष का हल निकालने और सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं।

ग्लोबल मॉडल यूनाइटेड नेशन्स में दो अनूठी बाते हैं:

- यह प्रक्रिया के ऐसे नियम अपनाता है जिनसे करीब से पता लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में कैसे काम होता है।
- यह सम्मेलन से पहले और उसके दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और राजनयिकों से आसानी से मिलने का अवसर देता है।

सदस्य देशों के प्रत्येक शिष्टमंडल में विभिन्न देशों के विद्यार्थी शामिल होते हैं।

क्या संयुक्त राष्ट्र मुझे वित्तीय सहायता दे सकता है?

संयुक्त राष्ट्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता नहीं देता है और उसका कोई सामान्य छात्रवृत्ति या विद्यार्थी सपंर्क कार्यक्रम नहीं है।

क्या संयुक्त राष्ट्र विद्यार्थियों को इंटर्न रखता है?

संयुक्त राष्ट्र स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय और संगठन के अन्य प्रमुख स्थानों पर इंटर्नशिप का अवसर देता है। इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखें. www.un.org/depts/ OHRM/sds/internsh/index.htm or http://social.un.org/index/Youth/ UNOpportunities/ Internships.aspx.

संयुक्त राष्ट्र में काम करना

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को ऐसे सक्षम और निष्ठावान व्यक्तियों की तलाश रहती है जिनकी संगठन के उद्देश्यों और कार्य क्षेत्रों में गहरी आस्था हो और जो दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर लाभदायक अंतर्राष्ट्रीय करियर में खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हों। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक हितों के समर्थन में जीवन पर बहुसांस्कृतिक माहौल में विभिन्न प्रकार की नौकरियों में सेवा करने का अवसर देता है।

यदि आप संयुक्त राष्ट्र में सेवा करने की तलाश कर रहे हैं तो जॉब ओपनिंग यानी नौकरियों की रिक्तियां देखें और आवेदन करें। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में सभी रिक्तियां संयुक्त राष्ट्र के करियर पोर्टल बंतममतेण्न-दण्वतह पर प्रकाशित होती हैं (फ्रेंच में भी उपलब्ध)। वहां आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, उपलब्ध रिक्तियों को देख सकते हैं और अपना आवेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं।

सामान्य सेवा और संबद्ध श्रेणियों जैसे ट्रेड और क्राफ्ट्स और सुरक्षा, सचिवालय और अन्य सहायक पदों पर नियुक्तियां स्थानीय रूप से की जाती हैं।

प्रतियोगी परीक्षाएं

संयुक्त राष्ट्र जूनियर प्रोफेशनल्स के लिए यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम चलाता है। इस भर्ती पहल के तहत वार्षिक प्रवेश परीक्षाओं के जरिए युवा प्रतिभाएं संगठन में आती हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेष भाषायी कौशल से जुड़े पदों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित करता है। दोनों प्रकार की वार्षिक प्रतियोगिताओं के लिए सूचना ऑनलाइन बंतममतेण्नदण्वतह पर उपलब्ध है।

एसोसिएट एक्सपर्ट्स प्रोग्राम

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालयों अथवा उसके शिक्षा संस्थानों के स्नातक कर चुके युवा प्रोफेशनल्स को विकास संबंधी अथवा क्षेत्रीय प्रोजैक्ट में काम करने और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के तकनीकी सहयोग से अन्य क्षेत्रों में पेशेवर अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी यहां देखें: http://esa.un.org/techcoop/associateexperts/index.html.

संयुक्त राष्ट्र तंत्र में नौकरी के अवसर

अगर आप संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों, कोषों या कार्यक्रमों में काम करने के इच्छुक हैं तो सीधे उनकी वेबसाइट देखें। अधिकतर वेबसाइट इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन पर उपलब्ध लिंक के जरिए देखी जा सकती हैं: http://icsc.un.org/secretariat/includes/joblinks.asp.

आवेदकों के लिए चेतावनी

नौकरियों के लिए ऐसे विज्ञापन और ऑफर निकलते हैं जिनमें झूठ कहा जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र के हैं। कृपया ध्यान रखें की संयुक्त राष्ट्र आवेदन और समीक्षा प्रक्रिया के किसी भी चरण में भुगतान का कोई अनुरोध नहीं करता।

विभिन्न सामयिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के रुख की जानकारी मुझे कहां मिल सकती है?

इस तरह की जानकारी संबद्ध देश में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन से मिल सकती है। सदस्यों देशों की वेबसाइट और संपर्क की सूची यहां देखी जा सकती है: www.un.org/en/members.

संयुक्त राष्ट्र आयोजन

संयुक्त राष्ट्र के आयोजन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों को हासिल करने और महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय या मानव अधिकार मुद्दों के बारे में जागरूकता और कार्रवाई में योगदान करते हैं। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करते हैं और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में दिलचस्पी जगाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.un.org/en/events/observances/index.shtml.

अंतर्राष्ट्रीय दशक

2016-2025	संयुक्त राष्ट्र पोषण पर कारवाई दशक
2015-2024	अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक
2014-2024	संयुक्त राष्ट्र सभी के लिए धारणीय ऊर्जा दशक
2011-2020	उपनिवेशवाद के उपशमन हेतु तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक
	संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता दशक
	सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक
2010-2020	संयुक्त राष्ट्र मरुभूमि और मरुभूमिकरण रोकने का दशक
2008-2017	गरीबी उन्मूलन के लिए द्वितीय संयुक्त राष्ट्र दशक
2006-2016	प्रभावित क्षेत्रों को संकट से उबारने और उनके संवहनीय विकास का दशक (चेरनोबिल त्रासदी के पश्चात तीसरा दशक)

अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

2017	अंतर्राष्ट्रीय सतत् पर्यटन विकास वर्ष
2016	अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष
2015	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाश आधरित तकनीक वर्ष
	अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष (एफएओ)
2014	फलस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता वर्ष

वार्षिक सप्ताह

फरवरी का पहला सप्ताह	विश्व अंतर सम्प्रदाय सप्ताह
21-27 मार्च	नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव से संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह
19-23 अप्रैल	वैश्विक मृदा सप्ताह
24-30 अप्रैल	विश्व टीकाकरण सप्ताह (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
25-31 मई	गैर-स्वशासी क्षेत्र निवासियों के प्रति एकजुटता सप्ताह
1-7 अगस्त	विश्व स्तनपान सप्ताह (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
4-10 अक्तूबर	विश्व अंतरिक्ष सप्ताह
24-30 अक्तूबर	निरस्त्रीकरण सप्ताह
11 नवम्बर का सप्ताह	अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह

वार्षिक दिवस

27 जनवरी	अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट पीड़ित स्मृति दिवस
4 फरवरी	विश्व कैंसर दिवस
6 फरवरी	अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग भंग शून्य सहनशीलता दिवस
11 फरवरी	विज्ञान में महिलाओं एवं कन्याओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
13 फरवरी	विश्व रेडियो दिवस
20 फरवरी	विश्व सामाजिक न्याय दिवस
21 फरवरी	अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस (यूनेस्को)
1 मार्च	शून्य भेदभाव दिवस (यूएनएड्स)
3 मार्च	विश्व वन्य जीव दिवस
8 मार्च	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
20 मार्च	अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस
	फ्रेंच भाषा दिवस
21 मार्च	अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस
	विश्व कविता दिवस
	अंतर्राष्ट्रीय नवरोज़ दिवस
	विश्व डाउन सिन्ड्रोम दिवस
	अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस
22 मार्च	विश्व जल दिवस
23 मार्च	विश्व मौसम विज्ञान दिवस(डब्ल्यूएमओ)
24 मार्च	अंतर्राष्ट्रीय भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों से सम्बद्ध सत्य का अधिकार एवं पीड़ित गरिमा दिवस
	विश्व तपेदिक दिवस (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
25 मार्च	अंतर्राष्ट्रीय दासता पीड़ित स्मृति एवं ट्राँसअटलांटिक दास व्यापार दिवस
	हिरासत में या लापता स्टाफ सदस्यों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस
2 अप्रैल	विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस
4 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय बारुदी सुरंग जागरूकता एवं बारुदी सुरंग कार्रवाई सहायता दिवस
6 अप्रैल	विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
	अंतर्राष्ट्रीय रवांडा जनसंहार मनन दिवस
12 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस
20 अप्रैल	चीनी भाषा दिवस
22 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस
23 अप्रैल	विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस (यूनेस्को)
	अंग्रेज़ी भाषा दिवस
	स्पेनी भाषा दिवस

25 अप्रैल	विश्व मलेरिया दिवस (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
26 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस
26 अप्रैल	विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस (विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन)
28 अप्रैल	विश्व कार्यस्थल निरापदता एवं स्वास्थ्य दिवस (आईएलओ)
29 अप्रैल	सभी रासायनिक युद्ध पीड़ित स्मृति दिवस
30 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस (यूनेस्को)
3 मई	विश्व ट्यूना दिवस
	विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
8-9 मई	द्वितीय विश्व युद्ध के मृतकों की स्मृति एवं सुलह सफाई का अवसर
10 मई	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (यूएनईपी)
	वेसाक, पूर्णिमा दिवस
15 मई	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
17 मई	विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस (आईटीयू)
21 मई	विश्व संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता दिवस
22 मई	अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस
23 मई	अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति भगंदर उन्मूलन दिवस
29 मई	अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक दिवस
31 मई	विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
1 जून	वैश्विक अभिभावक दिवस
4 जून	अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण पीड़ित निर्दोष बाल दिवस
5 जून	विश्व पर्यावरण दिवस (यूएनईपी)
6 जून	रूसी भाषा दिवस
8 जून	विश्व महासागर दिवस
12 जून	विश्व बाल मज़दूरी निरोध दिवस
13 जून	अंतर्राष्ट्रीय अलबिनिज़्म जागरूकता दिवस
14 जून	विश्व रक्तदाता दिवस (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
15 जून	विश्व वृद्धजन उत्पीड़न जागरूकता दिवस
16 जून	अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस
17 जून	विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निरोध दिवस
19 जून	अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस
20 जून	विश्व शरणार्थी दिवस
21 जून	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
23 जून	अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस
	संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस
25 जून	सागर सैलानी दिवस (आईएमओ)
26 जून	अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन एवं तस्करी निरोधक दिवस

26 जून	अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यातना पीड़ित समर्थन दिवस
30 जून	अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस
(जुलाई का पहला शनिवार)	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस
15 जुलाई	विश्व युवा कौशल दिवस
18 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस
28 जुलाई	विश्व हैपेटाइटिस दिवस
30 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस
30 जुलाई	विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस
9 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय विश्व मूल निवासी दिवस
12 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस
19 अगस्त	विश्व मानवीयता दिवस
23 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार एवं उन्मूलन स्मृति दिवस (यूनेस्को)
29 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निरोधक दिवस
30 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय बलात् विलोपन पीड़ित दिवस
5 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय दीनवत्सलता दिवस
8 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (यूनेस्को)
12 सितम्बर	संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस
15 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस
16 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन परत संरक्षण दिवस
21 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस
26 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण परमाणु अस्त्र उनमूलन दिवस
27 सितम्बर	विश्व पर्यटन दिवस (यूएनडब्ल्यूटीओ)
28 सितम्बर	विश्व रैबीज़ दिवस
सितम्बर का अंतिम बृहस्पतिवार	विश्व समुद्रीय दिवस (आईएमओ)
1 अक्तूबर	अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
2 अक्तूबर	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस
5 अक्तूबर	विश्व शिक्षक दिवस (यूनेस्को)
9 अक्तूबर	विश्व डाक दिवस (यूपीयू)
10 अक्तूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
11 अक्तूबर	अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
13 अक्तूबर	अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनता दिवस
15 अक्तूबर	अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस
16 अक्तूबर	विश्व खाद्य दिवस (एफएओ)
17 अक्तूबर	अंतर्राष्ट्रीय गरीबी निवारण दिवस

20 अक्तूबर **(2010 से हर पाँच वर्ष में)**	विश्व साँख्यिकी दिवस
24 अक्तूबर	संयुक्त राष्ट्र दिवस
	विश्व विकास सूचना दिवस
27 अक्तूबर	विश्व श्रव्य-दृश्य धरोहर दिवस (यूनेस्को)
31 अक्तूबर	विश्व नगर दिवस
2 नवम्बर	पत्रकारों के प्रति अपराधों के लिए दंडमुक्ति समाप्त कराने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
5 नवम्बर	विश्व त्सुनामी जागरूकता दिवस
6 नवम्बर	युद्ध एवं सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण विनाश रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
10 नवम्बर	शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस
14 नवम्बर	विश्व मधुमेह दिवस (विश्व स्वास्थ्य संगठन)
16 नवम्बर	अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस
नवम्बर कां तीसरा बृहस्पतिवार	(यूनेस्को) विश्व दर्शन दिवस
नवम्बर का तीसरा रविवार	विश्व सड़क यातायात पीड़ित स्मृति दिवस (डब्ल्यूएचओ)
19 नवम्बर	विश्व शौचालय दिवस
20 नवम्बर	अफ्रीका औद्योगीकरण दिवस
	विश्व बाल दिवस
21 नवम्बर	विश्व टेलीविज़न दिवस
25 नवम्बर	महिलाओं के प्रति हिंसा निवारण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
29 नवम्बर	फलस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
1 दिसम्बर	विश्व एड्स दिवस
2 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस
3 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
5 दिसम्बर	विश्व मृदा दिवस
5 दिसम्बर	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस
7 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस (आईसीएओ)
9 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस
9 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय जनसंहार पीड़ित स्मृति एवं गरिमा और अपराध रोकथाम दिवस
10 दिसम्बर	मानव अधिकार दिवस
11 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस
18 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
18 दिसम्बर	अरबी भाषा दिवस
20 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस

संयुक्त राष्ट्र तंत्र

यूएन के मुख्य अंग

महासभा

अनुषांगिक अंग

- मुख्य समितियां
- निरस्त्रीकरण आयोग
- मानव अधिकार परिषद
- अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग
- संयुक्त निरीक्षण इकाई (जेआईयू)
- स्थायी समितियां और तदर्थ निकाय

कोष एवं कार्यक्रम[1]

यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
- **यूएनसीडीएफ** संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष
- **यूएनवी** संयुक्त राष्ट्र वालंटियर

यूएनईपी[5] संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

यूएनएफसीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष

यूएन-हैबीटॉट[5] संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम

युनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

डब्ल्यूएफपी विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएन/एफएओ)

सुरक्षा परिषद

अनुषांगिक अंग

- आतंकवाद-रोधी समिति
- पूर्व युगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल (आईसीटीवाई)
- इंटरनेशनल रैजिडुअल मैकेनिज्म फॉर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल (दंड ट्राइब्यूनलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट तंत्र)
- सैन्य स्टाफ समिति

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

कार्यशील आयोग

- अपराध रोकथाम एवं दंड न्याय
- मादक पदार्थ
- जनसंख्या एवं विकास
- विकास के लिए विज्ञान और टैक्नॉलॉजी
- सामाजिक विकास
- सांख्यिकी
- महिलाओं की स्थिति
- संयुक्त राष्ट्र वन फोरम

क्षेत्रीय आयोग[8]

ईसीए अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग

ईसीई यूरोप के लिए आर्थिक आयोग

ईसीएलएसी लैटिन अमेरिका व कैरेबियन के लिए आर्थिक आयोग

ईएससीएपी एशिया-प्रशान्त के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग

ईएससीडब्ल्यूए पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग

सचिवालय

विभाग एवं कार्यालय[9]

ईओएसजी महासचिव का अधिशासी कार्यालय

डीईएसए आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग

डीएफएस फील्ड सपोर्ट विभाग

डीजीएसीएम महासभा एवं सम्मेलन प्रबंधन विभाग

डीएम प्रबंधन विभाग

डीपीए राजनीतिक कार्य विभाग

डीजीसी वैश्विक संचार विभाग

डीपीकेओ शांतिरक्षण गतिविधि विभाग

डीएसएस सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग

ओसीएचए मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय

ओडीए निरस्त्रीकरण कार्य कार्यालय

ओएचसीएचआर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय

ओआईओएस आंतरिक निगरानी सेवाएं कार्यालय

ओएलए विधिक कार्य कार्यालय

ओएसएए अफ्रीका के लिए विशेष सलाहकार कार्यालय

पीबीएसओ शांति स्थापना समर्थन कार्यालय

एसआरएसजी/सीएएसी बाल एवं सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय

एसआरएसजी/एसवीसी संघर्ष में यौन हिंसा के बारे में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय

एसआरएसजी/वीएसी बच्चों के साथ हिंसा संबंधी महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय

यूएनआईएसडीआर आपदा जोखिम कमी के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

यूएनओडीसी[5] मादक पदार्थ एवं अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

ट्रस्टीशिप परिषद[6]

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

यूएनआईडीआईआर संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान

यूएनआईटीएआर संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

यूएनएसएससी संयुक्त राष्ट्र तंत्र स्टाफ कॉलेज

यूएनयू संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय

अन्य निकाय

आईटीसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (यूएन/डब्ल्यूटीओ)

अंकटाड[1,8] संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन

यूएनएचसीआर[1] संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय

यूएनओपीएस[1] संयुक्त राष्ट्र प्रोजैक्ट सेवाएं कार्यालय

यूएनआरडब्ल्यूए[1] नियर ईस्ट में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी

यूएन-वुमैन[1] लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था

संबद्ध संगठन

सीटीबीटीओ तैयारी आयोग समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन तैयारी आयोग

आईएईए[1,3] अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय

आईओएम[4] अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन

आईएसए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण

आईटीएलओएस अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून ट्राइब्यूनल

ओपीसीडब्ल्यू[2] रासायनिक हथियार निषेध संगठन

डब्ल्यूटीओ[1,4] विश्व व्यापार संगठन

शांति स्थापना आयोग

एचएलपीएफ सतत् विकास के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच

- शांतिरक्षण गतिविधियां और राजनीतिक मिशन
- प्रतिबंध समितियां (तदर्थ)
- स्थायी समितियां और तदर्थ संस्थाएं

अन्य निकाय

- विकास नीति समिति
- लोक प्रशासन विशेषज्ञ समिति
- गैर-सरकारी संगठन समिति
- स्थानिक मुद्दों पर स्थायी मंच

यूएनएड्स एचआईवी एड्स के बारे में संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम

यूएनजीईजीएन संयुक्त राष्ट्र भौगोलिक नाम विशेषज्ञ समूह

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

यूएनआईसीआरआई संयुक्त राष्ट्र अंतःक्षेत्रीय अपराध एवं न्यायिक न्याय अनुसंधान संस्थान

यूएनआरआईएसडी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान

यूएनओजी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

यूएन-ओएचआरएलएलएस सबसे कम विकसित देशों, जमीन से घिरे विकासशील देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए उच्च प्रतिनिधि कार्यालय

यूएनओएन नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

यूएनओपी[2] संयुक्त राष्ट्र भागीदारी कार्यालय

यूएनओवी वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

विशेषज्ञ एजेंसियां [1,5]

एफएओ संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन

आईसीएओ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन

आईएफएडी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष

आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष

आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी संगठन

आईटीयू अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन

यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

यूएनडब्ल्यूटीओ विश्व पर्यटन संगठन

यूपीयू यूनिवर्सल डाक संघ

डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन

डब्ल्यूआईपीओ विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन

डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम विज्ञान संगठन

विश्व बैंक समूह[7]

- **आईबीआरडी** अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
- **आईडीए** अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन
- **आईएफसी** अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

टिप्पणी:

1. संयुक्त राष्ट्र तंत्र मुख्य अधिशासी समन्वय बोर्ड (सीईबी) के सदस्य।
2. संयुक्त राष्ट्र भागीदारी कार्यालय (यूएनओपी) यूनाइटेड नेशन्स फाउंडेशन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों का केन्द्र है।
3. आईएईए और ओपीसीडब्ल्यू सुरक्षा परिषद तथा महासभा को रिपोर्ट करते हैं।
4. डब्ल्यूटीओ की महासभा के प्रति कोई रिपोर्टिंग जवाबदेही नहीं है। किन्तु वित्त एवं विकास संबंधी मुद्दों के बारे में तदर्थ आधार पर महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में योगदान करता है।
5. विशेषज्ञ एजेंसियां स्वायत्त संगठन हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (अंतर-सरकारी स्तर) और सीईबी के माध्यम से काम का समन्वय करती हैं।
6. ट्रस्टीशिप परिषद ने 1 नवम्बर, 1954 को काम स्थगित कर दिया जब संयुक्त राष्ट्र का अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ 1 अक्तूबर, 1994 को स्वतंत्र हो गया।
7. अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) चार्टर के अनुच्छेद 57 और 63 के अनुसार विशेषज्ञ एजेंसियां नहीं हैं किन्तु विश्व बैंक समूह के अंग हैं।
8. इन अंगों के सचिवालय संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत हैं।
9. सचिवालय में निम्नलिखित कार्यालय भी शामिल हैं: आचार-विचार कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र लोकपाल एवं मध्यस्थता सेवाएं, न्याय प्रशासन कार्यालय, विकास एवं शांति के लिए खेल कार्यालय।

इस चार्ट में संयुक्त राष्ट्र तंत्र के कार्यशील संगठनों का विवरण है और केवल सूचना के लिए है। इसमें संयुक्त राष्ट्र तंत्र के सभी कार्यालय या संस्थाएं शामिल नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग द्वारा प्रकाशित ।

सदस्य देश

संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 1945 में 51 देशों से बढ़ कर 2018 में 193 हो गई है। सदस्यों को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के फैसले से प्रवेश दिया जाता है।

सदस्य देश	जनसंख्या (अनु)2017 के लिए	प्रवेश की तिथि
अफगानिस्तान	29,117,000	19 नवम्बर 1946
अल्बानिया	3,169,000	14 दिसम्बर 1955
अल्जीरिया	35,423,000	8 अक्तूबर 1962
एन्डोरा	87,000	28 जुलाई 1993
अंगोला	18,993,000	1 दिसम्बर 1976
एंटीगुआ व बारबुडा	89,000	11 नवम्बर 1981
अर्जेंटीना	40,666,000	24 अक्तूबर 1945
आर्मेनिया	3,090,000	2 मार्च 1992
ऑस्ट्रेलिया	21,512,000	1 नवम्बर 1945
ऑस्ट्रिया	8,387,000	14 दिसम्बर 1955
अजरबैजान	8,934,000	2 मार्च 1992
बहामास	346,000	18 सितम्बर 1973
बहरीन	807,000	21 सितम्बर 1971
बांग्लादेश	164,425,000	17 सितम्बर 1974
बारबाडोस	257,000	9 दिसम्बर 1966
बेलारूस	9,588,000	24 अक्तूबर 1945
बेल्जियम	10,698,000	27 दिसम्बर 1945
बेलीज	313,000	25 सितम्बर 1981
बेनिन	9,212,000	20 सितम्बर 1960
भूटान	708,000	21 सितम्बर 1971
प्लूरिनेशनल बोलीविया	10,031,000	14 नवम्बर 1945
बोस्निया व हर्जेगोविना	3,760,000	22 मई 1992
बोत्स्वाना	1,978,000	17 अक्तूबर 1966
ब्राजील	195,423,000	24 अक्तूबर 1945
ब्रुनेई दारुस्सलाम	407,000	21 सितम्बर 1984
बुल्गारिया	7,497,000	14 दिसम्बर 1955
बुर्कीना फासो	16,287,000	20 सितम्बर 1960
बुरुण्डी	8,519,000	18 सितम्बर 1962
कम्बोडिया	15,053,000	14 दिसम्बर 1955
कैमरून	19,958,000	20 सितम्बर 1960
कनाडा	33,890,000	9 नवम्बर 1945
केप वर्डे	513,000	16 सितम्बर 1975
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	4,506,000	20 सितम्बर 1960
चाड	11,506,000	20 सितम्बर 1960
चिली	17,135,000	24 अक्तूबर 1945

चीन	1,354,146,000	24 अक्तूबर 1945
कोलंबिया	46,300,000	5 नवम्बर 1945
कोमोरोस	691,000	12 नवम्बर 1975
कांगो	3,759,000	20 सितम्बर 1960
कोस्टा रिका	4,640,000	2 नवम्बर 1945
कोट दी आइवरी	21,571,000	20 सितम्बर 1960
क्रोएशिया	4,410,000	22 मई 1992
क्यूबा	11,204,000	24 अक्तूबर 1945
साइप्रस	880,000	20 सितम्बर 1960
चेक गणराज्य	10,411,000	19 जनवरी 1993
लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य	23,991,000	17 सितम्बर 1991
लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य	67,827,000	20 सितम्बर 1960
डेनमार्क	5,481,000	24 अक्तूबर 1945
जिबूती	879,000	20 सितम्बर 1977
डोमिनिका	67,000	18 सितम्बर 1978
डोमेनिकन गणराज्य	10,225,000	24 अक्तूबर 1945
इक्वाडोर	13,775,000	21 दिसम्बर 1945
मिस्र	84,474,000	24 अक्तूबर 1945
अल साल्वाडोर	6,194,000	24 अक्तूबर 1945
इक्विटोरियल गिनी	693,000	12 नवम्बर 1968
इरीट्रिया	5,224,000	28 मई 1993
एस्टोनिया	1,339,000	17 सितम्बर 1991
इथियोपिया	84,976,000	13 नवम्बर 1945
फिजी	854,000	13 अक्तूबर 1970
फिनलैंड	5,346,000	14 दिसम्बर 1955
फ्रांस	62,637,000	24 अक्तूबर 1945
गैबॉन	1,501,000	20 सितम्बर 1960
गाम्बिया	1,751,000	21 सितम्बर 1965
जॉर्जिया	4,219,000	31 जुलाई 1992
जर्मनी	82,057,000	18 सितम्बर 1973
घाना	24,333,000	8 मार्च 1957
ग्रीस	11,183,000	25 अक्तूबर 1945
ग्रेनेडा	104,000	17 सितम्बर 1974
ग्वाटेमाला	14,377,000	21 नवम्बर 1945
गिनी	10,324,000	12 दिसम्बर 1958
गिनी बिसाउ	1,647,000	17 सितम्बर 1974
गयाना	761,000	20 सितम्बर 1966
हैती	10,188,000	24 अक्तूबर 1945
होण्डुरास	7,616,000	17 दिसम्बर 1945
हंगरी	9,973,000	14 दिसम्बर 1955

आइसलैंड	329,000	19 नवम्बर 1946
भारत	1,214,464,000	30 अक्तूबर 1945
इंदोनेशिया	232,517,000	28 सितम्बर 1950
ईरान इस्लामिक गणराज्य	75,078,000	24 अक्तूबर 1945
इराक	31,467,000	21 दिसम्बर 1945
आयरलैंड	4,589,000	14 दिसम्बर 1955
इस्राइल	7,285,000	11 मई 1949
इटली	60,098,000	14 दिसम्बर 1955
जमाइका	2,730,000	18 सितम्बर 1962
जापान	126,995,000	18 दिसम्बर 1956
जॉर्डन	6,472,000	14 दिसम्बर 1955
कजाख्स्तान	15,753,000	2 मार्च 1992
केन्या	40,863,000	16 दिसम्बर 1963
किरिबाती	100,000	14 सितम्बर 1999
कुवैत	3,051,000	14 मई 1963
किर्गिजस्तान	5,550,000	2 मार्च 1992
लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	6,436,000	14 दिसम्बर 1955
लातविया	2,240,000	17 सितम्बर 1991
लेबनान	4,255,000	24 अक्तूबर 1945
लेसोथो	2,084,000	17 अक्तूबर 1966
लाइबेरिया	4,102,000	2 नवम्बर 1945
लीबिया	6,546,000	14 दिसम्बर 1955
लिख्स्टेन्टीन	36,000	18 सितम्बर 1990
लिथुआनिया	3,255,000	17 सितम्बर 1991
लग्जमबर्ग	492,000	24 अक्तूबर 1945
मैडागास्कर	20,146,000	20 सितम्बर 1960
मलावी	15,692,000	1 दिसम्बर 1964
मलेशिया	27,914,000	17 सितम्बर 1957
मॉलदीव	314,000	21 सितम्बर 1965
माली	13,323,000	28 सितम्बर 1960
माल्टा	410,000	1 दिसम्बर 1964
मार्शल आइलैंड्स	63,000	17 सितम्बर 1991
मॉरिटानिया	3,366,000	27 अक्तूबर 1961
मॉरीशस	1,297,000	24 अप्रैल 1968
मैक्सिको	110,645,000	7 नवम्बर 1945
माइक्रोनेशिया संघीय राज्य	111,000	17 सितम्बर 1991
मॉलडोवा गणराज्य	3,576,000	2 मार्च 1992
मोनैको	33,000	28 मई 1993
मंगोलिया	2,701,000	27 अक्तूबर 1961
मॉन्टेनेग्रो	626,000	28 जून 2006

मोरोक्को	32,381,000	12 नवम्बर 1956
मोजाम्बिक	23,406,000	16 सितम्बर 1975
म्यांमार	50,496,000	19 अप्रैल 1948
नामीबिया	2,212,000	23 अप्रैल 1990
नाउरू	10,000	14 सितम्बर 1999
नेपाल	29,853,000	14 दिसम्बर 1955
नीदरलैंड्स	16,653,000	10 दिसम्बर 1945
न्यूजीलैंड	4,303,000	24 अक्तूबर 1945
निकारागुआ	5,822,000	24 अक्तूबर 1945
नाइजर	15,891,000	20 सितम्बर 1960
नाइजीरिया	158,259,000	7 अक्तूबर 1960
नॉर्वे	4,855,000	27 नवम्बर 1945
ओमान	2,905,000	7 अक्तूबर 1960
पाकिस्तान	184,753,000	30 सितम्बर 1947
पलाउ	21,000	15 दिसम्बर 1994
पनामा	3,508,000	13 नवम्बर 1945
पापुआ न्यू गिनी	6,888,000	10 अक्तूबर 1975
पाराग्वे	6,460,000	24 अक्तूबर 1945
पेरू	29,496,000	31 अक्तूबर 1945
फिलिपींस	93,617,000	24 अक्तूबर 1945
पोलैंड	38,038,000	24 अक्तूबर 1945
पुर्तगाल	10,732,000	14 दिसम्बर 1955
कतर	1,508,000	21 सितम्बर 1971
कोरिया गणराज्य	48,501,000	17 सितम्बर 1991
रोमानिया	21,190,000	14 दिसम्बर 1955
रूसी परिसंघ	140,367,000	24 अक्तूबर 1945
रवांडा	10,277,000	18 सितम्बर 1962
सेंट किट्स व नेविस	52,000	23 सितम्बर 1983
सेंट लूसिया	174,000	18 सितम्बर 1979
सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस	109,000	16 सितम्बर 1980
सामोआ	179,000	15 दिसम्बर 1976
सान मारिनो	32,000	2 मार्च 1992
साओ तोमे व प्रिंसिपी	165,000	16 सितम्बर 1975
सउदी अरब	26,246,000	24 अक्तूबर 1945
सेनेगल	12,861,000	28 सितम्बर 1960
सर्बिया	9,856,000	1 नवम्बर 2000
सेशेल्स	9,856,000	21 सितम्बर 1976
सिएरा लियोन	5,836,000	27 सितम्बर 1961
सिंगापुर	4,837,000	21 सितम्बर 1965
स्लोवाकिया	5,412,000	19 जनवरी 1993

स्लोवेनिया	2,025,000	22 मई 1992
सॉलोमन द्वीप	536,000	19 सितम्बर 1978
सोमालिया	9,359,000	20 सितम्बर 1960
दक्षिण अफ्रीका	50,492,000	7 नवम्बर 1945
दक्षिण सूडान	8,260,490	14 जुलाई 2011
स्पेन	45,317,000	14 दिसम्बर 1955
श्रीलंका	20,410,000	14 दिसम्बर 1955
सूडान	43,192,000	12 नवम्बर 1956
सूरीनाम	524,000	4 दिसम्बर 1975
स्वाजीलैंड	1,202,000	24 सितम्बर 1968
स्वीडन	9,293,000	19 नवम्बर 1946
स्विटजरलैंड	7,595,000	10 सितम्बर 2002
सीरियाई अरब गणराज्य	22,505,000	24 अक्तूबर 1945
ताजिकिस्तान	7,075,000	2 मार्च 1992
थाईलैंड	68,139,000	16 दिसम्बर 1946
पूर्व युगोस्लाव मैकेडोनिया गणराज्य	2,043,000	8 अप्रैल 1993
तिमोर लेस्ते	1,171,000	27 सितम्बर 2002
टोगो	6,780,000	20 सितम्बर 1960
टोंगा	104,000	14 सितम्बर 1999
त्रिनिडाड व टोबैगो	1,344,000	18 सितम्बर 1962
ट्यूनिशिया	10,374,000	12 नवम्बर 1956
तुर्की	75,705,000	24 अक्तूबर 1945
तुर्कमेनिस्तान	5,177,000	2 मार्च 1992
तुवालू	10,000	5 सितम्बर 2000
युगांडा	33,796,000	25 अक्तूबर 1962
यूक्रेन	45,433,000	24 अक्तूबर 1945
संयुक्त अरब अमारात	4,707,000	9 दिसम्बर 1971
युनाइटेड किंगडम	61,899,000	24 अक्तूबर 1945
संयुक्त तंजानिया गणराज्य	45,040,000	14 दिसम्बर 1961
संयुक्त राज्य अमेरिका	317,641,000	24 अक्तूबर 1945
उरुग्वे	3,372,000	18 दिसम्बर 1945
उज्बेकिस्तान	27,794,000	2 मार्च 1992
वानुआतु	246,000	15 सितम्बर 1981
वेनेजुएला (बोलिवेरियाई गणराज्य)	29,044,000	15 नवम्बर 1945
वियतनाम	89,029,000	20 सितम्बर 1977
यमन	24,256,000	30 सितम्बर 1947
जाम्बिया	13,257,000	1 दिसम्बर 1964
जिम्बाब्वे	12,644,000	25 अगस्त 1980

सदस्य देशों के ध्वज

अफगानिस्तान

अल्बानिया

अल्जीरिया

एन्डोरा

अंगोला

एंटीगुआ व बारबुडा

अर्जेंटीना

आर्मेनिया

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रिया

अजरबैजान

बहामास

बहरीन

बांग्लादेश

बारबाडोस

बेलारूस

बेल्जियम

बेलीज

बेनिन

भूटान

प्लूरिनेशनल बोलीविया

बोस्निया व हर्जेगोविना

बोत्स्वाना

ब्राजील

ब्रुनेई दारूस्सलाम

बुल्गारिया

बुर्कीना फासो

बुरुण्डी

केप वर्डे

कम्बोडिया

कैमरून

कनाडा

मध्य अफ्रीकी गणराज्य

चाड

चिली

चीन

कोलंबिया

कोमोरोस

कांगो

कोस्टा रिका

कोट दी आइवरी

क्रोएशिया

क्यूबा

साइप्रस

चेक गणराज्य

लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य

लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य

डेनमार्क

जिबूती

डोमिनिका

डोमेनिकन गणराज्य

इक्वाडोर

मिस्र

अल साल्वाडोर

इक्विटोरियल गिनी

इरीट्रिया

एस्टोनिया

इथियोपिया

फिजी

फिनलैंड

फ्रांस

गैबॉन

गाम्बिया

जॉर्जिया

जर्मनी

घाना

ग्रीस

ग्रेनेडा

ग्वाटेमाला

गिनी

गिनी बिसाउ

गयाना

हैती

होण्डुरास

हंगरी

आइसलैंड

भारत

इंदोनेशिया

ईरान इस्लामिक गणराज्य

इराक

आयरलैंड

इस्त्राइल

इटली

जमाइका

जापान

जॉर्डन

कजाख्स्तान

केन्या

किरिबाती

कुवैत

किर्गिजस्तान

लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य

लातविया

लेबनान

लेसोथो

लाइबेरिया

लीबिया

लिख़्टेन्टीन

लिथुआनिया

लग्जमबर्ग	मैडागास्कर	मलावी	मलेशिया	मॉलदीव	माली	माल्टा	मार्शल आइलैंड्स
मॉरिटानिया	मॉरीशस	मैक्सिको	माइक्रोनेशिया संघीय राज्य	मोनैको	मंगोलिया	मॉन्टेनेग्रो	मोरोक्को
मोजाम्बिक	म्यांमार	नामीबिया	नाउरु	नेपाल	नीदरलैंड्स	न्यूजीलैंड	निकारागुआ
नाइजर	नाइजीरिया	नॉर्वे	ओमान	पाकिस्तान	पलाउ गणराज्य	पनामा	पापुआ न्यू गिनी
पाराग्वे	पेरु	फिलिपींस	पोलैंड	पुर्तगाल	कतर	कोरिया गणराज्य	मॉलडोवा गणराज्य
रोमानिया	रूसी परिसंघ	रवांडा	सेंट किट्स व नेविस	सेंट लूसिया	सेंट विंसेट व ग्रेनेडाइंस	सामोआ	सान मारिनो
साओ तोमे व प्रिंसिपी	सउदी अरब	सेनेगल	सर्बिया	सेशेल्स	सिएरा लियोन	सिंगापुर	स्लोवाकिया
स्लोवेनिया	सॉलोमन द्वीप	सोमालिया	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण सूडान	स्पेन	श्रीलंका	सूडान
सूरीनाम	स्वाजीलैंड	स्वीडन	स्विटजरलैंड	सीरियाई अरब गणराज्य	ताजिकिस्तान	थाईलैंड	पूर्व युगोस्लाव मैकेडोनिया गणराज्य
तिमोर लेस्ते	टोगो	टोंगा	त्रिनिडाड व टोबैगो	ट्यूनिशिया	तुर्की	तुर्कमेनिस्तान	तुवालू
युगांडा	यूक्रेन	संयुक्त अरब अमारात	युनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेड ब्रिटेन व नदर्न आयरलैंड	संयुक्त तंजानिया गणराज्य	संयुक्त राज्य अमेरिका	उरूग्वे	उज्बेकिस्तान
वानुआतु	वेनेजुएला (बोलिवेरियाई गणराज्य)	वियतनाम	यमन	जाम्बिया	जिम्बाब्वे	होली सी -	फलीस्तीन राज्य
						गैर पर्यवेक्षक देश	

यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं कि इस पोस्टर के चित्र और विषय संपूर्ण और सही हैं। संभव है कि तकनीकी कारणों से कुछ रंग और डिजाइन ध्वजों के आधिकारिक विनिर्देश के अनुरुप न हों। सभी मौजूदा चित्र दिसंबर 2017 तक के हैं।

संयुक्त राष्ट्र के तथ्य

सच्चे अर्थों में विश्व का एकमात्र सार्वभौम वैश्विक संगठन, संयुक्त राष्ट्र ऐसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए अग्रणी मंच बन गया है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं और जिन्हें कोई एक देश अकेले नहीं सुलझा सकता। यह प्रामाणिक संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मानव अधिकारों और मानवीय कार्रवाई के प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र का और उसके काम का समग्र परिचय देता है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कैसे, क्यों और कब हुआ। इसे मूल रूप से युवाओं और अंतर्राष्ट्रीय सोच वाले पाठकों के लिए तैयार किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र
प्रकाशन